हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

03.09.2026/1100/DT/YK -1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरंभ।

प्रश्न संख्या : 3920 (स्थगित)

श्री सुरेन्द्र शौरीः अध्यक्ष महोदय, हमारे कुल्लू जिला के अंदर ब्यास नदी और बंजार की जो सहायक नदियां हैं उनमें ड्रेजिंग और माइनिंग के लिए सरकार ने कोई अलग विशेष नीति नहीं अपनाई है। इसके बावजूद हम यहां देख रहे हैं कि फोरेस्ट कॉर्पोरेशन ने इसके टेंडर लगाए हैं। जब यह माइनिंग से संबंधित काम उद्योग विभाग का है तो नियमों-कायदों को ताक पर रखकर अपने चहेते लोगों को टेंडर देना और उसमें ड्रेजिंग न करवाकर माइनिंग करवाना क्या उचित है? यह कार्रवाई फोरेस्ट कॉर्पोरेशन द्वारा ही की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को ड्रेजिंग और माइनिंग का काम दिया गया था क्या उनको एम फॉर्म इश्यू हुए थे? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार को इसमें कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई है? मुझे लगता है कि इसमें सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सुरेन्द्र शौरी जी ने पोस्टपोन्ड क्वेश्चन किया है। आपको पता है कि वर्ष 2023 में कुल्लू जिला के मनाली में बहुत बाढ़ आई थी जिस कारण वहां बहुत नुकसान हुआ था। ब्यास नदी में मटीरियल डिपॉजिट होने के कारण वहां के रोड्स, लोगों के खेत और बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा। वर्ष 2024 में हमने ड्रेजिंग करवाई थी जिसकी रिपोर्ट उपलब्ध है। उपमंडल मनाली में 6 स्थानों पर ड्रेजिंग की गई है जिस पर 1.22 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कुल्लू उपमंडल में 6 स्थानों पर ड्रेजिंग की गई है जिसमें 5.72 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उपमंडल बंजार में 6 स्थानों पर ड्रेजिंग की गई है जिसमें 2.98 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हमने वर्ष 2024 में इस मैटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उठाया। गवर्नमेंट लैंड पर एफ0सी0ए0 का प्रावधान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कहा कि यदि आपको ड्रेजिंग करवानी है तो ड्रेजिंग के लिए एफ0सी0ए0 की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्रेजिंग करके जो मटीरियल निकलेगा उसे यूज़ किया जाए या उसकी ऑक्शन भी की जा सकती है। लेकिन वर्ष 2025 में फिर इसके बारे में डिसीजन हुआ। उसके बाद हमने 40 साइट्स के ड्रेजिंग मटीरियल

03.09.2026/1100/DT/YK -2

की उसकी ऑक्शन करवाई। इसकी ऑक्शन 2.64 करोड़ रुपये की हुई। वर्ष 2024 में 2.64 करोड़ रुपये की ऑक्शन की गई जिसमें से 50 प्रतिशत पैसा सरकार के खजाने में आया। मगर जिस कॉन्ट्रैक्टर को ओपन ऑक्शन के माध्यम से यह साइट दी गई थी उसमें ऑक्शन करने के लिए डी0एफ0ओ0 ने यह कह कर रोक दिया कि इस साइट में एफ0सी0ए0 का प्रावधान है। उसके बाद वर्ष 2025 में जब फिर बारिश हुई तो वह मटीरियल बह कर नदी में चला गया। हमें यह रिपोर्ट डी0एफ0ओ0 द्वारा दी गई है। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में ड्रेजिंग और माइनिंग का कार्य मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। दिनांक 31 जनवरी, 2026 के बाद कुल्लू में जो भी ड्रेजिंग और माइनिंग का कार्य किया गया है वह फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन द्वारा ही किया गया है। इसमें हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की कोई भूमिका नहीं है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

03.09.2026/1105/वाई.के.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास माइनिंग के लिए एक स्वतंत्र विभाग है, तो माइनिंग का कार्य फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को देने के क्या कारण हैं? इसके अलावा यदि वहां माइनिंग का कार्य हुआ है और उसके लिए एम-फॉर्म जारी हुए हैं, तो उस माइनिंग के एवज में सरकार को क्या कोई राशि प्राप्त हुई

है? क्या कारण है कि माइनिंग के लिए हम अपने विभाग को छोड़ कर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को ये ड्यूटी दे रहे हैं? जबकि हमारे पास एक स्वतंत्र विभाग स्थापित है और माइनिंग के सारे कायदे-कानून तो माइनिंग विभाग ही जानता है। कृपया इसको क्लियर करें कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण यह कार्य दूसरे विभाग को देना पड़ा?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जब कुल्लू जिले में माइनिंग का यह कार्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट/कॉरपोरेशन ने भारत सरकार को तीन साइट्स का प्रस्ताव भेजा। उन तीनों साइट्स के लिए एफ0सी0ए0 की स्वीकृति भी प्राप्त हुई और उसके बाद माइनिंग प्लान अप्रूव हुआ। इसके बाद वहां से लगभग 74,000 मीट्रिक टन पत्थर निकाला गया और उसकी रॉयल्टी भी सरकार के खजाने में जमा की गई। बरसात के दौरान माइनिंग गतिविधि बंद रहती है। मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे पास दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक की ही जानकारी उपलब्ध है। जितनी भी जानकारी मेरे पास है, उसके अनुसार एफ0सी0ए0 की स्वीकृति भी ली गई है और उस सामग्री को कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक प्रक्रिया के माध्यम से उसका डिस्पोज ऑफ भी किया और उसकी राशि ट्रेजरी के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुई है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि माइनिंग करेंगे तो एम-फॉर्म इश्यू होगा और उसे माइनिंग विभाग ही इश्यू करेगा। यदि माइनिंग प्लान स्वीकृत हुआ है, तो उसके आधार पर क्या एम-फॉर्म जारी किए गए हैं? आपके उत्तर में लिखा है कि उद्योग विभाग व वन विभाग द्वारा ब्यास नदी में ड्रेजिंग और माइनिंग अथवा अत्याधिक जमा सामग्री को हटाने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक कोई धनराशि

03.09.2026/1105/वाई.के.-एन.जी./2

स्वीकृत नहीं की गई है। अगर यह माइनिंग प्लान बना तो कितने एम-फॉर्म इश्यू हुए? कितनी मात्रा में सामग्री निकाली गई? कितने टेंडर किए गए? सरकार को रॉयल्टी अथवा अन्य माध्यमों से कितनी राशि प्राप्त हुई? अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानकारी मांग रहा हूं।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने तीन साइट्स का ऑक्शन किया है और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 5-5 लाख टन के हुए हैं। माइनिंग प्लान भी अप्रूव हुआ है और सरकार को पैसा भी जमा हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य दो विषयों को कॉम्पलीकेट कर रहे हैं—ड्रेजिंग अलग चीज है और माइनिंग अलग चीज है। एम-फॉर्म और माइंनिग को कंट्रोल करने की शक्ति डी0एफ0ओ0 के पास है। फॉरेस्ट ऐरिया में माइनिंग डिपार्टमेंट को कोई पॉवर नहीं हैं। वहां पर माइनिंग करने की पॉवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट व फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के पास है। वहां से कितनी मात्रा में सामग्री उठाई गई, कितने एम-फॉर्म इश्यू हुए, माइनिंग विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फॉरेस्ट ऐरिया में माइनिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करेगा। यह कैबिनेट का निर्णय है।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह व्यास नदी और उसकी सहायक खड्डों से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे क्षेत्र सुंदरनगर में व्यास नदी पर बी0एस0एल0 प्रोजेक्ट बना हुआ है। वहां भी समय-समय पर सिल्ट जमा होती है। सिल्ट को निकालने के लिए वहां पर डी-सिल्टिंग चैंबर की व्यवस्था भी है। वहां से उस सिल्ट को निकाल कर सुकेती खड्ड में डाला जाता है। जिसके कारण स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बी0बी0एम0बी0 के साथ बातचीत करके इस सिल्ट के प्रबंधन के लिए कोई स्थायी नीति बनाने पर विचार करेगी? क्योंकि जब वहां ड्रेजिंग होती है तो 3-3 ड्रेजर उपकरण लगाए जाते हैं। उस सिल्ट के कारण और सुकेती खड्ड के माध्सम से सारी बल्ह वैली खराब हो रही है। उद्योग मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर कोई स्पष्ट नीति बनाने का विचार करेगी?

उद्योग मंत्री------------पी0बी0 द्वारा......जारी

03.09.2026/1110/AG/PB/1

प्रश्न संख्याः 3920 क्रमांगत...

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी जितनी भी डैम साइट्स हैं चाहे पौंग डैम हो, भाखड़ा डैम हो, सुंदरनगर वाला हो या तत्ता पानी कोल डैम हो, इन सभी साइट्स में हमारे रिजरवायर्स सिल्ट से भरते जा रहे हैं और इनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। पौंग डैम के संबंध में बी0बी0एम0बी0 के अधिकारी मुख्य मंत्री जी के पास आए थे और मेरे पास भी आए थे।

अब प्रश्न यह है कि हमें जो ड्रेजिंग मटीरियल बाहर निकालना है, वह शत-प्रतिशत यूजेबल मटीरियल नहीं है। कोल डैम के अधिकारी चाहते हैं कि माइनिंग विभाग उस मटीरियल को निकाले भी और बेच भी दे, लेकिन उसे निकालने की कॉस्ट बहुत अधिक है। उसे निकालने के बाद उसे कहां रखना है, यह भी एक प्रश्न है। इसके अलावा उसे सेग्रीगेट करना भी एक समस्या है। जब मटीरियल निकलेगा तो यूजेबल मटीरियल मड और सिल्ट के साथ निकलेगा। उसे सेग्रीगेट करके उसके दो हिस्से बनाने में भी खर्च आएगा।

हम यह कह रहे हैं कि जैसे पहले एन0एच0पी0सी0 चम्बा में प्रोविजन था कि वे चिनाब में आने वाली सिल्ट को निकालने के लिए किसी कांट्रैक्टर को ऑथोराइज कर देते थे कि वह यह सारा मटीरियल वहां से निकालेगा और उसे डिस्पोज ऑफ भी करेगा। उसमें जो डिस्पोजेबल मटीरियल होता था, हम उसे कैलकुलेट कर लेते थे कि यह 50,000 टन है। हम उसे ऑथोराइज करके एम-फॉर्म इश्यू कर देते थे कि हमें आप 50,000 टन की रॉयल्टी दें। परंतु हमने माइनिंग मिनरल रूल्स में बदलाव किया कि डैम से निकलने वाले मटीरियल को ऑक्शन कर दिया जाएगा। उस ऑक्शन की वजह से भी दिक्कत आ रही है। उसमें राजस्व मंत्री जी के किन्नौर में एक केस आया है। कड़छम प्रोजैक्ट में किसी कांट्रैक्टर ने ड्रेजिंग करके लगभग 25,000-30,000 टन मटीरियल बाहर निकालकर इकट्ठा कर लिया। अब हम उसे ऑथोराइज नहीं कर सकते। हमें रूल्स को चेंज करना पड़ेगा कि अगर प्रोजैक्ट वाले किसी भी कांट्रैक्टर को यह काम दे रहे हैं कि हम उसको on the basis of nomination दे देंगे तो आप उस मटीरियल को निकाल भी लो और उसमें प्रॉफिट भी कर लो। इसमें यह समस्या आ रही है लेकिन इसे हाइड्रो कंपनीज को अपने स्तर पर ही करना पड़ेगा। पहले वे डैम से मटीरियल निकाल लें, उसके बाद हम उसे ऑक्शन कर देंगे।

03.09.2026/1110/AG/PB/2

according to the rules. हमारा काम उसे ऑक्शन करने का है, निकालने का नहीं है। मटीरियल निकालने का खर्च हाइड्रो कंपनीज को ही वहन करना पड़ेगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। एक तो प्रदेश में आपदा आई और आपदा के बाद मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के दौरान आपदा में अवसर तलाशा गया है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है। मैं इस बात को लेकर माननीय मंत्री जी के उत्तर से हैरान हूं कि आधी जानकारी तो उपलब्ध करावाई जा रही है और आधे के बारे में यह कहा जा रहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी सदन में विभाग के मंत्री जी के पास पूरी नहीं है तो पूरी जानकारी किसके पास है?

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, मंत्री जी कह रहे है कि अब ड्रेजिंग फॉरेस्ट को चला गया है। जब तक यह उनके पास था उस समय तक की सारी जानकारी इनके पास है।

यह स्थगित प्रश्न है और इसे उस हिसाब से लगाया गया है। अन्यथा हम इसे फिर सेग्रीगेट करते That is the issue.

श्री जय राम ठाकुर : फॉरेस्ट भी तो सरकार का ही विभाग है। उनसे मंत्री जी जानकारी ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें देख रहा हूं कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कुल्लू जिला से बहने वाली ब्यास नदी और बंजार विधान सभा क्षेत्र से निकलने वाली नदी में ड्रेजिंग और माइनिंग के लिए अलग से कोई विशेष नीति राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। यह उत्तर में दिया गया है कि कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद हम वहां से आते-जाते देखते थे कि रात के अंधेरे में भी पोकलैन ब्यास नदी के बीच में जाकर वहां से मटीरियल निकाला रही थी और वहां माइनिंग की जा रही थी। जब हमने पिछली बार भी इस बात को लेकर विधान सभा में प्रश्न पूछा था और इस संबंध में उत्तर मांगा था तो उस वक्त कह दिया गया था कि माइनिंग शुरू कर दी गई थी लेकिन उसके बाद बंद कर दी गई।

03.09.2026/1110/AG/PB/3

प्रश्न यह है कि आपने वहां से जो मटीरियल एक्स्ट्रैक्ट किया, उसका क्या किया गया? वे कौन लोग थे जिन्होंने वह मटीरियल निकाला? उस मटीरियल को निकालने के बाद वह मटीरियल किस विभाग को दिया गया? क्या पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को दिया गया, जल शक्ति विभाग को दिया गया या प्राइवेट में किसी को बेच दिया गया? हमने पूछा था कि आप हमें जानकारी दीजिए कि सरकार को उसके एवज में क्या रेवेन्यू आया? एम-फॉर्म आपने कहा कि ...(व्यवधान)

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1115/ए0जी-ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 3920 क्रमागत-----

अध्यक्ष : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी इन्होंने यह बोला कि वर्ष- 2023 में जब फ्लड आया और जो मटेरियल वहां जमा हुआ, जब तक हम उस मटेरियल को निकालते तब तक वे अगले फ्लड में वह बह गया था। इसके बाद हमने वह फॉरेस्ट को दे दिया। ऐसा मंत्री जी ने रिकॉर्ड पर बोला है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। अगर एम-फॉर्म को इश्यू नहीं किया गया तो सीधी-सी बात है कि जिन्होंने वह मटेरियल वहां से निकाला था। उन्होंने उस मटेरियल को बेच दिया और उस मटेरियल को बेचकर करोड़ों रुपये का घपला किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपदा कुछ लोगों के लिए अवसर ले कर आई है। आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया है तो इसका सही जवाब भी आना चाहिए। यह करोड़ों का घोटाला हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा के दौरान किया है। ऐसे में हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार के पास क्या आया? जब माइनिंग प्लान आपने किया नहीं, एम-फॉर्म आपने दिया नहीं तो मटेरियल आपने वहां से एक्सट्रैक्ट कैसे हुआ, उसका क्या किया, उसे निकाला और बेचा, उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। वह पैसा ठेकेदारों के

पास गया या सरकार के पास आया? अच्छा रहेगा कि इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी ही जवाब दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष-2023 में जब आपदा आई तो माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने वहां विजिट किया था। उन्होंने सुझाव भी दिया कि आप इसकी ड्रेजिंग क्यों नहीं करवाते हैं? नदी का स्तर ऊपर बढ़ गया है, जिससे पुलों और रास्तों को नुकसान हो रहा है। सरकार ने उनके सुझाव पर गौर किया और इस पर चर्चा भी हुई। बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमें ड्रेजिंग करने की परमिशन दी। जिसको भारत सरकार ने भी अनुमोदित किया। ड्रेजिंग होने के बाद हमारे पास सिर्फ यह राइट था कि आप इस मटेरियल को निकालकर वहीं किनारे पर रखेंगे। हमने कहा कि इसको हम दूर ले जाते हैं, लेकिन माइनिंग की परमिशन हमें नहीं मिली। इसके बाद अगली बरसात में वह सारा मटेरियल बह गया। जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरी बार हम एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव जी से भी मिले। कुल्लू की तीन साइट्स का इसमें चयन हुआ और अभी

03.09.2026/1115/ए0जी-ए0पी0/-02

माइनिंग डिपार्टमेंट ने हमें राइट दिया कि आप ड्रेजिंग कर सकते हैं। ड्रेजिंग के बाद हमने पूछा कि उस मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या इसकी माइनिंग कर सकते हैं। उस संदर्भ में हमें भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है और एफ0सी0ए0 करवाने की जरूरत है। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि अभी तीन साइट्स की ड्रेजिंग के मामले में माननीय मंत्री जी ने सही जवाब दिया है। इस साल की ड्रेजिंग में तीन लोगों ने पार्टिसिपेट किया जोकि कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट में डब्ल्यू-फॉर्म के लिए अप्लाई किया। जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी बोल रहे थे। क्या उसमें उन्होंने एम-फॉर्म लिया था? उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट में डब्ल्यू-फॉर्म लिया और उन्हें डब्ल्यू-फॉर्म इश्यू भी किया गया। अभी पिछले दिनों, लगभग एक महीने पहले हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। उस मीटिंग में माननीय मंत्री जी, एनवायरनमेंट मिनिस्टर और माननीय श्री नितिन गडकरी जी शामिल थे। गडकरी जी चाह रहे थे कि जितनी हम ड्रेजिंग करें, उस पर राज्य सरकार हमसे कोई रॉयल्टी न लें और

उस मटेरियल को वे हमारी सड़कों में ही लगाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम आपकी ड्रेजिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमसे रॉयल्टी नहीं लेंगे। हमने कहा कि रॉयल्टी हमारा राइट बनता है। रॉयल्टी तो आपको राज्य सरकार को देनी ही चाहिए। अभी इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो रही है। हमारा यह मानना है कि माइनिंग से राज्य सरकार को काफी आय हो सकती है। मेरी मंत्री जी से चर्चा हुई है कि हम इसका एक डिपार्टमेंट बनाएं और हमारी एक सहमति भी बनी है कि इसका डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। मंत्री जी ने भी कहा कि डिपार्टमेंट बनाकर जो नदियां हैं। जहां सरकार ऑक्शन करती है, वहां हर एक-दो साल के बाद ऑक्शन होगी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

03.09.2026/1120/AT/AS/01

प्रश्न संख्या 3920 जारी....मुख्य मंत्री जारी....

और उससे जितनी रॉयल्टी हमें प्राप्त होगी उस को देखते हुए जहां ड्रेजिंग की अनुमति भारत सरकार के FCA के माध्यम से हमें मिलेगी, वहां हम उसका ऑक्शन करवाएंगे।

मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं...(व्यवधान) मटेरियल बेचने के लिए फॉर्म इश्यू होते हैं। जो विक्रम सिंह जी ने बताया है उनसे पूछ लेना, वे उस समय उद्योग मंत्री थे। मैं सही कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो डैम्स की डिसिल्टिंग है, जैसे BBMB हो गया या पोंग डैम हो गया, उसकी डिसिल्टिंग के टेंडर पहले BBMB ने लगाए थे। BBMB ने टेंडर लगा दिए कि इसकी डिसिल्टिंग करनी है। हमारे विभाग ने उन्हें कहा कि आप इनकी डिसिल्टिंग नहीं कर सकते। यह हमारी लैंड पर है और इसके माइनिंग राइट्स हमारे हैं। हम इसके टेंडर करेंगे नहीं तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। इसके बाद उन्होंने डिसिल्टिंग के टेंडर कैंसल कर दिए।

अब डिसिल्टिंग के टेंडर भी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से लगे हैं। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को ड्रेजिंग का राइट है उस के वारे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ड्रेजिंग के राइट और माइनिंग के राइट माननीय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लिया गया है FCA की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ड्रेजिंग हो रही है। अभी जब मैं 10, 11 और 12 तारीख को दिल्ली जाऊंगा तो वहां मेरी मीटिंग है। इस पूरे संदर्भ में हमने उनसे ऑनलाइन मीटिंग में चर्चा हो चुकी है कि हमने किस प्रकार से सारी नदियों की ड्रेजिंग करनी है। इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे।

उत्तराखंड में जो नदियों की ड्रेजिंग की जा रही है, वह भी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा की जा रही है। वहां केवल 12 किलोमीटर नदी की ड्रेजिंग करने के बाद सरकार को 300-400 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यहां माइनिंग के इतने क्रेशर होने के बावजूद भी हम 100 करोड़ रुपये तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो पैसा माइनिंग से हमारे पास आता है, वह सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की माइनिंग से आता है। इसलिए हमारी सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। मेरा यह मानना है कि हमारे पास 5 नदियां हैं। नॉर्दर्न इंडिया में कहीं भी पांच नदियां नहीं हैं। उत्तराखंड में भी दो नदियां हैं। इसलिए हमारा मानना है कि

03.09.2026/1120/AT/AS/02

अगर हम अपनी पांचों नदियों की डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग करेंगे तो आत्मनिर्भर हिमाचल की जो हमने कल्पना वर्ष 2027 की है, उसमें इसका भी एक महत्वपूर्ण भाग होगा। तकरीबन 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये हम कमाना चाहते हैं। लेकिन अभी रूल्स हैं और हम उन रूल्स को बदल रहे हैं। FCA के संबंध में भी भारत सरकार से नियमों में बदलाव करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपदा के समय नुकसान भी न हो। इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ना चाहते हैं।...(व्यवधान), मंत्री जी ने बता दिया था कि अभी फॉर्म इश्यू के माध्यम से 1 करोड़ 50 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। बाकी जब और मटेरियल उठाएंगे, तो उसके तहत और भी पैसा आएगा।

जितनी ऑक्शन बोली है, एक तो ऑक्शन की बोली क्या है? आप जानते हैं कि जितने मेट्रिक टन की ऑक्शन बोली जाती है, उस पर पैसा आता है। लेकिन हमारे पास जो

पैसा है उसमें 130 रुपये प्रति मेट्रिक टन रॉयल्टी के हिसाब से हमने पैसा लिया है। इसके अलावा जो मटेरियल उठाया जाएगा, उस पर भी हम रॉयल्टी लेंगे। अगर इलिगल माइनिंग भी करेंगे तो भी 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से उससे चार्ज करेंगे, जो हमने किया है।

03.09.2026/1120/AT/AS/03

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री महोदय।

उद्योग मंत्री : सर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिटेल में सारी बात बता दी है। ड्रेजिंग अलग चीज है और माइनिंग अलग चीज है। ड्रेजिंग के संबंध में अब हमारी सरकार ने ड्रेजिंग पॉलिसी बनानी है। अभी हमारी ड्रेजिंग पॉलिसी बनी नहीं है। दूसरे राज्यों की ड्रेजिंग पॉलिसी और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उनमें ड्रेजिंग के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि ड्रेजिंग मटेरियल को आप उपयोग कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट ड्रेजिंग करेगा, वह उस मटेरियल का उपयोग करेगा और जो अतिरिक्त मटेरियल आएगा, it is to be sold by auction. अर्थात् उसे सीधे बेचने के बजाय उसको ऑक्शन के माध्यम से बेचा जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में यह है कि हमारे जो नदी-नाले हैं, विशेषकर पुराने हिमाचल प्रदेश में, उनमें अधिकांश जगह FCA लगता है। कुल्लू वाली जो हम बात कर रहे हैं, उसमें वर्ष 2023 में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद हमने वर्ष 2023 में 44 साइट्स की ड्रेजिंग करके उसका मटेरियल साइड में लगाया और उसकी ऑक्शन की। 2 करोड़ 64 लाख रुपये की ऑक्शन हुई और 25 प्रतिशत पैसा जमा भी हुआ। मगर FCA होने की वजह से उस मटेरियल को DFO ने नहीं उठाने दिया और वह वर्ष 2025 की बाढ़ में दोबारा वहां से बह गया।

जो आप इस फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने तीन एरियाज़ में माइनिंग की है। इस में इन्होंने अभी तक 74 हजार टन मटेरियल निकाला है, जिसका पैसा इन्होंने M-Form के माध्यम से जमा कराया है। इनके तीन पांच-पांच लाख टन के माइनिंग प्लान अप्रूव हैं और ये समय-समय पर जिस हिसाब से पत्थर उठा रहे हैं, उसी हिसाब से

इसका भुगतान कर रहे हैं। अब आप भी विक्रम जी, मंत्री रहे हैं। वर्ष 2016 में बहुत सारी ऑक्शंस हुई थीं।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी......

03.09.2026/1125/AV/AS/1

स्थगित प्रश्न संख्या : 3920---------क्रमागत

उद्योग मंत्री------- जारी

हिमाचल प्रदेश में लगभग 324 साइट्स ऑक्शन हुई हैं। अभी शायद 5-6 में ही एफ0सी0ए0 मिली हैं क्योंकि गवर्नमैंट लैण्ड पर एफ0सी0ए0 लेना एक कठिन प्रकिया है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अभी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई थी जिसमें एन्वायरनमैंट मिनिस्टर और जल शक्ति मंत्री भी थे। वहां पर इसी समस्या पर विचार किया गया है क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट की बहुत स्टेट्स को डैमेज हो रहा है। हमारे प्रदेश तथा उत्तराखण्ड को भी डैमेज हो रहा है। इसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने मुख्य मंत्री जी को आश्वासन भी दिया है। अभी जैसे मुख्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को माइनिंग से सौ करोड़ रुपये नहीं अपितु 350 करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में मिलते हैं और जिसमें सौ करोड़ रुपये हमें डी0एम0एफ0 के माध्यम से आते हैं। ...(व्यवधान) नहीं, मैं तो बार-बार बोलता हूं। परंतु जब वर्ष 2022 में आपकी सरकार थी तो उस वक्त हमें 240 करोड़ रुपये रॉयल्टी आती थी। मगर हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाकर इसको वर्ष 2024-25 में 356 करोड़ रुपये पर लाया। वर्ष 2025-26 में हमारी रॉयल्टी थोड़ी गिर कर 350 करोड़ रुपये पर आई।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में डी0एम0एफ0 सरकार ने ही की थी और उस मेटीरियल को हमारी डेंजर्स साइट्स में यूटिलाईज किया गया था। मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट ने माइनिंग की पावर वन कॉरपोरेशन को दे दी है।

03.09.2026/1125/AV/AS/2

स्थगित प्रश्न संख्या : 4055

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न की सूचना अगले शीतकालीन सत्र के दौरान प्राप्त हो जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना अगले शीतकालीन सत्र में उपलब्ध करवा दी जाएगी।**

03.09.2026/1125/AV/AS/3

स्थगित प्रश्न संख्या : 4079

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले बजट सत्र में पूछा गया था। इस प्रश्न के माध्यम से स्पेसिफिक सूचना मांगी गई थी। इतनी लम्बी समयावधि के बाद भी सरकार द्वारा इतनी छोटी व स्पेसिफिक सूचना उपलब्ध न करवाने के क्या कारण है? क्या माननीय मुख्य मंत्री सुनिश्चित करेंगे यह सूचना अगले सत्र से पहले हमें लिखित रूप में भेज दी जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **यह सूचना अगले सत्र या बजट सत्र में उपलब्ध करवा दी जाएगी।**

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, जब भी विधान सभा का सत्र आयोजित होता है तो हम अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न मेरा माननीय श्री सुधीर शर्मा के साथ लगा था। इसके बाद मेरे तीन प्रश्न और लगे हैं। यह स्थगित प्रश्न था परंतु मुझे तीनों प्रश्नों में लिखित रूप में यही जवाब मिला है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अगले सत्र में हमें इन प्रश्नों की सूचना दे दी जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कई सूचनाएं तो दो-दो बार दे दी गई है, आप इसे विधान सभा सचिवालय के ध्यान में लाकर इस बारे में निर्देश दें। इस प्रश्न में दो माननीय सदस्य सूचनाएं मांग रहे हैं और इसमें भिन्नता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि शीतकालीन सत्र बहुत छोटा होता है, अतः इस प्रश्न से संबंधित सूचना बजट सत्र में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अध्यक्ष : मैं यहां सबके ध्यानार्थ यह लाना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिसिज के माध्यम से लगभग 1100 प्रश्नों की सूचनाएं मांगी हैं जोकि आपको मिल गई हैं। इन दस सीटिंग्ज में केवल 5 या 7 प्रश्नों की सूचनाएं डैफर हुई हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2026/1130/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
प्रश्न संख्या : 4079.... क्रमागत् अध्यक्ष जारी---

मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि लगभग 1,100 प्रश्नों की सूचनाएं आपने नोटिसिज के माध्यम से मांगी हैं जो आपको प्राप्त हो गई हैं। लगभग पांच या सात प्रश्नों के रिप्लाइज दस सिटिंग्स में डैफर हुए हैं। इसलिए ऐसा मत कहे, इस सत्र में 1,100 प्रश्न लिस्ट हुए हैं। उसमें से yesterday I have rejected many because the Members were not entitled to ask more than three questions. इन 1,100 प्रश्नों में से अगर सात या दस प्रश्नों की सूचना नहीं मिली तो यह कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। Don't cast aspersions on Vidhan Sabha also.

प्रश्न संख्या : 4732

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जवाब मिला है उसमें लिखा है कि सरकार पेंशनर और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि लंबित लाभों को चरणबद्ध तरीके से दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पेंशन की जो शेष राशि है वह कब तक दी जाएगी और कितनी राशि लंबित है? दूसरा, क्या सरकार एच0आर0टी0सी0

और बिजली बोर्ड तथा कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 देगी? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सूचना हमने उपलब्ध करवा दी है लेकिन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। जब हमने सत्ता संभाली तब प्रदेश आर्थिक संकट में जा चुका था। इसके बावजूद हमने उस आर्थिक चुनौती का सामना किया। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 67 वर्ष से ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारियों का एरियर और पेंशन का एरियर भुगतान कर दिया गया है। यदि एक-दो या 10 केसिस बचे होंगे तो आप मुझे उनकी जानकारी दे दीजिए।

03.09.2026/1130/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मैं यह दोबारा कहना चाहता हूं कि 67 वर्ष से ऊपर के सभी कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन और लीव इनकैशमेंट सहित सभी भुगतान कर दिए गए हैं। हमारी सरकार सरकारी कर्मचारी/अधिकारी पेंशनरों के प्रति संवेदनशील है और उनकी भावनाओं की कद्र करती है। हमारा प्रयास है कि 67 वर्ष के बाद उनके जो भी अन्य लाभ शेष रहते हैं उनका भी भुगतान कर दिया जाए।

दूसरा, 01 जनवरी 2016 से 31 जनवरी, 2022 तक जो भी सरकारी कर्मचारी उस समय सेवानिवृत्त हुए हैं उनमें भी हमारी सरकार ने इस 15 अगस्त को क्लास वन और क्लास टू के 15 प्रतिशत, क्लास थ्री के 35 प्रतिशत और क्लास फोर के पे एरियर का 20,000 रुपये का भुगतान किया है। क्लास फोर के जिन भी सरकारी कर्मचारियों का पेंशन एरियर लंबित था उनके पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया गया है। यह भुगतान 58 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु वाले कर्मचारियों के संबंध में किया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। इसके अलावा क्लास फोर के पे एरियर का भी भुगतान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे पेंशनर हैं उनके संबंध में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर हमारी आर0डी0जी0 नहीं काटी गई होती, अगर आपदा के समय हमें पूरी सहायता मिल गई होती और हमें आदरणीय मोदी जी के 1,500 करोड़ रुपये मिल गए होते तो

एरियर का कुछ भाग ही बचता और हम उनका पूरा भुगतान कर देते। लेकिन हमें वर्ष 1952 से यानी 77 साल से जो आर0डी0जी0 मिल रही थी, उसके एक साल में हमारे 8,000 करोड़ रुपये काट दिए गए, फिर भी हम उस आर्थिक चुनौती को सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में किसी की भी पेंशन और पे हर महीने की एक या दो तारीख को दी जा रही है यानी दो तारीख भी नहीं होने देते है और एक तारीख को ही सभी कर्मचारियों की पेंशन और पे दे देते हैं।

Speaker: Despite of many constraints and limitations.

अब क्या बचा? अब तो कुछ बचा नहीं। ...(व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा .... जारी

3-9-2026/1135/NS-DC/1

प्रश्न संख्या : 4732------क्रमागत

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्व में जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं और जो एन0पी0एस0 में थे, सरकार द्वारा ओ0पी0एस0 लागू करने के बाद उन लोगों को कहा गया कि अपना कुछ पैसा जमा करवाइए। मेरे चुनाव क्षेत्र के अनेकों लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। चैन लाल, बेलदार जोकि रहला गांव से हैं और ऐसे ही दो-तीन और लोगों के नाम अभी मुझे याद नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पैसा जमा करवा दिया है लेकिन न हमें एन0पी0एस0 मिल रहा है और न ही हमें ओ0पी0एस0 मिल रही है। इस पर मैं सरकार से स्पष्ट जवाब चाहूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इस बारे में लिखकर दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति संवेदनशील है। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में यह फैसला किया था कि सभी सरकारी कर्मचारी जो 58 साल की आयु के बाद रिटायर होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। यह राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं किया गया था। अभी वर्ष 2027 में चुनाव होने हैं। **अगर ऐसे कोई केसिस हैं जो हमारी कैबिनेट के फैसले के बाद**

एन0पी0एस0 के दायरे में हैं तो उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी जाएगी। हमारी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए घोषणाएं नहीं करती। हम संवेदनशील हैं और उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो तथा उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी और यह लागू है। कर्मचारी एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में आए हैं। **अगर कोई ऐसा केस होगा जिसको नहीं लगी होगी तो हम उसको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार कर्मचारी हितैषी है और पूर्व कर्मचारी हितैषी है तो मेरा पहला प्रश्न है कि हर चौक पर कर्मचारी धरने पर क्यों हैं? पूर्व कर्मचारी धरने पर क्यों हैं और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? एक तो इसका आप जवाब दें। आपके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया है तो धरने पर क्यों हैं? दूसरा, फिर आप हर बात को किसके सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं? आप केंद्र सरकार के सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को रेवेन्यू

3-9-2026/1135/NS-DC/2

डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली और ऐसे में बड़े एरियर्स बच गए। अगर मिली होती तो अभी तक हम यह कर देते। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने का यह पहला साल है। This is first financial year जहां रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है। इससे पहले तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तीन वर्षों तक मिलती रही। तो उस समय आपने क्यों नहीं दिया? यह भी मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, तीसरा, ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपये अगर आ गए होते तो हम सब कुछ दे देते। आप शायद 1500 करोड़ रुपये वही कर रहे होंगे जो आपदा के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपदा के तहत जो भी पैसा आता है वह पेंशन या सैलरी देने के लिए नहीं आता है।

अध्यक्ष : इन्होंने 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त डिमांड की है, यह वह वाला नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : नहीं, ये 1500 करोड़ रुपये आपदा के ही कह रहे हैं जिसका ये जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और पैसा नहीं दिया। पिछले कल जब जवाब आया मैं देख रहा था तो प्रदेश को बहुत पैसा आया है लेकिन उसके बावजूद भी वह पैसा जिन प्रभावित

परिवारों को आपदा का मिलना था वह पैसा अभी तक नहीं मिला है। वह आपने कहां खर्च कर दिया? वह पैसा आपने बांट दिया। कहां बांट दिया? किसी को मालूम नहीं है? इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इन तीन प्रश्नों के बारे में आप स्पष्ट करें कि अगर आपदा का पैसा आया होगा तो आप उस पैसे को पेंशन और सैलरी में कैसे दे सकते हैं? इन्होंने ओ0पी0एस0 का बहुत जिक्र किया है। पिछले कल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी धरने पर बैठे थे। हजारों कर्मचारी धरने पर बैठे थे। आप कहते हैं कि हमने ओ0पी0एस0 लागू कर दिया और कैबिनेट की पहली बैठक में ही लागू कर दिया लेकिन वे ओ0पी0एस0 की मांग कर रहे थे। ...(व्यवधान) फिर वे धरने पर क्यों बैठे हैं? वे कौन लोग थे जो धरने पर बैठे हुए थे जो आज भी ओ0पी0एस0 की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि आपने ओ0पी0एस0 नहीं दी। आप इन सबके बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

मुख्य मंत्री -----आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

03.09.2026/1140/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 4732... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्रिस्टल क्लियर उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि जब मैं उत्तर दे रहा था तो शायद इनका ध्यान कहीं और था। मैंने यह बात दो बार कही है और अब तीसरी बार कह रहा हूं कि 67 वर्ष से अधिक आयु के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट दे दिए गए हैं। जो कर्मचारी दिनांक 31.12.2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उनके संबंध में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सेवानिवृत्त क्लास-III के लगभग 55 से 57 प्रतिशत कर्मचारियों को एरियर का भुगतान कर दिया गया है। क्लास-IV के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का एरियर दे दिया गया है और 20,000 रुपये पे-एरियर भी प्रदान किया गया है। जहां तक धरने पर बैठे कर्मचारियों का प्रश्न है, लोकतंत्र में अपनी मांगों को उठाना उनका अधिकार है। यदि उनका कोई एरियर शेष है और वे उसके भुगतान की मांग कर रहे हैं तो यह उनका वैधानिक अधिकार है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि वे धरने में बैठकर सरकार को जागृत कर रहे हैं। जो 67 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं वह अच्छी बात है। लोकतंत्र में यह एक अच्छी परंपरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने चुनावों

से पहले छठा वेतन आयोग लागू कर दिया और केवल 50,000 रुपये एरियर देकर कहा कि बाकी चुनावों के बाद विचार किया जाएगा। यह कार्य आपकी सरकार ने किया था। लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी में प्रति व्यक्ति केवल 50,000 रुपये दिए गए। ...(व्यवधान) मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था और मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। आप बीच में क्यों बोलते हो? आप आराम से रहा करो। ...(व्यवधान) आप नेता प्रतिपक्ष हैं और मैं बीच में आपको हंसा भी दूंगा। ...(व्यवधान) आप हर चीज में गुस्सा हो जाते हैं। हम लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम यहां प्रदेश के विकास के लिए आए हैं। मैं बार-बार यह कहता हूं कि आप दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तक प्रदेश पर 76,707 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गए हैं। ...(व्यवधान) इनके प्रश्न से कई सवाल उत्पन्न हुए हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि आर0डी0जी0 इसी वर्ष से बंद हुई है। ...(व्यवधान) मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में प्रदेश को लगभग 60,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय बिक्रम सिंह जी कृपया बैठ जाइए। Let him explain now. Let him explain. ...(Interruption) Bikram Jee, please take your seats. ...(Interruption)

03.09.2026/1140/RKS/HK-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब सच्चाई सामने आती है तो तकलीफ होती है। सच-झूठ का सामना होना ही है और सच ने जीतना ही है।

अध्यक्षः कृपया आप सब बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि इन्हें पांच वर्षों में आर0 डी0 जी0 के रूप में 47,000 करोड़ रुपये मिले जबकि हमें 17,000 करोड़ रुपये मिले थे। ...(व्यवधान) इन्हें 13,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में मिले हैं। इस प्रकार इन्हें 60,000 करोड़ रुपये मिले थे। ...(व्यवधान) इसलिए हमें नुकसान हुआ है। अभी तो हमारे कार्यकाल का चौथा वर्ष है। इन्होंने 1,500 करोड़ रुपये की बात की है। मैं इनकी हर बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों की बात ध्यानपूर्वक सुनता हूं और उसके बाद जवाब देता हूं।...(व्यवधान)

श्री बी0एस0द्वारा जारी

03.09.2026/1145/बी.एस./एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 4732 क्रमांगत...

Speaker : Shri Bikram Singh jee please, take it lightly also at times. It is a lighter reference. Shri Bikram Singh Ji, please take it lightly at times as well. It was a lighter reference. ...(व्यवधान) इसे हल्के संदर्भ में भी लेना चाहिए।

मुख्य मंत्री : ...(व्यवधान) हमने आदरणीय मोदी जी से 1,500 करोड़ रुपये नहीं मांगे थे। मोदी जी खुद हिमाचल आए। हमें बहुत खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आए। हम लोग उनके स्वागत में रहते हैं क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने गग्गल एयरपोर्ट पर मीटिंग ली। उस मीटिंग में आदरणीय जय राम ठाकुर जी भी थे और इन्होंने हिमाचल के संदर्भ में अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने वहां कोई घोषणा नहीं की। बाद में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हिमाचल की इस भयंकर आपदा में मैं 1,500 करोड़ रुपये देता हूं।

वह 1,500 करोड़ रुपये सैलरी के काम नहीं आने थे जैसा कि विपक्ष कह रहा है। हमने अपने स्टेट बजट से जो 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे उसकी क्षतिपूर्ति उससे होनी थी जो हमने पी0डी0एन0ए0 में पैसा खर्च किया था उसकी भी क्षतिपूर्ति उसी से होनी थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य दीप राज जी अपने स्थान पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान) प्लीज बैठ जाइए। अभी मैं अलाउ करूंगा तब बोलिए।

मुख्य मंत्री : अब मैं यह चीज बताना चाहता हूं कि अगर पैसा आएगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा। अगर 1500 करोड़ रुपया पी0डी0एन0ए0 का आएगा तो वह केवल गाइडलाइन्स के हिसाब से ही खर्च होता है लेकिन जब आपदा आती है तब यह नहीं देखा जाता कि दिल्ली से पैसा आएगा या नहीं। तब यह देखा जाता है कि किसका घर टूट गया है। उसका घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ...(व्यवधान) जिसके घर की सड़क टूट गई है उसकी

03.09.2026/1145/बी.एस./एच.के.-2

सड़क बनानी पड़ती है। पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है यह सब स्टेट बजट से खर्च किया जाता है और पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। प्रदेश ने इन ऐतिहासिक तीन वर्षों में दो आपदाएं सही हैं। ...(व्यवधान) हमने जो कार्य किया है उसके लिए तो कम-से-कम धन्यवाद कीजिए। हमारी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक कर रहा है। हमारी प्रशंसा नीति आयोग कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष : आदरणीय शांता कुमार जी भी प्रशंसा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आदरणीय शांता कुमार जी भी कर रहे हैं परंतु आप लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने यह इसलिए कहा था...(व्यवधान)

Speaker : Today is last day enjoy yourself, don't be under stressed. ...(Interruption) This is very important issue which is being replied by the Hon'ble Chief Minister. Please take your seat. ...(Interruption) It is a very important issue. Relax, relax ...(Interruption) Please, please, Hon'ble Member Shri Deep Raj ji, take your seat. आपका नाम पेपर में आ गया।

मुख्य मंत्री : यह बात हमने इसलिए कही कि हम चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करते। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को देखकर और सहयोग से काम करते हैं और रही बात इनकी तो माननीय सदस्य की बात का मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। ये राजनीतिक लाभ के लिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी बहुत समय है। अभी हमको 3वर्ष 8 महीने ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए। 3 वर्ष 8 महीने 23 दिन हुए हैं। ...(व्यवधान) आप निश्चिंत रहिए। हम शिक्षा में भी सुधार करेंगे और हर जगह सुधार करेंगे, धन्यवाद।

03.09.2026/1145/बी.एस./एच.के.-3

प्रश्न संख्याः 4733

श्री आर0 एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न पटवार वृत्तों में पार्ट-टाइम वर्कर्ज के रूप में कार्यरत कितने कर्मचारी हैं और क्या उनको जल शक्ति विभाग में फिटर और पंप ऑपरेटर के लिए जिस तरह 8 वर्ष के अंदर नियमित करने की एक पॉलिसी बनाई गई है कि पहले उन्हें जॉब ट्रेनी और उसके बाद उन्हें रेग्युलर किया जाएगा। मेरा सवाल यह था अध्यक्ष महोदय कि क्या इस महकमे में भी उसी श्रेणी के जो पार्ट टाइम वर्कर हैं जो बिल्कुल फील्ड पर काम करते हैं और जिनको सबसे कम पैसे मिलते हैं तथा जिन्होंने अपना निर्धारित समय पूरा कर लिया है और जिनको 7-8 वर्ष होने को आए हैं क्या उन लोगों को भी उसी पॉलिसी के तहत रेग्युलर किया जाएगा जिसके तरह जल शक्ति विभाग में किया जा रहा है? जल शक्ति विभाग के संबंध में मुख्य मंत्री महोदय जी से जब सवाल हुआ था तो उसके उत्तर में कहा कि

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

03.09.2026/1150/DT/YK -1

प्रशन संख्या 4733 जारी.... श्री आर0एस0 बाली जारी....

जितने भी पार्ट-टाइम वर्कज तथा मल्टी टास्क वकर्ज हैं उनको इस श्रेणी में लाया जा रहा है और उनको मिनिमम वेजिस देने की तैयारी की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनके महकमे में पटवार सर्कल में जो पार्ट-टाइम वकर्ज हैं, क्या उनको भी इसी श्रेणी में लाया जा रहा है? क्योंकि उनको भी उतनी ही जरूरत है जितनी लोक निर्माण विभाग के पार्ट-टाइम वकर्ज को, जल शक्ति विभाग के पार्ट-टाइम वकर्ज को, एजुकेशन के पार्ट-टाइम वर्कज तथा प्रदेश के किसी भी महकमे में कार्यरत पार्ट-टाइम वर्कज को है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पार्ट-टाइम वर्करों को भी पॉलिसी के तहत रेगुलराइज करने की बात कही है। यह दायित्व कार्मिक विभाग का है। प्रदेश के

जितने भी कर्मचारी हैं या जो पार्ट-टाइम वर्कर हैं या डेली वेज वकर्ज हैं उनके लिए पॉलिसी का निर्धारण कार्मिक विभाग करता है और यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है। राजस्व विभाग में जो पार्ट-टाइम वकर्ज हैं, उनको सात वर्ष के बाद डेली वेज पर लाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश दिए जाते हैं उनके तहत इनको डेली वेज पर लाया जाता है। अभी 608 के करिब और कुल 1861 पार्ट-टाइम वकर्ज नियुक्त हुए थे जिसमें से अभी तक डेली वेज में 1253 आ गए हैं और 608 अभी शेष हैं जिनको डेली वेज पर लाना है। जैसे ही कार्मिक विभाग से इसकी अनुमति मिलती है और आदेश किए जाते हैं तो इनको भी डेली वेज कर दिया जाएगा। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि राजस्व विभाग में सात-सात वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। जैसे माननीय सदस्य ने बताया है कि दूसरे विभागों में विशेषकर जल शक्ति विभाग में जिकिया गया है उसी तर्ज पर इनके लिए भी व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

03.09.2026/1150/DT/YK -1

प्रश्न संख्या 4734

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि बड़सर विधान सभा क्षेत्र में केवल मात्र एक ही विधवा महिला है एकाकी तथा परित्यक्त महिला है। अन्य महिलाओं का क्या हुआ? आपने अपने पौने चार वर्ष के कार्यकाल में केवल एक मकान दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी और महिलाएं पंजीकृत हैं जो पात्र हैं और इससे वंचित रह गई हैं, उनका ब्यौर आप देगें?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने पूरा उत्तर विस्तृत रूप से दिया है। मुख्य मंत्री आवास योजना वर्ष 2016 में केवल सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत कम घर मिला करते थे। इसी के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 तक करीब 2295 घर दिए गए हैं। इसमें 100 प्रतिशत स्टेट शेयर होता

है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 90:10 का रेशो है, उसी प्रकार इसमें 100 प्रतिशत राशि स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से ही देती है। क्योंकि वर्ष 2023-24 के बाद करीबन 93,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में आए थे और वे आबंटित किए गए थे। उसके बाद इसमें फंडिंग नहीं की गई। यह बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले तीन वर्षों में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत केवल एक विधवा लाभार्थी श्रीमती सुनीता देवी उर्फ गीता पत्नी स्वर्गीय श्री राजेश कुमार, गांव मुसन, डाकघर सलौणी गाम पंचायत मक्केड तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, को 1.5 लाख रुपये की राशि दी गई है। परंतु प्रोविजन यह है कि अगर कोई लाभार्थी रह गया हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत लोग कवर हुए हैं। मैंने कल ही जवाब दिया था कि हमारा पांच वर्ष में दो लाख कुछ हजार घरों का लक्ष्य है। उसमें भी आप सभी पात्र लोगों से अप्लाई करवा दें ताकि उसमें उनको सैंक्शन हो सके।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1155/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4734जारी---- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के पश्चात..... जारी

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस स्कीम को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया है, जो तथ्यों से परे है। मुख्य मंत्री महोदय ने अपने प्रथम बजट भाषण में कहा था कि पूरे प्रदेश में जितनी भी विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं या एकल महिलाएं हैं, उनकी जो गणना की गई थी, वह लगभग 1700 के आसपास थी, उन महिलाओं को हम मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से पैसा देंगे। तो उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना तो अलग है। जो विधवा, परित्यक्ता या एकाकी महिलाएं हैं, उनके बारे में सरकार ने जो मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से घर/पैसा देना था, उसका क्या हुआ? यह मंत्री महोदय बताएं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि मुख्य मंत्री आवास योजना वर्ष 2016-17 से शुरू हुई थी। इसके तहत हमारी सरकार में वर्ष 2022-23

में 1,431 मकान, वर्ष 2023-24 में 511 मकान और वर्ष 2024-25 में 353 मकान अलॉट किए गए। माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी बोल रहे हैं कि इसमें इसके बाद क्यों नहीं किए गए। ये एकल नारी की बात कर रहे हैं या लैपरोसी, एच0आई0वी0, कैंसर पेशेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट की अन्य स्कीम्स से भी मकान दिए जा सकते हैं। **मैं माननीय सदस्य से पुनः आग्रह करूंगा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करवाएं और उनको वहां से भी मकान उपलब्ध कर दिया जाएगा।**

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एकल नारी, परित्यक्ता नारी और विधवा महिला—हमारी सरकार इनका विशेष ख्याल रखती है। हमारी सरकार में कई योजनाएं हैं, जोकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेबर वेलफेयर बोर्डऔर कल्याण विभाग से भी कई योजनाएं चल रही हैं। जो एकल नारी है, उसको हम मकान देते हैं और उसके लिए 3 लाख रुपये देते हैं।

03.09.2026/1155/वाई.के.-एन.जी./2

जो छोड़ी हुई महिला है लेकिन उसका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ तथा पति कहीं और रहता है, उस नारी के लिए भी हम योजना लेकर आते हैं। मेरा यह मानना है कि महिलाओं को कई योजनाओं से घर देने के नियम बनाए हुए हैं। इन योजनाओं से अनेक महिलाओं को घर उपलब्ध होंगे। **मैं माननीय सदस्य को इनके विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से कितने मकान उपलब्ध हुए हैं, वह भी दे दूंगा और हमारी एकल नारी योजना के तहत भी कौन से घर उपलब्ध हुए, वह भी दे दूंगा।** ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर कई योजनाएं नहीं आती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना आती है। हमारी सरकार महिलाओं के प्रति और महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा सोचती है। हमारी सरकार का प्रयास रहता है कि जो छोड़ी हुई लेडी है, जो विधवा है, उनको किसी-न-किसी प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। जैसे कि अभी हमने विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा, चाहे वह डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं—डॉक्टर की फीस 1 साल की 1 लाख होती है— उठाते हैं और इसके लिए हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री सुख शिक्षा

योजना शुरू की है। हम उनको वह पैसा देते हैं। हम उन्हें ट्यूशन का पैसा भी दे रहे हैं। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं। मकान के लिए भी कई योजनाएं हैं। उसकी डिटेल अगर कंपोजिट मांगी जाती है, तो हम आपको बताते।

03.09.2026/1155/वाई.के.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या - 4735

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में जो करियर एडवांसमेंट स्कीम थी, वह चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में दिनांक 01 अक्तूबर, 2022 को बंद कर दी गई। जिसकी वजह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनकी प्रमोशन के जितने भी चैनल हैं, वे सभी बंद हो गए हैं। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स 15-15, 17-17 सालों से उसी पद पर कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि दिनांक 19 जनवरी, 2025 को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की एक चिट्ठी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जाती है, जहां पर वे कहते हैं कि

पी0बी0 द्वारा......जारी

03.09.2026/1200/AG/PB/1

प्रश्न संख्याः 4735 क्रमांगत...श्री आशीष बुटेल...जारी

आप re-designation of post तो कर लें लेकिन कोई financial benefit आपको नहीं मिलेगा। कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो दिनांक 1.10.2022 को 'सी0ए0एस0' स्कीम बंद होने की तारीख को एलिजिबल हो गए थे। क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त कराएंगे कि जो

कर्मचारी दिनांक 1.10.2022 को एलिजिबल थे, कम-से-कम उन्हें 'सी0ए0एस0' के एम्बिट में जरूर लिया जाए?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, करियर एडवांस स्कीम की जो व्यवस्था थी वह 4-9-14 के अनुसार थी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के चार वर्ष पूरे होने के बाद वह एसोसिएट प्रोफेसर बनता था और नौ वर्ष पूरे होने के बाद प्रोफेसर बनता था। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना पैटर्न बदल दिया और नए स्केल इम्प्लीमेंट कर दिए। ये नए स्केल दिनांक 1.1.2016 को इम्प्लीमेंट किए गए। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को दिनांक 3.1.2022 को बंद कर दिया। जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि उस समय क्वालिफाई करने वाले कर्मचारी इस स्कीम से वंचित रह गए हैं। **सरकार इस विषय पर विचार करेगी और जो कर्मचारी वंचित रह गए हैं उनको भी सरकार के निर्णय के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।**

प्रश्न काल समाप्त।

03.09.2026/1200/AG/PB/2

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to say something?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की ओर से एक सुझाव आया है कि नेपाल में जो प्रलय आया है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और विधायक दल की ओर से भी कुछ योगदान किया जाए। इस संदर्भ में मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार इस आपदा में योगदान करना चाहते हैं, वह कुछ-न-कुछ योगदान अवश्य दें। इसमें सरकार भी कुछ योगदान देने की दृष्टि से आगे बढ़ेगी।

Speaker: I am starting the Zero Hour now.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज जीरो आवर को शॉर्ट किया जाए और प्रश्न के उत्तर माननीय सदस्यों को लिखित में दिए जाएं। आप सदन की कार्यवाही को

थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि हमारा दिल्ली में एक कार्यक्रम है जिसमें मुझे जाना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा और सभी सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि आप इनके रिप्लाई रिटन में दे दीजिए। ...(Interruption)

Speaker: All the issues which are listed under the Zero Hour will be replied by the respective Hon'ble Ministers in the shape of written reply. ...(Interruption) We are deferring it. ...**(Interruption)** माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आज शून्य काल में लगभग 11 इश्यूज हैं जिन्हें आज सुबह ही दिया गया है।...(व्यवधान) कृपया आप मुझे सुन लीजिए।...(व्यवधान) ये इश्यूज आज सुबह दिये गये हैं। वैसे तो ये एक दिन पहले आने चाहिए थे ...(व्यवधान) जो नियम हमने आपको भेजे हुए हैं आप उन्हें ठीक से नहीं पढ़ते हैं। ये इश्यूज एक दिन पहले आ जाने चाहिए ताकि उनके नोटिस संबंधित विभागों को भेजे जा सकें। Except one or two, most of the issues have been given in the morning itself. We have listed those issues. और हम पिछले दस दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जब शुन्य काल शुरू हुआ था तो मैंने सभी मंत्रीगण से आग्रह किया था कि आप इन इश्यूज पर जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए। अब उनका रिस्पॉन्स आना भी शुरू हुआ है। अब यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे आधा घंटा चला दूंगा।

03.09.2026/1200/AG/PB/3

इसमें कोई परेशानी नहीं है...(व्यवधान) यदि इसमें आम सहमति हो जाये तो यह अच्छी बात है।...(व्यवधान) आम सहमति ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी, आप मान जाइये...(व्यवधान) शुन्य काल को चलने दीजिए।...(व्यवधान) He is to go to a very important meeting at 4 o'clock....(व्यवधान) आप लंबे-लंबे भाषण देते हैं, that is the problem. ...(Interruption) I would request the Hon'ble Chief Minister, let him go, and you can reply on behalf of the Hon'ble Chief Minister. Let him go. He should not be under any stress. ...(Interruption) We will take care of all issues.

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1205/ए0जी-ए0पी0/-01

मुख्य मंत्री : ये जो शून्य काल है, इसमें कोई मंत्री रिप्लाई नहीं देंगा। आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद सारे मंत्री चुप रहेंगे, उसका क्या फायदा होगा? मेरा कहने का मतलब है कि...(व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दें। आप पेशेंस न खोया करें। उनके रिप्लाई में आप ही हमें डायरेक्शन देंगे और हम इनको रिटर्न में रिप्लाई दे देंगे। अगर आपने शून्य काल में जबरदस्ती करनी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हाउस को मेजॉरिटी वॉइस देख लें।

अध्यक्ष : इसमें मेरा सुजेशन है कि शून्य काल को आधे घंटे के लिए डिफर कर देते हैं। शून्य काल को हम after lunch लेंगे। Let him go. We will take up the Zero Hour after lunch. Let us do the business first. We defer it after lunch.

03.09.2026/1205/ए0जी-ए0पी0/-02

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(i)बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, अध्याय-X। विविध प्रावधान की धारा-45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26;

(ii)भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (संयुक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023- 2024 (अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024- 2025 (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

03.09.2026/1205/ए0जी-ए0पी0/-03

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक (15) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

03.09.2026/1205/ए0जी-ए0पी0/-04

"हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी। The Government has also moved an amendment into this. I request the Hon'ble Minister, since you are amending it, to explain the amendment so that the Members can deliberate on that also. आप बिल को एक्सप्लेन कर दो।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

03.09.2026/1210/AT/AS/01

राजस्व मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट्स हमने इसमें प्रपोज किए हैं और जो शेड्यूल हैं उसमें टोटल 65 आर्टिकल्स के अगेंस्ट 49 में हम अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। इससे पहले हमारे दो बिल थे, जिन्हें कल हमने विड्रॉ किया है। वे दोनों बिल भी प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए पेंडिंग थे। उनमें से एक वर्ष 2023 से और एक 2026 से पेंडिंग था। हमने उनको इसलिए वापस लिया है क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट हमने प्रेजेंट किया है, उसके साथ फिर उसमें कुछ संशोधन करना संभव नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब तक उसका एसेंट मिलता, तब तक हमारा यह बिल भी पेंडिंग रह जाना था। इसलिए हमने उन दोनों बिलों को वापस लेकर अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है, उसमें 49 आर्टिकल्स हैं। इसमें ज्यादातर शेड्यूल में अलग-अलग कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी के रेट्स थे, उनमें हमने बढ़ोतरी की है। एक अमेंडमेंट हमने इस बिल को आने के बाद कि है। उसमें जो GPA है, वह बाहर के लोग आकर हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। खासकर हमारे जो बॉर्डर से लगते इलाके हैं, वहां हरियाणा और पंजाब से लोग आकर हिमाचल प्रदेश में GPA बनाकर ले जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके इलाकों और क्षेत्रों में GPA के जो रेट्स हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। इस कारण हिमाचल में आकर एक तरह का करप्शन हो रहा है। यहां पर

फर्जी तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए पंचायतों के लोगों या नंबरदारों को खड़ा कर दिया जाता है और इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमने कहा है कि GPA के मामले में, यदि कोई नॉन-हिमाचली व्यक्ति, जिसकी प्रॉपर्टी बाहर है और वह हिमाचल प्रदेश में आकर GPA कर रहा है, तो उसके लिए हमने रेट निर्धारित किया है, ताकि इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह रुके। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा और बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं, उनमें नेचुरली रेवेन्यू जनरेट करने की बात है। लंबे समय से हम कभी कुछ एक आर्टिकल में बदलाव करते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने विस्तृत रूप से 49 आर्टिकल्स में अलग-अलग कार्यों के लिए रेट निर्धारित किए हैं, जो प्रदेशहित में हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

03.09.2026/1210/AT/AS/02

Speaker : Hon'ble Chief Minister, wants to say something.

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बिल लाया है, उसे हमने बड़े रिफॉर्मेटिव वे में प्रस्तुत किया है। इस बिल को हमने पहले भी प्रस्तुत किया गया था पर उस में हमें सहमति नहीं मिली। जैसे कि मंत्री जी ने बताया, इसमें महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी महिलाएं अगर एक करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदती हैं, तो उनसे 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी ली जाती है। हमने उस स्टांप ड्यूटी को कम करके 4 प्रतिशत कर दिया है, ताकि महिलाओं को अपने अधिकार से अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिले और उनके नाम पर ज्यादा रजिस्ट्रियां हों। हमारा प्रयास है कि महिलाओं को हमारे राज्य में जितना ज्यादा संभव हो, उतना अधिकार मिले। इसी तरह करवा चौथ और रक्षाबंधन की भी छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। प्रॉपर्टी राइट्स में भी महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था। 1971 के जो एक्ट में प्रॉपर्टी राइट्स का प्रावधान था उसमें भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। हमने उसको भी बहाल किया है। वह एक्ट भी हमारा फंसा हुआ है, ताकि उसमें प्रॉपर्टी राइट्स में महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। इन सभी दृष्टिकोणों से यह बिल महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि इस बिल को सदन के सभी सदस्य सर्वसम्मति से, ध्वनिमत से पास करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा होगी। प्रस्ताव को मैंने पहले ही प्रेजेंट कर दिया है। Now Hon'ble Member Shri Trilok Jamwal Jee, wants to take part in deliberation.

श्री त्रिलोक जम्वालः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, (2026 का संख्या 12), आज यहाA प्रस्तुत हुआ है। इस विधेयक में मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बड़ी अमेंडमेंट्स इसमें मूव की गई हैं। हमारे टोटल 65 आर्टिकल्स में से 49 में सरकार ने

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी......

03.09.2026/1215/AV/AG/1

श्री त्रिलोक जम्वाल------- जारी

चेंजिज सजैस्ट किए हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो पूरे एक्ट में जो-जो चार्जिज लगते थे, उन चार्जिज को एनहांस करने का काम किया है क्योंकि 65 में से 49 आर्टिकल्ज में चेंज यानी पुराने वाले पूरे एक्ट में आप चेंज या अबोलिश कह सकते हैं। उसके ऊपर जो-जो भी ड्यूटीज हैं, वे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने जो एक वर्शन रखा कि हमने महिलाओं को प्रोपर्टी की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी डिक्रीज की है; यह केवल एक पहलू है और मुझे लगता है कि पहले यह शायद 6 प्रतिशत थी जिसको अब 4 प्रतिशत किया है। परंतु इसके अलावा भी इश्यूज हैं जिसमें हमारे लोगों के जो छोटे-छोटे प्रमाणपत्र बनते हैं, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि राजस्व में केवल प्रोपर्टी लेने या देने तक कार्य सीमित नहीं हैं। राजस्व से संबंधित कार्य प्रत्येक परिवार से जुड़ा होता है। अगर किसी परिवार में अनहोनी होती है तो लीगल हीयर सर्टिफिकेट बनता है और आगे प्रोपर्टी के राइट्स कंवर्ट व ट्रांसफर होते हैं। आपने म्यूटेशन करवानी है तो उसकी फीस भी अलग से लगती है जोकि बढ़ा दी गई है। आपने गांव के गरीब आदमी के लिए कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा, वह बड़ी मुश्किल से पटवारी के पास जाता है कि मेरा यह काम कर दीजिए। लेकिन

अब उसको उसके लिए भी फीस देनी पड़ेगी। उसमें पहले जहां 10-20 रुपये तक लगते थे उसके लिए आपने अब 500 रुपये तक की अमेण्डमैंट प्रपोज की है।

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, मैं सारे आर्टिकल्ज में देख रहा हूं कि सौ रुपये से कम अमेण्डमैंट कहीं नहीं है। इसमें मिनिमम सौ रुपये रखे गए हैं तथा उसके बाद जितने भी 49 आर्टिकल्ज में अमेण्डमैंट्स हैं वह 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये तथा 5000 रुपये तक की गई है। इस तरह से गांव का गरीब आदमी कहां जाएगा? सरकार अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए गांव के गरीब आदमी को इस तरह से न निचौड़े। वह बेचारा बेबस होकर पटवार सर्कल में जाता है, वहां पर खुशी से कोई नहीं जाता अपितु अपनी प्रोपर्टी की देखभाल के लिए जाता है। पहले उसको उसकी प्रोपर्टी की पास बुक मुफ्त में दी जाती थी परंतु आपने उसके ऊपर भी चार्जिज लगा दिए।

03.09.2026/1215/AV/AG/2

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, 2026 में बेतहाशा वृद्धि की गई है। मैं इन सारी अमेण्डमैंट्स को एक-एक करके नहीं पढ़ना चाहूंगा परंतु आप इतना मत बढ़ाइए। मैं यह कहना चाहूंगा कि अण्डे देने वाली मूर्गी को एक दिन में ही हलाल मत कीजिए बल्कि गांव के गरीब आदमी को ध्यान में रखकर अमेण्डमैंट्स होनी चाहिएं। मैं यहां सभी 29 अमेण्डमैंट्स को नहीं पढ़ना चाहूंगा कि किसमें 500 रुपये बढ़ी या किसमें 1000 रुपये या 5000 रुपये बढ़ाए हैं, इस चार्टर में सब कुछ लिखा गया है। लेकिन यह बेतहाशा वृद्धि है। आप इन्क्रीज कम कीजिए बाकी आपने महिलाओं को जो लाभ देने हैं वह आप दीजिए, आपने यूनिफॉर्मिटी करनी है वह भी ठीक बात है। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। अभी जो काम ऑनलाइन होते हैं तो उस गरीब आदमी को उसके पैसे भी देने पड़ते हैं और फिर पटवार सर्कल में काम होने पर उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे। इस तरह से तो चार्जिज के ऊपर चार्जिज लग रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्टाम्प ड्यूटी एक्ट गरीब आदमी के विरुद्ध है। पहले पावर ऑफ अटॉर्नी 50 रुपये की बनती थी परंतु अब 1000 रुपये में बनती है। आप खुद ही सोचिए कि 50 रुपये

और 1000 रुपये में कितना फर्क है। आप 50 रुपये से 100 रुपये कर सकते थे परंतु 50 रुपये से 1000 रुपये कर देना कितना न्यायसंगत है? इण्डियन स्टाम्प एक्ट में भी अपना शैड्यूल और रोस्टर है, उसमें भी सारी चीजें डिफाईन होती हैं। उस स्टाम्प एक्ट का एक फॉमूला है जो हम हाई कोर्ट में सदा से करते रहे हैं कि किस प्रोपर्टी की इवैल्यूएशन कैसे होगी।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2026/1220/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री त्रिलोक जम्वाल.... जारी

अगर छह लाख रुपये तक की राशि है तो कितने रुपये लगेंगे और छह लाख रुपये से ऊपर की राशि होने पर प्रत्येक एक लाख रुपये के ऊपर 1000 रुपये लगते हैं। लेकिन यहां जो वृद्धि हुई है, वह बेतहाशा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स मूव हुई हैं तथा साथ में जो अमेंडमेंट हुई है उसे विड्रॉ किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2026 का यह विधेयक संख्या 12 है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार की ओर से यह बिल मूव किया गया है। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने आपके माध्यम से इस सदन और प्रदेश को जो जानकारी दी है, मैं उससे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है और संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए कि आर्थिक संकट के कारण हम ऐसे लोगों से भी पैसा लेने का प्रयास करें जो देने की स्थिति में नहीं हैं और जिनके ऊपर अपने परिवार को चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वे बड़ी कठिनाई से उस जिम्मेवारी को निभा पा रहे हैं और हम

उनके ऊपर टैक्सिज तथा सैस लगाते-लगाते ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दें कि उनका जीना बहुत कठिन हो जाए।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि काफी अरसे से इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई है। आप इसमें कुछ पोर्शन लेते है लेकिन आप तो सैक्शन-65 में से 49 में अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं यानी पूरा-का-पूरा सैक्शन अमेंड कर रहे हैं तो बचा क्या? इसमें कोई वर्ग नहीं छूटा है।

03.09.2026/1220/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

एफिडेविट जो 20 रुपये में होता था उसको आपने 100 रुपये कर दिया है। अडॉप्शन डीड जो 1,000 रुपये में होती थी उसको डबल करके 2,000 रुपये कर दिया है। अपॉइंटमैंट-इन-एक्जिक्यूशन ऑफ पावर को 100 रुपये से सीधा 1,000 रुपये कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट वृद्धि है यानी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सर्टिफिकेट-ऑफ-सेल को 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कर दिया है। अवॉर्ड को 500 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया है। ड्राइवर्स इंस्ट्रूमेंट को 100 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कितना बड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया है। एंट्री-एज -एडवोकेट जो वकील को देते हैं उसको 1,000 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया है और नोटरी को एक्ट के मुताबिक जो देना है उसको 10 रुपये से बढ़ाकर सीधा 100 रुपये कर दिया गया है। पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें भी 200 रुपये से 5,000 रुपये कर दिए हैं। मतलब जहां 200 रुपये दिए जाते थे, वहां उसके बदले 5,000 रुपये लगेंगे। माननीय मंत्री जी यहां पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र कर रहे थे उसमें जहां 1,000 रुपये लगता था वहां बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। जहां 2,000 रुपये लगता था वहां 3,000 रुपये कर दिया गया है और जहां 4,000 रुपये लगता था वहां 5,000 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार कोई सेक्शन ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिसमें इंक्रीज़ नहीं की गई है। इंक्रीज़ भी बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है।

मुख्य मंत्री जी अपनी बात कहकर चले गए और कहते हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं तथा हमने महिलाओं के हर वर्ग का ख्याल रखा है लेकिन जो रजिस्ट्रेशन

चार्जिज हैं उनमें आपने एक करोड़ रुपये तक 4 प्रतिशत रखा है लेकिन एक करोड़ रुपये से

एन0एस0 द्वारा .... जारी

3-9-2026/1225/NS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर------जारी

ज्यादा होगा तो 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। बाकी लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जिज का जिक्र किया है उसमें 40 लाख रुपये तक 6 प्रतिशत है और 40 लाख रुपये से ऊपर 8 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मंशा क्या है? यह रेवेन्यू का जो बिल लाया है तो मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लेकिन ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि हिमाचल प्रदेश में इस इंक्रीज की वजह से जो अभी इस बिल के माध्यम से प्रपोज की गई है उससे ट्रांजेक्शन ही रुक जाए। लोग आगे बढ़ना ही छोड़ दें, मुझे ऐसा लगता है। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि ये जो इंक्रीजिज की गई हैं आउट ऑफ 65, आर्टिकल-49 तक अमेंडमैंट मूव की हैं तो ये बहुत ज्यादा हैं। इस पर आप पुनः विचार कर लीजिए और थोड़ा इसको कम कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि नेगी जी, आप तो ट्राइबल इलाके से हैं, थोड़ा प्रदेश के लोगों के ऊपर रहम कीजिए। अपनी सरकार को चलाने के लिए और सरकार के खर्चे को चलाने के लिए हर बात को लेकर टैक्सिज लगाकर गरीब लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कतई भी वाजिब नहीं है और कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए और गरीब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, आप इस बिल को फिलहाल वापस लें और वापस लेने के बाद पुनः विचार करें। जहां स्लाइट सी इंक्रीज थोड़ी जगह पर करनी है उस पर आप फिर से जरूर बिल लेकर आइए।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि यह बिल इससे पहले भी पारित हुआ था लेकिन उसमें राष्ट्रपति की असेंट अभी तक नहीं मिल पाई है और वह अवेटिड है। इस कारण से इसको लाना पड़ा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर भी आप विचार करें कि

हम इस बिल को यहीं रोक दें, वापस लें और उसके बाद अमेंडिड फॉर्म में फिर से अगले सत्र में लेकर आएं और विचार करें। यही मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

3-9-2026/1225/NS-DC/2

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य त्रिलोक जम्वाल जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर जी ने इस बिल के विरुद्ध अपने विचार रखे हैं। मैं पहले

3-9-2026/1225/NS-DC/2

श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि श्री त्रिलोक जम्वाल जी थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे। ये पटवारी तक ले आए। पटवारी के पास कोई स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर उसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। पटवारी के पास कोई स्टाम्प ड्यूटी ही नहीं लगती है। अभी रेवेन्यू मेनेजमैंट सिस्टम के तहत सारे-के-सारे काम ऑनलाइन हैं। आपको नक्शा चाहिए तो ऑनलाइन है, आपको कोई जमाबंदी चाहिए तो ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। इन्होंने अब एफिडेविट के बारे में जिक्र किया। हमने एफिडेविट का शुल्क 100 रुपये बढ़ाया है। बी0जे0पी0 रूल्ड स्टेट्स जैसे बिहार वहां भी 100 रुपये शुल्क है। वहां पहले से ही 100 रुपये शुल्क है। हम तो अब 100 रुपये कर रहे हैं। मैं आपको यह डिटेल देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में भी 100 रुपये शुल्क है। अब माननीय जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि रहम करना चाहिए। अब मैं तो मरहम ही लगा रहा हूं। रहम तो केंद्र सरकार को करना चाहिए जिसने हर चीज में महंगाई कर दी है। पेट्रोल, डीजल, खाना, राशन, कोई चीज नहीं छोड़ी है। ये आर्टिकल-49 की बात कर रहे हैं तो इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो पे कर सकते हैं। गरीब आदमी का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। अब कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर रहा है तो वही करेगा जिसके पास प्रॉपर्टी है। इनके अपने आंकड़े हैं और उसके अनुसार 80 करोड़ लोग तो वे हैं जो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हैं। हम विश्वगुरु कैसे बन गए? स्टाम्प ड्यूटी जिसका जिक्र श्री जय राम ठाकुर जी कर रहे थे अगर आप शैड्यूल-49 देखें, तो उनमें सबसे पहले Acknowledgment of Debt है

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

03.09.2026/1230/RKS/HK-1

राजस्व मंत्री... जारी

जो उधार लेने से संबंधित है। उसमें हमने केवल मामूली वृद्धि की है। उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेशन बॉंड है जिसका गरीब व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं होता। फिर अडॉप्शन डीड है। गरीब आदमी बच्चे कहां गोद लेते हैं? जिन अमीर लोगों के बच्चे नहीं होते, वे बच्चे अडॉप्ट करते हैं। गरीबों के पास तो बच्चों की कमी ही नहीं है। एफिडेविट के संबंध में भी मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आप करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था लागू है और वहां आपकी पार्टी की ही सरकार है। इसी प्रकार Memorandum of Agreement से संबंधित मामलों में भी वही व्यक्ति अपनी संपत्ति सेल करेगा जिसके पास प्रापर्टी होगी। वर्ष 2012 में इसमें कुछ वृद्धि की गई थी। उसके बाद आज तक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इंकम टैक्स का भुगतान करते हैं और स्टैम्प ड्यूटी का प्रभाव भी मुख्य रूप से उन्हीं पर पड़ता है। पहले महिलाओं को 6 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था। हमने महिलाओं को राहत देते हुए यह प्रावधान किया है कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति के विक्रय एवं पंजीकरण पर स्टैम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है। क्या माननीय सदस्य इसका भी विरोध कर रहे हैं? क्या आप महिलाओं को दी गई इस रियायत के विरोधी हैं? ...(व्यवधान) आप इसका विरोध कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आपने शेड्यूल-49 के लगभग सभी प्रावधानों का विरोध किया है। ...(व्यवधान) हम भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से लोग यहां आकर *GPay* के माध्यम से लेन-देन करते हैं। ऐसी हेराफेरी को रोकने के लिए हमने शुल्क में वृद्धि की है। यदि कोई गैर-हिमाचली व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आकर *GPay* करता है और उसकी संपत्ति हिमाचल प्रदेश से बाहर है तो उससे तीन लाख रुपये लिए जाएंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से वह कम-से-कम हेराफेरी तो नहीं करेगा। वह यहां आकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को करप्ट कर रहा है। कई बार ऐसे मामलों में पहचान करवाने वाले स्थानीय व्यक्तियों,

नंबरदारों या पंचायत प्रतिनिधियों को भी करप्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए यह कदम भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भी आवश्यक है। साथ ही हम महिलाओं को सम्मान और रियायत प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद पहली बार कुछ सीमित वृद्धि की गई है। जब केंद्र

03.09.2026/1230/RKS/HK-2

सरकार समय-समय पर पेट्रोल आदि पर वृद्धि करती है तो क्या राज्य सरकार को भी अपनी आय बढ़ाने का अधिकार नहीं है? हमें केंद्र से आर0डी0जी0 नहीं मिल रही है। जी0एस0टी0 कंपनसेशन और इंकम टैक्स में भी हमारे राज्य के हिस्से का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि राज्य सरकार उन लोगों से कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर रही है जो भुगतान करने में सक्षम हैं तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। गरीब व्यक्ति को हमने किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया है। अतः मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : अब यह चर्चा समाप्त हुई। अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

खण्ड-2 में सरकार की ओर से जो संशोधन आया है उसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूंः

"At page25, in article 48, in third column,-

a. after the words " attorney is executed", the words "by and" shall be inserted; and
b. for the words and signs "state of Himachal Pradesh, or", the words "the State of Himachal Pradesh and" shall be substituted."
c. the word "movable or" shall be omitted

खण्ड-2 पर भी चर्चा हो गई।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन सरकार की ओर से आया है उसे स्वीकार किया जाए?

संशोधन स्वीकार हुआ।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार।

03.09.2026/1230/RKS/HK-3

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन)विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026(2026 का विधेयक संख्यांक 12) को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) संशोधित रूप में पारित हुआ।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

03.09.2026/1235/बी.एस./एच.के.-1

बिल न0 12 के बाद...अध्यक्ष जारी...

अब ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

यदि कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं और ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये जो अमेंडमैंट लेकर आए हैं वैसे ऑर्डिनेंस लाकर इसे दिनांक 6 मई, 2026 को ही लागू कर चुके हैं। परंतु यह बहुत ही विवादित विषय है। जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के 7 मई से नामांकन शुरू होने थे। नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले ऑर्डिनेंस लाकर इस तरह का अमेंडमैंट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी और उसका क्या उद्देश्य था?

क्योंकि पहले से यह व्यवस्था रही है और इसी व्यवस्था के तहत पहले भी चुनाव हुए हैं कि जो व्यक्ति एंक्रोचमैंट करता है वह व्यक्ति या उसके परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। परिवार की परिभाषा में दादा, दादी उसका बेटा मतलब पिता पत्नी आगे उसका बेटा और अविवाहित पुत्री आते थे। पुत्र वधू उसमें नहीं आती थी।

अध्यक्ष महोदय, हर बार ऐसे ही चुनाव होते आए हैं। इस बार अचानक जब 7 मई से नामांकन भरे जाने थे तो 6 मई को परिवार की परिभाषा में पुत्र वधू को जोड़कर

03.09.2026/1235/बी.एस./एच.के.-2

उसको भी चुनाव लड़ने से रोकने का काम इस सरकार ने किया जो मैं समझता हूं कि अलोकतांत्रिक है।

एंक्रोचमैंट तो दादा ने कर दी या उस लड़की के ससुर ने कर दी और आप उस पुत्र वधू पर रोक लगा रहे हैं। अवस्थी जी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षण को लेकर आया है कि महिलाओं का रिजर्वेशन उनकी पेरैंटल जाति से तय होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जब जाति पेरैंटल तय होगी तो एंक्रोचमैंट का विषय ससुराल का क्यों आ रहा है? ...(व्यवधान) आप बात सुनिए। बैठे-बैठे मत बोलिए।

आप यह अलोकतांत्रिक निर्णय लेकर ऐसी महिलाओं को जिनका कोई कसूर नहीं है और जिन्होंने एंक्रोचमैंट नहीं किया है चुनाव लड़ने से वंचित कर रहे हैं। जब एंक्रोचमैंट की गई होगी तब शायद वह उस परिवार का हिस्सा नहीं होंगी। शायद वह उस समय पैदा भी नहीं हुई होंगी।

आप उन महिलाओं को चुनाव लड़ने से वंचित कर रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है और जिनके माता-पिता का भी कोई कसूर नहीं है। उनके ससुर ने या उनके पति ने शादी से पहले एंक्रोचमैंट की है। आपने अचानक उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। मुझे लगता है कि यह कोई टार्गेटेड अमेंडमैंट थी और किसी को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश थी। अन्यथा इस तरह से अंतिम समय पर यह ऑर्डिनेंस लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा यह मानना है कि जब महिलाओं की जाति आप उनके माता-पिता की जाति के आधार पर तय कर रहे हैं तो आप एनक्रोचमैंट के लिए उनको क्यों दोषी ठहरा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, ये महिलाएं कितना सहन करती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है। हमारे वहां शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, ओ0बी0सी0 है और

एस0सी0 है। अब जो जातियां एस0टी0 में हिमाचल में आती हैं जैसे हमारे यहां गुज्जर जाति आती है वही गुज्जर जाति पंजाब में बैकवर्ड क्लास में आती है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

03.09.2026/1240/DT/YK -1

श्री रणधीर शर्मा जारी.....

हमारे किसी लड़के की शादी पंजाब में हुई और वह लड़की विवाह करके हमारे हिमाचल में आई तो उसका शैड्युल ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं बनता, उसका ओ0बी0सी0 का सर्टिफिकेट भी नहीं बनता और बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट यहां है नहीं। इसलिए वह आरक्षण का लाभ भी नहीं उठा पाती है। ओ0बी0सी0 में हमारे जाट और लबाणा जातियां आती हैं। पंजाब में ये बैकवर्ड क्लास में आती हैं और वहां से महिलाएं शादी करके जब प्रदेश में आती हैं तो उनको ओ0बी0सी0 का लाभ नहीं मिलता तथा वे जनरल कैटेगरी में कंसिडर होती हैं। कुछ अनुसूचित जाति की भी ऐसी जातियां हैं जो पंजाब में एस0सी0 कैटेगरी नहीं आती और वे भी हमारे यहां उस रिजर्वेशन से वंचित हो जाती हैं। तो जब पैरेंटल जाति उस आधार पर तय हो रही है तो एंक्रोचमेंट में उनको दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट एक तो गलत समय पर लाई गई है, चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया, चुनाव का प्रोसेस शुरू होने के बाद नॉमिनेशन की डेट्स, विड्रॉल की डेट्स, पोलिंग डेट्स और काउंटिंग डेट्स सब डिक्लेयर हो गईं। उससे एक दिन पहले आप इस तरह की अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाकर करते हैं। इससे आपकी मंशा साफ है कि आप कुछ महिलाओं को जानबूझकर चुनाव लड़ने से वंचित कर रहे हैं और फिर दावा करते हैं कि आप महिला हितैषी हैं। इससे बड़ा महिला विरोधी निर्णय और क्या हो सकता है?

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट एक तो गलत समय पर आई है। चुनाव का प्रोसेस शुरू होने के बाद कोई चुनाव तक नहीं रुकते हैं तथा कोर्ट से चुनावों पर स्टे तक नहीं लगता है। चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद आप इस तरह का ऑर्डिनेंस ले आए। इससे बड़ा लोकतांत्रिक कदम और क्या हो सकता है? और आज आप

कह रहे हैं कि इस बिल को और इस अमेंडमेंट को 6 मई 2026 को पारित हुआ समझा जाए। चर्चा आज हो रही है। हम बैक डेट में कैसे समझेंगे? गलत आपने किया है उसको हम ठीक क्यों करें और उसको गलत क्यों करें? बिल अगर आप मेजॉरिटी से पारित करते भी हैं तो वह आज की डेट में होगा। आज की डेट में बिल पारित हो रहा है तो जो महिलाएं उन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से वंचित हुई हैं उनके साथ आपने अन्याय किया है और इनजस्टिस किया है।

03.09.2026/1240/DT/YK -2

इसलिए इस तरह के अंडेमोक्रैटिक काम करना और इस तरह के महिला विरोधी काम करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य त्रिलोक जम्वाल जी आपने बोलना है? नहीं। एक नया पॉइंट हो तो don't repeat whatever Shri Randhir Sharma has said, because he has raised a lot of issues, if there any new issue, please deliberate it.

श्री त्रिलोक जम्वाल: अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट आई है और यह जो बिल आया है, उस पर बिल्कुल ठीक कहा भाई रंधीर शर्मा जी ने। इस अमेंडमेंट में अगर किसी एस0सी0 लड़की की शादी जनरल कैटेगरी में हो जाती है और वह सीट एस0सी0 के लिए रिजर्व है तो वह लड़की एस0सी0 के लिए तो एंटाइटल्ड है। क्योंकि इसमें जो हमारी कास्ट है वह बाय बर्थ है और that can't be changed. पैरेंटल चलेगी। अब जब वह लड़की एस0सी0 की है और उसने जनरल में शादी कर ली तो इस अमेंडमेंट के अनुसार तो उसको, ओपन सीट का बेनिफिट मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : मिल जाता है वह तो ओपन सीट से भी लड़ सकती है।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, वह एस0सी0 से लड़ सकती है क्योंकि उसके पास एस0सी0 का सर्टिफिकेट है। वह ओपन से भी लड़ सकती है। एस0सी0 का व्यक्ति ऐसा

नहीं है कि ओपन में नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर वह एस0सी0 की लड़की जनरल कैटेगरी में शादी करती है और वह एस0सी0 से लड़ सकती है तो उसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहां आज अगर वह शादी करती है और कल उसने नॉमिनेशन भरना है तो उसको एंक्रोचमेंट की पेनल्टी लग रही है। जो उसने क्राइम कभी किया ही नहीं और जो उस फ्रूट की अभी भागीदार बनी नहीं है, अगर उसके ससुर ने किया है और उसके हसबैंड ने किया है, तो अध्यक्ष महोदय तभी ये जो दो 6 मई 2026 से पहले अगर इसको सेपरेट रखा होगा

श्री एन0जी0 द्वारा जारी......

03.09.2026/1245/वाई.के.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल......... जारी

तो इंटेंशन यही होगी कि जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया ही नहीं, उसको उसकी पेनल्टी क्यों? वह लेडी तो कुछ समय पहले ही परिवार में आई है। अध्यक्ष महोदय, आप तो लॉ जानते हैं और उनके आगे जो बच्चे होंगे, वे ओपन से कंसिडर होंगे। लेकिन उसको पेनल्टी नहीं लगती। मुझे लगता है कि इसमें भी उस लड़की को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। भाई श्री रणधीर शर्मा जी ने ठीक कहा है कि यह संशोधन किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को रोकने के लिए लाया होगा, इसलिए मैं भी इसका विरोध कर रहा हूं।

03.09.2026/1245/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा और श्री त्रिलोक जम्वाल जी, दोनों वकील हैं और इन्होंने सारी टेक्निकल बात का जिक्र किया है। लेकिन मैं मंशा पर जा रहा हूं कि इसकी मंशा क्या रही। मंशा यह रही—पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाना नहीं चाह रहे थे। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया कि 30 अप्रैल तक चुनाव करवाइए। मुख्य मंत्री जी की मंशा और ज्यादा मजबूत हुई क्योंकि ये चुनाव नहीं करवाना चाह रहे थे और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मई तक पंचायत के चुनाव संपन्न करवाइए। इस प्रकार से मुख्य मंत्री जी की मंशा पर पानी फिर गया। उसके बाद ये सारी चीजें की गई और चुनाव को प्रभावित करके अपने अनुरूप कैसे किया जाए, इसमें बहुत बारीकी से काम हुआ है। हमें मोटे तौर पर जो जानकारी मिली कि शायद किसी एक बड़े नेता के विधान सभा क्षेत्र में कोई ऐसी महिला थी जो चुनाव लड़ना चाहती थी और उसको चुनाव से वंचित करने का रास्ता

निकाला गया। वंचित करने का रास्ता ढूंढने के लिए फिर यह तरीका निकाला गया कि जो फैमिली की डेफिनेशन में पहले शामिल नहीं थी, उसको शामिल किया गया। आनन-फानन में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था और उसके बाद चुनाव के संदर्भ में कोई भी ऑर्डिनेंस ला ही नहीं सकते थे। This is a violation of Model Code of Conduct. अध्यक्ष महोदय, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप भी इस बात से सहमत होंगे।

दूसरी बात, जो भी बिल पारित होता है और जो भी कानून बनता है, वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता है, वह प्रोस्पेक्टिव होता है। इसमें मंशा जाहिर की गई कि जिस दिन से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसी दिन से लागू होना चाहिए। यही किया है न? उसी दिन से लागू होना चाहिए। विधान सभा के अंदर बिल आज आया है और चुनाव पहले ही हो चुके हैं।

03.09.2026/1245/वाई.के.-एन.जी./3

जिसने प्रधान बनना था, बन गया और जिसने नहीं बनना था, वह रह गया होगा। लेकिन उसके बावजूद आप इसको पिछली डेट से कैसे लागू करने की सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि यह एजेंडा एक स्पेसिफिक है और कहीं अटका हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात को लेकर स्पष्ट करें कि यह किसके लिए किया? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल की स्पिरिट के अगेंस्ट जो विषय गया और जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं—एक बेटी को क्या मालूम है, जिसने जन्म दूसरे घर में लिया है, कि शादी होने के बाद बहू बनकर जिस दूसरे घर में वह जा रही है, उस घर में उसके परिवार के ऊपर एन्क्रोचमेंट का मामला है। उनके पिताजी, मतलब पिता-ससुर के ऊपर, किसी अन्य के ऊपर या उसके पति के ऊपर है। यानी कि एक नया काम शुरू कर दिया गया है। अब तो यह करना पड़ेगा कि बेटी को ब्याहने से पहले मालूम करना पड़ेगा कि उस परिवार में, जहां शादी हो रही है, वहां कोई एन्क्रोचमेंट तो नहीं की गई है? इन सारी चीजों को

लेकर के यह सब करना पड़ेगा। आपने मौलिक व लोकतांत्रिक अधिकार से उस बेटी को वंचित किया है। इस एमेंडमेंट के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यह अधिकार नहीं है। क्योंकि उस बेटी को क्या मालूम था कि मैं उस परिवार में जा रही हूं, जिसके ऊपर एन्क्रोचमेंट का मामला बना हुआ है। लेकिन उस बेटी की इच्छा पंचायत का प्रधान बनने की है। उसकी इच्छा जिला परिषद व नगर परिषद का चुनाव लड़ने की भी हो सकती है। आप उस अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं। इसलिए कतई भी यह वाजिब नहीं है, कतई भी सही नहीं है और इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इसमें आपने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, तो यह मुझे लगता है कि उसके लिए विधान सभा के अंदर

पी0बी0 द्वारा......जारी

03.09.2026/1250/AG/PB/1

श्री जय राम ठाकुर ....

यदि टारगेट किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है तो उसके लिए विधान सभा के अंदर बिल लाकर अमेंडमैंट करना और कानून में परिवर्तन करना कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी की जिद पर मत चलिए। यह कानून की नजर में भी नहीं टिकने वाला है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि हर रोज कानून की नजर में हाईकोर्ट में फजीयत हो रही है। पंचायत के चुनाव के सिलसिले में आप देखिए कि एक के बाद एक फैसला सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आया है। अब एक और फैसला आप करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी फजीयत होगी और आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप अड़े हैं तो आखिरकार यह फैसला यहां नहीं होगा। यहां तो सत्ता पक्ष में बहुमत है इसलिए आप बिल को पारित कर देंगे, यह मुझे मालूम है। लेकिन आखिरकार जब यह मामला कोर्ट की स्क्रूटनी और कानून की स्क्रूटनी में जाएगा तो यह मामला वहां टिक नहीं पाएगा। इसलिए

मैं यह कह रहा हूं कि बार-बार फजीयत होने से अच्छा होगा कि आप इसे वापस ले लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

03.09.2026/1250/AG/PB/2

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे दें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे यह समझ नहीं आता है कि विपक्ष इनक्रोचमैंट के हक में है या इनक्रोचमैंट के खिलाफ है।...(व्यवधान) सबसे पहली बात तो यह है। अब यह बिल क्यों लाया गया और दिनांक 6 मई, 2026 को क्यों लाया गया? जैसे हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसे इतनी जल्दी क्यों लाया गया? मैं बताना चाहूंगा कि यह बिल दिनांक 6 मई, 2026 को लाये गये ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए सवाल यह है कि उस समय यह क्यों लाया गया?

अध्यक्ष : यह बिल उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहा है जिसे दिनांक 6 मई, 2026 को लाया गया था।

03.09.2026/1250/AG/PB/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने काफी डिप्यूटेशन दिए कि पंचायत चुनावों में जिन लोगों का इनक्रोचमैंट है वे स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए वे अपनी बहू या अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर देते हैं। इस विषय पर गहन चर्चा हुई कि ऐसा क्यों है? यह बात बिल्कुल ठीक है कि जाति पिता जी की मानी जाती है जहां से वह ब्याह करके आ रही है।

अध्यक्षः उसके बाद तो पति की मानी जाती है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह जन्म के आधार पर मानी जाएगी। वह बाद में शादी करके भी आ जाए तो पती की नहीं मानी जाती है बल्कि बच्चों की मानी जाएगी। जब हमारे संज्ञान में यह पूरी बात आई तो हमने इस पर बड़ा विचार

किया। चुनाव सिर के ऊपर थे और अनाउंस भी हो गए थे। आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। मेरे दो-तीन सवाल हैं। क्या वह महिला लीगल हेयर नहीं है? क्या वह उस परिवार की लीगल हेयर नहीं बनेगी? क्या वह जमीन, जायदाद या लैंड इनहेरिट नहीं करेगी? सबसे पहला सवाल यह है कि वह भी लीगल हेयर बनेगी। चाहे अपने ससुर के बाद या अपने पती के बाद उसके नाम जमीन आएगी। क्या एसेट एंड लायबिलिटी जो होती है, लोन की जिम्मेवारी या लेन-देन की जिम्मेवारी, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं रहेगी? वह भी रहेगी। जब हर चीज में वह भागीदार रहेगी क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि बेटी पराया धन होती है। ...(व्यवधान) शादी के बाद ...(व्यवधान) शास्त्रों में लिखा है कि उसका सुख-दुःख, परिवार, जमीन-जायदाद और जेवर हैं, वे उसके पती के घर से आते हैं। क्यों माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप जी? ...(व्यवधान) अच्छा, मतलब आप अपने पती की जमीनें छोड़ देंगी तो आप इसका एफिडेविट दीजिए। इस प्रावधान पर मैंने विचार किया। मैं आदरणीय मोदी जी को भी बहुत ध्यान से सुनता हूं। हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं और वे भी यह बोलते हैं कि एक देश, एक कानून होना चाहिए। मैंने इस पर मंथन किया कि जब वे देश में एक कानून ला रहे हैं तो हम राज्य में भी एक कानून लाएं। यह एक कानून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एम0सी0 एक्ट तथा म्युनिसिपल एक्ट दोनों में पहले से ही पास है।

अध्यक्ष : यह पहले से ही इस कानून का हिस्सा है।

03.09.2026/1250/AG/PB/4

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में एक कानून होना चाहिए। एम0सी0 में एक कानून क्यों हो और अपने पंचायती राज में अलग क्यों हो? यह सब सोचकर

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1255/ए0जी-ए0पी0/-01

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी .....

इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए One State, One Law होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो कानून बनते हैं, वे किसी एक व्यक्ति विशेष के बोलने से नहीं बनते हैं। किसी ने बोल दिया कि चुनाव में वो खड़ा हो रहा है। जैसे हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता बोल रहे थे। किसी नेता के बोलने से कानून नहीं बनते हैं। हमारे जो एम0एल0ए0 नेता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिला परिषद, बी0डी0सी0 का चुनाव लड़ रहा है। इन सब बातों पर पूरा ध्यान देने के बाद, लीगल ओपिनियन लेने के बाद और कानून जानने के बाद यह फैसला लिया गया कि जो लेडी अपने ससुराल की जमीन पर रह रही है, वहां से फसल उगा कर खा रही है और उस घर में रह रही है, she is a part of that family. इसीलिए यह एक्ट लाया गया है। उसमें कोई भी व्यक्ति अगर अतिक्रमण करता है, तो उसे चुनाव लड़ने का हक नहीं होगा। शादी के बाद जब परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो जाता है तो वह उस परिवार की मानी जाती है। इसलिए सब कुछ सोचने के बाद और अतिक्रमण को बढ़ावा न दिया जाए। इसीलिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया था। आज उसी ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में हम पास करने के लिए लाए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पारित किया जाए।

Speaker: He has replied very nicely. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी का तो इस बिल को फर्ज जस्टिफाई करना है। मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यह ऑर्डिनेंस लाकर लागू किया जा सकता है? चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद तो कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कहीं स्टे नहीं मिलता है, कहीं प्रक्रिया को बदला नहीं जाता और कहीं रोका नहीं जाता। क्या सरकार न्यायालय से भी ऊपर हो गई है? नंबर एक, इसका जवाब दें कि क्या चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, नामांकन से एक दिन पहले सरकार इस तरह का ऑर्डिनेंस ला सकती थी? क्या यह लीगल है? दूसरा, अगर आप यह बात कर रहे हैं कि...(व्यवधान)

03.09.2026/1255/ए0जी-ए0पी0/-02

अध्यक्ष : रिकॉर्ड में आपकी एक बात आई है कि क्या सरकार और न्यायालय, ये सब बराबर हैं। कोई ऊपर-नीचे नहीं है। सबका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय का अपना अधिकार क्षेत्र है और सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ऊपर नहीं है। न्यायालय राज्य विधानमंडल से ऊपर नहीं है। We are all at the same footing, check and balance.

श्री रणधीर शर्मा : ठीक है, वो शब्द आप ठीक कर लें, मेरी मंशा ठीक है। सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार यह मानती है कि जो महिला उस परिवार की लीगल हेयर है और उस परिवार के परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है। फिर उसकी जाति क्यों अलग है? क्या सरकार इसमें भी संशोधन लाएगी कि उसकी जाति भी ससुराल वाली जाति हो जाए? क्या शादी के बाद उसकी जाति भी पति और ससुराल वाली जाति हो जाए? क्या सरकार वह संशोधन लाएगी? जब आप परिवार रजिस्टर का हवाला दे रहे हैं और लीगल हेयर का हवाला दे रहे हैं तो सभी बातों में उसको मानिए। सिर्फ उसको चुनाव से वंचित करने के लिए ही परिवार का हिस्सा मत मानिए। उसको आरक्षण का लाभ और जो दूसरे लाभ मिलने हैं, वे भी तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जब जाति का लाभ उसको शादी के बाद नहीं मिलता तो अतिक्रमण की उसको सजा क्यों मिले? इसका जवाब दीजिए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जाति के बारे में जो माननीय कह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ट्राइब में नॉन-ट्राइबल लेडी आ जाती है और उसको ट्राइबल का स्टेटस देना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वह लेडी यह साबित करे कि जिस ट्राइब में वह गई है। उस ट्राइब ने उसको अपना लिया है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। उसके रीति-रिवाज, उसकी भाषा और सारी चीजें अगर वह अपना लेती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग के आधार पर हम उसे ट्राइबल मान सकते हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

03.09.2026/1300/AT/AS/01

राजस्व मंत्री जारी...

लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वह लेडी यह साबित करती है कि जिस ट्राइब में वह गई है, उस ट्राइब ने उसे अपना लिया है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। उसके रीति-रिवाज, उसकी लैंग्वेज और सारी परंमपराएं अगर वह अपना लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार उसको ट्राइबल मान सकते हैं, उसमें यह प्रावधान है। जहां तक एंक्रोचमेंट का सवाल है, बेनिफिशियरी एंक्रोचमेंट को रोकने के लिए माननीय मंत्री ने यह प्रावधान इसलिए किया है ताकि एंक्रोचमेंट को डिस्करेज किया जा सके। लेकिन जाति के मामले में...(व्यवधान) तो उसको जाति भी मिल जाती है।

अध्यक्ष : This is a different aspect. Basically, this is with regard to the encroachment. माननीय मंत्री जी।...(व्यवधान) मंशा यह है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: मैं समझता हूं कि विपक्ष बात को कैसे घुमाना है और कैसे बात को पूरा घुमा-फिराकर रखना है, उसमें तो मास्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी इन्होंने दिल्ली की केंद्र सरकार से सीखा है।

मैं भाई रणधीर शर्मा जी, को यह बोलना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने पूछी है कि क्या आचार संहिता में अमेंडमेंट ऑफ लॉ कर सकते थे? जी हां, कर सकते हैं। केवल वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसी को एम0सी0सी0 में नए सिरे से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बिल जो है, वह as per law पास कर सकते हैं।

दुसरा, अगर आप बिल पढ़ेंगे, तो उसमें beneficiary लिखा गया है। Beneficiary शब्द है और daughter-in-law is a beneficiary of a family. बहू जो है, वह beneficiary होती है। जैसे मैंने पहले बोला, जमीन में, जायदाद में, हर चीज में वह उस परिवार की beneficiary है। तो direct या indirect encroachment का जो एक्ट है, वह उनके ऊपर भी लागू होगा। इसी सोच के साथ यह बिल लाया गया है। ऑर्डिनेंस की जो बात है, वह

बिल्कुल ठीक है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि ऑर्डिनेशन लेकिन हमने पहले नोमिनेशन से जारी किया था

03.09.2026/1300/AT/AS/02

Speaker : That is within the power of the Government. अब बिल पर चर्चा हो गई है।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

03.09.2026/1300/AT/AS/03

" हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से14 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 और 14 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

03.09.2026/1305/AV/AS/1

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

The House adjourned for the lunch break, we will reassemble at 2 o'clock.

03.09.2026/1405/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.05 बजे़ पुनः आरम्भ हुई)

शून्यकाल

अध्यक्ष : सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री आर0एस0 बाली जी शून्यकाल में अपना विषय उठाएंगे।

श्री आर.एस. बाली : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो इश्यूज हैं। मेरा कल वाला इश्यू भी बहुत जरूरी है। मैं दोनों इश्यू एक साथ संक्षेप में रखना चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति पहले ओ0बी0सी0 वाला इश्यू रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेशन की वैधता के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र है और मेरे विधान सभा क्षेत्र अथवा प्रदेश में ओ0बी0सी0 समाज से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसे सदन के समक्ष रखना मेरा कर्तव्य है। ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेशन की वैधता पहले छह महीने हुआ करती थी और ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को छह महीने के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता था। हमारी सरकार ने इसकी वैधता छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की है। सैंट्रल गवर्नमैंट में भी इसकी वैधता एक वर्ष है। इसके बावजूद ओ0बी0सी0 समाज को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि मैं ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब भी कोई नौकरी के लिए आवेदन करना होता

है अथवा किसी अन्य कार्य के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है तो ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेशन के लिए उन्हें अलग-अलग प्रोसैस से गुजरना पड़ता है जिसमें बार-बार पैसे खर्च होते हैं। हर वर्ष उन्हें कम-से-कम 60 रुपये फीस देनी पड़ती है और इसके अलावा भी उन्हें बहुत-सी कॉन्सीक्वेंसीज से जूझना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेशन की वैधता एक वर्ष होने के बावजूद सबसे पहले उन्हें सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है। सेक्रेटरी से अपने परिवार की नकल लेने के बाद उन्हें पटवारी के पास जाना पड़ता है। यदि पटवारी अथवा सेक्रेटरी उपलब्ध

03.09.2026/1405/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

नहीं है तो उन्हें उसके लिए इंतजार करना पड़ता है जिसके कारण जब तक नौकरी के लिए आवेदन करने का समय निर्धारित होता है, तब तक कई बार वे सर्टिफिकेशन करवा ही नहीं पाते हैं। जब सर्टिफिकेशन और नौकरियों की बात आती है तो हजारों लोग इकट्ठे होकर दफ्तरों में जाते हैं।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

3-9-2026/1410/NS-DC/1

श्री आर0एस0 बाली------जारी

हमारे पास वैसे ही सेक्रेटरी कम हैं और एक-एक सेक्रेटरी के पास चार-पांच पंचायतें हैं। जब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो उनके पास समय बहुत कम होता है। वही हाल पटवारियों और तहसीलदारों का है। लोकमित्र केंद्र में जाकर या जो साइबर कैफे होते हैं जहां इंटरनेट की सेवा होती है क्योंकि गांव में हर किसी के पास वह फोन नहीं है जिसमें बढ़िया इंटरनेट हो तो उनको कैफे में जाकर अप्लाई करना पड़ता है और वहां पैसे अलग लगते हैं। लोकमित्र केंद्र में अप्लाई करने के अलग से पैसे लगते हैं। एक सर्टिफिकेशन के लिए अलग-अलग जगह पर पैसे खर्चने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसका पोर्टल बनाया गया है लेकिन सबको इस पोर्टल में जाकर अपने आप अप्लाई करना नहीं आता या उतनी अच्छी तरह से एकदम अप्लाई नहीं किया जाता। पूरे प्रदेश में यह बहुत बड़ी समस्या

ओ0बी0सी0 समाज को आती है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पूरे सदन के समक्ष शून्यकाल में ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेशन के संबंध में दो विषय रखना चाहता हूं। पहला, इसकी वैधता जो अभी छह महीने से एक साल की है अगर इसको तीन साल कर दिया जाए तो उनको फायदा होगा। एस0सी0 और एस0टी0 कैटेगरीज के लिए यह ताउम्र है लेकिन अगर ओ0बी0सी0 के लिए यह तीन या पांच वर्षों तक कर दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। दूसरा, इससे उनकी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। उस समय पटवारी, सेक्रेटरी, तहसीलदार और तहसील में इतना लोड होता है कि तहसीलदार भी एकदम सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है। जब तक सर्टिफिकेट आता है तब तक उनकी नौकरी की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। यह हर जगह प्रॉब्लम है। अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में भी यह समस्या होगी और पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में यह दिक्कत है और इससे स्पेशली ओ0बी0सी0 समाज को लड़ना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ओ0बी0सी0 समाज के लिए इसकी वैधता को बढ़ाया जाए। अगर वैधता को बढ़ाने में समय लगे तो तब तक के लिए जो लिमिट है क्योंकि उनको टाइम-बाउंड सेक्रेटरी, पटवारी और तहसीलदार से भी चाहिए तो उसको टाइम बाउंड कर दिया जाए और उनके जो पैसे लगते हैं उनका भी एक सिस्टम बना दिया जाए कि इतने पैसे उनके सर्टिफिकेशन पर लगेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक जगह से उनकी सर्टिफिकेशन हो जाए और उनको समय भी कम लगे तथा उनके पैसे भी कम लगें। ऐसा कोई प्रावधान किया जाए और समय-सीमा को पूरी तरह से बढ़ा दिया जाए।

3-9-2026/1410/NS-DC/2

शून्यकाल के दौरान हटवास में रेबीज से संक्रमित कुत्तों द्वारा लागों, पशुओं व जानवरों को काटने बारे उठाया गया विषय

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय मैं आपकी विशेष अनुमति से यहां रखना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। रेबीज जोकि बड़ी ही दर्दनाक बीमारी है कुछ कुत्तों के अंदर यह संक्रमण फैला। मेरे विधान सभा क्षेत्र के हटवास में रेबीज से संक्रमित कुत्तों ने गाय और बैल को काटा जिससे एक चेन बनती गई। यह मामला पिछले महीने हुआ। उन्होंने कुछ डोमेस्टिक कुत्तों को भी काटा। अब डोमेस्टिक

कुत्तों का तो पता लग गया और परिवार ने उनको बांध दिया। अध्यक्ष महोदय, रेबीज से ग्रसित जानवर या पशु की अंततः मौत हो जाती है। रेबीज से ग्रसित कुछ कुत्तों ने कुछ जानवरों और पशुओं को काटा। उससे कुछ बैल और गाय बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गईं और अलग-अलग जगहों पर लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने इस बारे में एस0डी0एम0, डी0सी0 साहब से भी बात की। इससे कई लोगों को यह समस्या आई कि डर के मारे जब बैल दौड़ता है या जब कोई पशु अथवा जानवर दौड़ता है तो लोग भी डर के मारे दौड़ते हैं और गिर जाते हैं। कल भी तकरीबन छह लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में घायल हुए जिनमें से कई लोगों को मेडिकल कॉलेज, टांडा ले जाया गया। मेरी बी0एम0ओ0 डॉ0 रूबी से भी बात हुई। मेरी एस0डी0एम0 और डी0सी0 महोदय से भी बात हुई। यह पता लगा कि जो गन है

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

03.09.2026/1415/RKS/HK-1

श्री आर.एस. बाली जारी....

जिससे पशुओं को सीडेट किया जाता है वे उसे प्रोवाइड नहीं करवा पाए। जब इस संबंध में वैटरिनरी विभाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास ट्रैंक्विलाइज़र गन उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर पहले भी कई बार विभाग के साथ बात हुई है। मेरी वैटरिनरी विभाग से दरख्वास्त है कि यह गन बहुत जरूरी है। हमें कुछ लोगों की भी आवश्यकता है क्योंकि हमने उपायुक्त महोदय एवंएस0डी0एम0 महोदय से चर्चा करके एक टास्क फोर्स का गठन करवाया है ताकि संक्रमित पशुओं से लोगों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे और संक्रमण अधिक न फैले। इसके लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। अतः मेरी सरकार और वैटरिनरी विभाग से दरख्वास्त है कि इस टास्क फोर्स के लिए हमें कुछ लोग को मुहैया करवाए जाएं। यह विशेष घटना हाल ही में नगरोटा-बगवां विधान सभा में घटी है। मैं चाहता हूं कि टास्क फोर्स हेतु हमारी सहायता की जाए। वर्तमान में हमने एन0जी0ओ0 से बात करके ट्रैंक्विलाइजर गन मंगवाई है। जिन पशुओं को संक्रमित हुआ था, एन0जी0ओ0 वाले उन पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

जब तक इन पशुओं में रेबिज होता है तब तक उन्हें सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोगों की मदद की जाए। माननीय मंत्री महोदय जी यहां बैठे हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि विभाग को आवश्यक निर्देश देकर नगरोटा बगवां विधान सभा क्षेत्र में टास्क फोर्स और आवश्यक इक्विपमैंट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार लिखित अनुरोध भेजे जा चुके हैं। इसलिए इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाए क्योंकि अभी हमें एन0जी0ओ0 से इक्विपमेंट मंगवाने पड़ रहे हैं। यही मेरी दरख्वास्त है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.09.2026/1415/RKS/HK-2

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री आर.एस. बाली जी ने सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। वर्तमान समय में स्ट्रे डॉग्स की संख्या काफी बढ़ गई है। रेबीज़ के मामले केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि पशुओं को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पशुओं में संक्रमण का पता बहुत देर से चलता है और जब तक जानकारी मिलती है तब तक पशु पागल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बांध करके इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। जहां तक ट्रैंक्विलाइजर गन का प्रश्न है, विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में ट्रैंक्विलाइजर गन उपलब्ध करवाई गई हैं। यदि नगरोटा बगवां क्षेत्र के निकटवर्ती किसी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां भी ट्रैंक्विलाइजर गन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ट्रैंक्विलाइजर गन से मवेशी को कुछ समय के लिए बेहोश किया जा सकता है लेकिन उसके बाद उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, वाहन में रखना और उपचार के लिए ले जाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। विशेषकर बैलों को रेबीज़ संक्रमण हो जाए तो वे आक्रामक हो जाते हैं और उन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। हम यह कोशिश करेंगे कि जिन अस्पतालों में ट्रैंक्विलाइजर गन उपलब्ध नहीं हैं, वहां उनकी व्यवस्था की जाए। स्ट्रे डॉग्स तथा स्ट्रे कैटल्स में संक्रमण का काफी समय बाद पता

चलता है कि उन्हें किसी कुत्ते ने काटा है। हम इसके बारे में वैटरिनरी विभाग के चिकित्सकों को भी निर्देश देंगे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों पर संज्ञान लें और आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें।

03.09.2026/1415/RKS/HK-3

अध्यक्ष : हम इस विषय को संबंधित विभाग को भेज देंगे और इसमें की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जाएगा। I will request the rest of the Members to be very brief and prompt क्योंकि अभी हमारे पास बारह-तेरह इश्यूज और हैं। डॉ0 हंस राज जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। माननीय सदस्य आप अपना विषय रखें।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में हुई भारी वर्षा और इससे पूर्व हुई वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तरेला से देवीकोठी तक जाने वाली हमारी मुख्य सड़क जो टेपा-कलेहल की ओर जाती है उस पर सतनाला नामक नाले में बना पुल बह गया था। इसके उपरांत वहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कुछ पाइपें डलवाई गई थीं किन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

03.09.2026/1420/बी.एस./एच.के.-1

डॉ0 हंस राज जारी...

माननीय मंत्री जी बैठे हैं वे संज्ञान लें। इसी तरह तरेला, गुइला और मंगली की जो हमारी सड़क है उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। अगर मंत्री जी दिशा-निर्देश देंगे तो वह कार्य भी ढंग से हो जाएगा।

हमारे नकरोड़-हिमगिरी-आयल तक बस जाती थी सर, परंतु अब सिदरूनी तक ही बस जा रही है और हिमगिरी की तरफ जाती है। बस आयल तो पहुंची ही नहीं रही है। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप बैठे हैं तो डायरेक्शन दें।

दूसरा भंजराड़ू-बेहाली और साओ दो सड़कें हैं। इन दोनों में अभी भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए मंत्री जी उचित दिशा-निर्देश दें।

नकरोड़-गडफरी यह बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। यह सड़क हमारी थल्ली को जोड़ती है। इस सड़क पर इतना बुरा हाल हुआ है कि अभी मटर का सीजन चलने वाला है और उसमें छोटी गाड़ियां तक नहीं निकल पा रही हैं। ये लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं।

इसी तरह चरोड़ी-रैला सड़क का भी बहुत बुरा हाल है। केथली-सप्रोट बाया चौली-डुगली की हालत बहुत खराब है। रैला की तरफ हमारा चरोड़ी जो गांव है वह लगभग गांव ही नीचे आ रहा है, सर। वहां अभी वह पी0एम0जी0एस0वाई0-3 में गई थी और उसमें ही कटाई हुई है। इसलिए आप अगर कन्सर्निंग ठेकेदार को डायरेक्शन दे देंगे तो वह उसको थोड़ा ठीक कर देगा और लास्ट में हमारी कुठेड़-त्रिया सड़क है। कुठेड़-त्रिया भी नई सड़क बनी है, सर। हमने अभी इसको बस के लिए पास भी किया था परंतु अभी जो स्लाइड्स हुए हैं उससे इस रोड का बहुत नुकसान हुआ है।

एक टिकरी-शक्तिदेरा को हमने जोड़ दिया था और एक रुपणी राजनगर को भी हमने ठीक कर दिया था। बीच में 36 करोड़ रुपये हमने कोटी से लेकर क्यानी तक खर्च किए थे। इस सड़क पर भी रायनगर, चण्डी, चकरू और पलई की तरफ बहुत ही बुरे हाल हैं।

03.09.2026/1420/बी.एस./एच.के.-2

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि उचित संज्ञान लें और अपने डिपार्टमैंट को डायरेक्शन दें कि जे0सी0बी0 और एल0 एण्ड टी0 जो आप उचित समझें उसका उपयोग करके इन सड़कों को ठीक करवाने की कृपा करें लेकिन जो मैं सतनाला की बात कर रहा हूं वहां सीनियर सैकंडरी स्कूलों के लिए बहुत बच्चे क्रॉस होते हैं।

इसलिए उनकी जान पर बनी हुई है। इतना ही मुझे कहना था। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक डॉ हंस राज जी ने अपनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत यहां जो भी विषय उठाए हैं संबंधित विषयों की मैं आज ही आपसे एक सूची ले लूंगा और **आज ही एस0ई0, डलहौजी और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर चुराह को इसके बारे में निर्देश दे दिए जाएंगे कि जहां पर भी कार्य चले हुए हैं उनको एक्सपेंडाइट किया जाए। जिसमें बजट की आवश्यकता है उसके लिए मैं डिपार्टमैंट को और सैक्रेटरी साहब को कहकर उसमें तुरंत प्रभावी रूप से अतिरिक्त बजट का पूरा प्रावधान करवाऊंगा।**

03.09.2026/1420/बी.एस./एच.के.-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विपिन सिंह परमार जी शून्यकाल में अपना विषय उठाएंगे।

कूहलों के रखरखाव बारे

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सुलाह विधान सभा क्षेत्र की जो बहाव सिंचाई योजनाएं हैं यानी फ्लो इरिगेशन उनकी संख्या लगभग 17 के आसपास है। मैं यह जानकारी आपके माध्यम से सरकार और विभाग को देना चाहता हूं कि हमारी कत्थुल कूहल है, बुक कूहल है, शृंगार चंद कूहल है, पांडु दी कूहल है, किरमन चंद कूहल है, मियां फतेह चंद कूहल है, दाई दी कूहल है और कुशमल कूहल है।

एक 30 किलोमीटर लंबी कूहल पालमपुर न्यूगल से चलती है वह किरपाल चंद कूहल है और यहां से जितनी कूहलें मियां फतेह चंद कूहल या दीवान चंद कूहल निकलती हैं ये सारी-की-सारी कूहलें लगभग पिछले तीन साल से क्षतिग्रस्त हैं। किसानों को जब पानी की जरूरत होती है तो किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाता। हमने इस विषय को बार-बार जल शक्ति मंत्री, उप-मुख्य मंत्री साहब के साथ उठाया है। अपनी प्राथमिकताओं में इस विषय को रखा परंतु इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं। जितनी भी कूहलें बनी हैं आज की तारीख में वे डस्टबिन बन चुकी हैं। दूसरा यह है कि जितने घर इन कुल्लों के साथ बने हैं वहां सीवरेज का जो ओवरफ्लो होता है उसे इन कुल्लों में डाल दिया गया है। तीसरा यह है कि जगह-जगह पर इन पर इनक्रोचमैंट हुई है। लोगों ने कूहलों पर दीवारें लगा दी हैं और पिलर लगा दिए हैं।

मैं यह कह सकता हूं कि पूरी तरह से विभाग सोया हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सुलह विधान सभा चुनाव क्षेत्र की ये कूहलें कोई न्यूगल से चलती हैं कोई सून खड्ड से चलती हैं और कोई नेचुरल फ्लो के माध्यम से चलती हैं। सरकार इन कूहलों की स्थिति की तरफ ध्यान दे

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

03.09.2026/1425/DT/YK -1
शून्य काल जारी.......

श्री विपिन सिंह परमार जारी.....

ताकि सुलह विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई जो इन कुल्हों के माध्यम से होती है, उससे लोगों को लाभ मिले। यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : Anybody wants to intervene? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी ने आपको प्राधिकृत किया है।।

उद्योग मंत्री: माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, I do not have the reply but we will reply back to him.

अध्यक्ष : इस लिस्ट में तो आपके नाम ही है, जो आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुरेन्द्र शौरी जी का नाम भी नहीं है। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी आप बोलिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में मल्लयावर गांव है। हाल ही में जो बारिश हुई है उससे उस गांव की कनैक्टिंग सड़क पूरी तरह से बह गई है। अब यह गांव बाकी जगहों से कट गया है। मल्लयावर में लगभग 1,200 से 1,500 की आबादी है। सड़क न होने की वजह से वहां आने-जाने के सारे साधनों की समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है तथा जो लोग नीजि गाड़ियों में अपने काम के लिए जाते थे उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना चाहता हूं कि इस सड़क का एक अल्टरनेटिव रूट डी0पी0एफ0 फॉरेस्ट से आता है। मेरा इतना कहना है कि डी0सी0 बिलासपुर को डायरेक्शन दी जाए कि मल्लयावर के लिए जो अल्टरनेटिव रूट है उसको चलाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी।

महोदय, एक और विषय है। मैंने दो विषय पूछे थे और दूसरा विषय है कि हिमाचल प्रदेश में जो कॉलेज हैं उनकी फीसों में बेतहाशा वृद्धि हुई

03.09.2026/1425/DT/YK -2

है। इन कॉलेजों में पढ़ने के लिए गांव का बच्चा भी आता है। जहां पहले अढाई सौ रुपये फीस लगती थी वहां अब एक हजार रुपये तक हो गई है। जहां फीस में 60,000 रुपये के आसपास थी, विश्वविद्यालयों में अब 85,000 रुपये के आसपास फीस हो गई है। कहने का अर्थ है कि फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरा यह मानना है कि एक तो इस फीस वृद्धि में कमी की जाए क्योंकि हर सब्जेक्ट में 30 से 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और एडमिशन फीस भी बढ़ी है। हमारे हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए यह एक्स्ट्रा बर्डन है क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में रहते हैं।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, यह जो रिवैल्यूएशन का नया गोरखधंधा शुरू हुआ है उसमें भी पहले रिवैल्यूएशन की फीस पहले एक सब्जेक्ट की अढाई सौ रुपये लगती थी। अब

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने उसको अढाई सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं। जब उन्होंने एग्जाम दिया तो एक को चार नंबर थे, दो को एक नंबर थे। जब रिवैल्यूएशन करवाई तो चार नंबर वाले के 47 नंबर हुए, एक नंबर वाले के 48 नंबर हुए और जो दूसरा एक नंबर वाला था उसके 32 नंबर हुए। जिनके तीन सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन होगी वह तीन हजार रुपये फीस देंगे। पहले यह फीस साढ़े सात सौ रुपये के आसपास होती थी। अब उन बच्चों का क्या कसूर है? जो इवैल्यूएटर है उसने एक नंबर दिया और चार नंबर दिए। जब पहले फेल थे तो रिवैल्यूएशन के बाद उनके 48 नंबर होना, 46 नंबर होना और 24 नंबर होना बहुत बड़ी बात है। तो क्या यह सरकार उन बच्चों के पैसे रिफंड करेगी? क्योंकि उन्होंने ठीक उत्तर दिए थे लेकिन पहले इवैल्यूएटर ने गलत किया। क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब उन बच्चों ने कहा कि हम टॉपर थे और हमें चार नंबर नहीं आ सकते तो जब उनको चार नंबर इवैल्यूएटर द्वारा दिए गये तो क्या उनके पैसे रिफंड नहीं होने चाहिए? उनकी तो कोई मिस्टेक नहीं है। जो इवैल्यूएटर जिसने इतनी बड़ा ब्लंडर किया है क्या उसको सदा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और दोबारा रिवैल्यूएशन के लिए उसे नहीं लगाना चाहिए। ऐसा सरकार को प्राविजन करना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चों के

03.09.2026/1425/DT/YK -3

रिवैल्यूएशन के पैसे हैं जिनके नंबर दस प्रतिशत या बारह प्रतिशत से ऊपर बढ़ते हैं उनके पैसे वापस किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो फीसों में बेतहाशा वृद्धि है, चाहे कॉलेजिज की एडमिशन फीस है या अन्य फीस में वृद्धि है, उसको वापस लिया जाए तथा रिवैल्यूएशन की फीस को और कम किया जाए। रिवैल्यूएशन की फीस को बिल्कुल नगण्य किया जाए ताकि प्रत्येक बच्चा रिवैल्यूएशन करवा सके। अगर

कोई गरीब बच्चा तीन सब्जेक्ट में फेल होता है वह तीन हजार रुपये नहीं दे सकता तभी वह सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। वह फेल की श्रेणी में आएगा और मेंटली डिमॉरलाइज हो जाएगा और कल को सुसाइड करेगा इसलिए मेरा केवल यह मानना है कि रिवैल्यूएशन की फीस को शून्य किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय शिक्षा मंत्री महोदय,

शिक्षा मंत्री श्री एन0जी0द्वारा जारी.....

03.09.2026/1430/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात......... जारी

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल ने यहां पर अपनी बात रखी है। अधिकतर विषय विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। हम सभी जानते हैं कि वह एक ऑटोनॉमस बॉडी है। **लेकिन यह मामला उस स्तर पर भी टेकअप किया जाएगा। माननीय सदस्य ने कॉलेजिस की बात की है तो उसके बारे में मैं पूरा पता करूंगा और माननीय सदस्य को बताऊंगा।**

03.09.2026/1430/वाई.के.-एन.जी./2

शून्य काल समाप्त।

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने विषय पर बोलने के लिए हाथ खड़ा करके अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगने लगे।)

अध्यक्ष : शून्य काल का समय तो समाप्त हो गया है। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास 11 इश्यूज़ थे, उनमें से चार माननीय सदस्यों के विषय टेकअप हो गए हैं। जो बचे हुए हैं, उनमें—श्री हरदीप सिंह बाबा जी, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी, श्री सुरेन्द्र शौरी जी, श्री

लोकेन्दर कुमार जी, श्री विवेक शर्मा (विक्कू) जी, श्री इन्द्र सिंह जी और श्री जीत राम कटवाल जी के विषय शेष रहते हैं। इनके अलावा भी हाथ खड़े हो रहे हैं। अगर वे जीरो ऑवर के विषय हैं, तो मैं आप सभी को समय दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो मेरे पास आपके विषय नहीं हैं, इसलिए आप सभी मुझे अपने-अपने विषय लिख कर दे देना। उन सारे इश्यूज़ को मैं एडमिट कर रहा हूं। आप सभी ने जो विषय लिखे हैं और लिख कर देंगे, उनको हम संबंधित विभाग को भेजेंगे तथा कहेंगे कि इन विषयों के ऊपर कार्रवाई करें और हम की गई कार्रवाई से आप सबको अवगत करवा देंगे। धन्यवाद।

03.09.2026/1430/वाई.के.-एन.जी./3

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अभी नियम-130 की डिस्कशन चली हुई है और मेरे पास चार माननीय सदस्यों के नाम आ चुके हैं। उनमें से तीन भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक नाम कांग्रेस से है। मेरा सुझाव है कि एक-एक माननीय सदस्य बोल लें तो बेहतर होगा क्योंकि आज सत्र का अंतिम दिन है।...(व्यवधान) कृपया शांत रहें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री), आप क्या कहना चाहते हैं।

Parliamentary Affairs Minister (Industries Minister) : Sir, today's is the last day and everyone has to go. It is a very important. पिछले कल जो लिस्ट थी, उसमें एक नाम हमारी ओर से बोलने वाला था और एक नाम विपक्ष की ओर से था। अध्यक्ष महोदय, एक-एक माननीय सदस्य को बुलवा लीजिए और उसके बाद रिप्लाई हो जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज, कृपया बैठ जाइए। दोनों ओर से क्या एक-एक माननीय सदस्य का बोलना डिसाइड हो गया है? There is a consensus कि एक-एक माननीय सदस्य बोलेंगे और उसके बाद रिप्लाई आएगा। आज की कार्यसूची में नियम-324

के भी कुछ विषय लिस्टिड हैं और मैं उन्हें एडमिट ही करूंगा बजाये उसका जवाब हो। उद्योग मंत्री जी के जवाब के बाद let us conclude the proceedings. क्या एक-एक माननीय सदस्य का बोलना तय कर दें?

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने दोनों ओर से एक-एक माननीय सदस्य के बोलने पर अपनी सहमति दी।)

ठीक है। अभी तक इस विषय पर 25 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और मेरे ख्याल से 15 मिनट से कम कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोला है। इस विषय पर लगभग 8 घण्टे चर्चा हो चुकी है।

03.09.2026/1430/वाई.के.-एन.जी./4

पिछले कल अंतिम वक्ता माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज थे, जोकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से थे। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी यानी सत्ता पक्ष की ओर से शुरू करेंगे। मैं माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा में भाग लें और let us be very brief and short. Please take five to ten minutes only.

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य युवाओं के लिए रोजगार गारंटी के बारे में चर्चा लेकर आए हैं, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी थीं और एक-एक गारंटी के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। चाहे वह ओ0पी0एस0 की गारंटी थी, चाहे दूध के मूल्य की गारंटी थी, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की गारंटी थी, चाहे स्टार्टअप की गारंटी थी, चाहे मोबाइल हेल्थ डिस्पेंसरीज की गारंटी थी और बाकी भी जितनी गारंटियां थीं, सबके ऊपर काम हुआ है।

विपक्ष के हमारे मित्र बार-बार यही बात कहते रहे कि गारंटियों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जानते तो यह सब कुछ खुद भी हैं

पी0बी0 द्वारा......जारी

03.09.2026/1435/AG/PB/1

श्री आशीष बुटेल... जारी

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे जरूरी और सबसे पहला कदम ओ0पी0एस0 की गारंटी देने का उठाया है। हालांकि कई राज्यों में विपक्ष की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई ओ0पी0एस0 को सत्ता में आते ही विड्रॉ कर दिया। राजस्थान इसका एक उदाहरण है जहां ओ0पी0एस0 को विड्रॉ किया गया।...(व्यवधान)

Speaker: No cross-talking please.

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, अब जब बात रोजगार गारंटी की आई है तो मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। केंद्र में जब यू0पी0ए0 की सरकार थी उसकी सबसे बड़ी रोजगार की गारंटी मनरेगा थी जिसे वर्तमान केंद्र सरकार ने वापिस लिया है। मनरेगा बंद है और आपने (केंद्र की भाजपा सरकार ने) वी0बी0-जी-राम-जी शुरू की है।...(व्यवधान) वह वही नहीं है।...(व्यवधान) उसकी पूरी आत्मा को बदल दिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : Let him make his point. विपक्ष से माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी बोलेंगे इसलिए विपक्ष के अन्य माननीय सदस्य अपना लिखित वक्तव्य उन्हें दे दें। He (Lokender Kumar) will speak against his viewpoint.

अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, जब यू0पी0ए0-1 की सरकार आई थी उस समय यह एक स्कीम होती थी लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारी यू0पी0ए0 की

चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह निर्णय लिया तथा सभी लोग बैठे और यह तय हुआ कि यह रोजगार गारंटी स्कीम नहीं होनी चाहिए बल्कि एक एक्ट होना चाहिए। उसी संदर्भ में मनरेगा का एक्ट लागू हुआ। आज रोजगार के ऊपर कौन लोग बोल रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि मनरेगा को जिन्होंने वापिस लिया और सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम को समाप्त किया आज वे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि दो करोड़ नौकरियां देंगे लेकिन 12 वर्ष हो गये हैं तो 24 करोड़ नौकरियां कहां लगीं, यह भी बताएं। वही लोग आज यहां रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं जो कहते थे कि पकोड़े तलना भी रोजगार है। वही लोग आज यहां गारंटी की

03.09.2026/1435/AG/PB/2

बात और रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस समय हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े रोजगार के साधन भारतीय सेना में जाने को भी प्रभावित किया। खासकर कांगड़ा और हमीरपुर जिला के जो लोग थे उनमें यदि डेंसिटी वाइज देखा जाए तो पूरे देश में सबसे अधिक मात्रा में सैनिक इन्हीं दो जिलों में मिलेंगे। आपने उस रोजगार के साधन को भी बंद करके एक स्थायी नौकरी के स्थान पर चार वर्षों के लिए अग्निवीर भर्ती करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपके ही नेतागण यह कहने लगे कि अग्निवीर के चार वर्षों के बाद उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी जाएगी। आप लोगों की यह मंशा रही है। आपकी कभी यह मंशा नहीं रही कि लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हों। आप प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़े। आपने एयर इंडिया बेच दी। ऐसा भी सुनने में आया है कि आप रेल भी बेचने जा रहे हैं। लोगों के पास जो रोजगार के साधन होते थे आपने उन सबको हटा दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि अगर किसी को रोजगार देना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अगर आपकी सरकार उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगी तो आगे उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा और वह रोजगार के साधन नहीं जुटा पाएगा। इसी बात से जब हम पिछली सरकार की बात करते हैं तो जब केंद्र सरकार ने एक परीक्षा करवाई थी उसमें हिमाचल

प्रदेश का स्थान देश भर में 18वां और 21वां रहा। हमारी सरकार सत्ता में आई और माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बने तथा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी बने। जैसे ही उसके बाद अगली परीक्षा करवाई गई तो आज हमें यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि अब प्रदेश का स्थान पहले दो-तीन स्थानों में है जबकि पहले यह 18वें और 21वें स्थान पर था। हमने शिक्षा पर ध्यान दिया। रोजगार तब मिलेगा जब कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा होगा और यदि आप यह नहीं करवा सके तो फिर विपक्ष से यह आवाज आती है कि सरकार ने स्कूल बंद किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक फिगर बहुत अलार्मिंग है जिसका मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में पहले भी उल्लेख किया था कि तकरीबन 734 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा था।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1440/ए0जी-ए0पी0/-01

श्री आशीष बुटेल जारी .....

वह स्कूल किसके लिए थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। माना कि आपकी सरकार के पास पास 75 हजार करोड़ रुपये आए। By way of Revenue Deficit Grant (RDG) और several other things. जी0एस0टी0 की कम्पेन्सेशन आदि जो हमारी सरकार के समय में बंद है। 75 हजार करोड़ रुपये इन्होंने अगला इलेक्शन जीतने के लिए खर्च किये हैं। वर्ष-2022 के अप्रैल से लेकर जब तक इलेक्शन नहीं हुए, तब तक इतने स्कूल, इतने कॉलेज खोले जिनकी आवश्यकता हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन उनमें बच्चा कोई नहीं था। उनको अगर बंद किया गया और मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि जो खर्चा हिमाचल के लोगों की जेबों से जा रहा था, अगर उसको हमने बचाया तो उसमें हमने क्या गलत किया? अब मैं शिक्षा विभाग में रोजगार की बात करता हूं। शिक्षा विभाग में रोजगार और अच्छी पढ़ाई देने के लिए आज 147 सी0बी0एस0ई0 स्कूलों को खोला गया है। इन स्कूलों में 3,500 नए शिक्षक लगाए जा रहे हैं। इस तरह से रोजगार के साधन हमनेने उनके लिए

उपलब्ध करवाए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पिछली भाजपा की सरकार के समय 10,750 लोगों को नौकरियां शिक्षा विभाग में दी गई थी। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस पार्टी की सरकार का हिस्सा हूं, जिसने आज ऑलरेडी 9,000 पोस्टें शिक्षा विभाग में भर चुके हैं और 7,000 ऐसी पोस्टें हैं जो शिक्षा विभाग आने वाले समय में भरने जा रहा है। शिक्षा विभाग तीन-चार महीने में इन पोस्टों को भरेगा और सब आपके सामने होगा। इसके अलावा 6,200 पोस्टें ऐसी हैं जोकि आया हेल्पर की हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग भरने जा रहा है। अब अगर कम्पैरिजन किया जाए तो 10,750 इनके समय पर और हमारे समय में तकरीबन 22,200 पोस्टें जब तक हमारी सरकार यहां पर है, कम-से-कम उतनी पोस्टें हमारी सरकार भरने जा रही हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रोजगार देने में हमारी सरकार डबल से भी ज्यादा है। जब मैं माननीय मंत्री जी से कल बात कर रहा था। शिक्षा का स्तर ऊपर करने के लिए हमने क्या किया? हमने गारंटी दी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हर एक विधान सभा क्षेत्र में होंगे। हमने क्या किया? हमने सभी विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग

03.09.2026/1440/ए0जी-ए0पी0/-02

स्कूल सभी के विधान सभा क्षेत्रों में थे। किसी के पास अगर जमीन नहीं मिली तो नहीं बने होंगे। जहां पर जमीन मिल रही है, वहां पर बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गर्व के साथ एक बात कहता हूं कि जैसा मैंने कहा, मैं उस सरकार, उस पार्टी का हिस्सा हूं, जहां हमने यह काम करके दिखाए हैं। महोदय, आई0पी0एच0 विभाग में छः हजार के करीब पोस्टें हम भर चुके हैं और आने वाले समय में चार हजार ओर नई पोस्टें भरी जाएंगी। उसके बाद शायद ओर पोस्टें आएंगी तो लगभग 10,000 पोस्टें आपकी ये हो गई। इसी तरह से आपके फॉरेस्ट में वन मित्र, उन्हें आप जिस श्रेणी में भी कहें। लेकिन 2,035 के करीब वन मित्र की भर्ती की है। आपके फॉरेस्ट गाड्र्स की डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन को मिलाकर 200 फॉरेस्ट गाड्र्स की पोस्टों को हम भरने जा रहे हैं। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की 500 ओर पोस्टें भरने जा रहे हैं। इसी तरह से पुलिस की भर्ती भी आपके सामने होने जा रही है।

उसके लिए भी मैं समझता हूं कि इस सरकार को विपक्ष के जो हमारे मित्र हैं, वो भी थोड़ी सी उनकी पीठ थपथपाएं तो मुझे अच्छा लगेगा और सच-को-सच कहें। उसी तरह से एक हजार के करीब डॉक्टर्स जिनमें अभी तक 590 डॉक्टर्स लग चुके हैं। अभी 416 डॉक्टर्स की भर्ती प्रोसेस में हैं। 1006 डॉक्टर हमारी सरकार लगाने जा रही है। इसके बाद स्टाफ नर्सों की अगर हम बात करें तो 2,518 स्टाफ नर्सेज हमारी सरकार लगाने जा रही है। अगर मैं आपकी सरकार के समय के फिगर निकालूं तो जितने डॉक्टर्स थे आज उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर्स हमारी स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। जितनी नर्सें थीं, उससे कहीं ज्यादा नर्सें राज्य में काम कर रही हैं। ओ0टी0एस0 की दिक्कत हर जगह आती थी। आज ओ0टी0एस0 की 276 पोस्टें की भरने जा रहे हैं। हर जगह X-ray की मशीनें होती थीं लेकिन रेडियोग्राफर नहीं होता था, इसलिए काम नहीं हो पाता था। हमारी सरकार रेडियोग्राफर की 130 पोस्टें देने जा रहे हैं। गांधी जी, आप इशारा तो वहां से कर रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई मालूम है और ये जो मैं बहुत ऑथेंटिक चीजें आपको बता रहा हूं.....(व्यवधान)

Speaker: No disturbance please.

03.09.2026/1440/ए0जी-ए0पी0/-03

श्री आशीष बुटेल : ये बार-बार पक्की नौकरी की बात करते है। आप बताओं कि पक्की नौकरी क्या है? क्या हमारा राज्य चयन आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन पक्की नौकरी नहीं देता है। उसका भी मैं, महोदय मैं ऑन रिकॉर्ड एक कम्पैरिजन करना चाहूंगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

03.09.2026/1445/AT/AS/01

श्री आशीष बुटेल जारी....

मैं चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो 690 लोग लगे, वे पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार का स्पिलओवर था। उन्हें पिछली सरकार ने

रिकमेंड किया था और आपकी सरकार ने यहां पर उनकी नियुक्ति की। उसके बाद 745, 262 और 463 लोग थे, जिन्हें आप लोगों ने यहां पर नियुक्त किया। यानी कि 1,500 से भी कम लोग आपके समय में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लगे।

महोदय, हमारी सरकार के अंदर 531, 1,500 और 824 लोग नियुक्त हुए हैं। अगर इसका पूरा हिसाब लिया जाए तो तकरीबन 2,800 लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हमारी सरकार के समय में ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। मैं इनको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि यह संख्या आपकी सरकार के समय की तुलना में लगभग दोगुनी है।

राज्य चयन आयोग की बात करें तो उस समय हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता था। महोदय, अगर मैं वर्ष 2017-18 से शुरू करता हूं तो वर्ष 2017-18 में पिछली सरकार का ही कार्यकाल था, क्योंकि दिसंबर 2017 में सरकार बनी थी। इसलिए 2018-19 से अगर मैं शुरुआत करूं तो तकरीबन 12,000 लोगों की भर्तियां इन्होंने सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कीं। लेकिन महोदय, हुआ क्या? वे कौन-सी भर्तियां थीं? माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वे बैकडोर भर्तियां ऐसी थीं, जहां पेपर भी लीक हुए और लोग भी अंदर गए। न जाने ये जो 12,000 लोग मैं कह रहा हूं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, जिनकी एंट्री बैकडोर के जरिए हुई है।

महोदय, हमारी सरकार आई। आप ठीक कह रहे हैं कि दो साल तक राज्य चयन आयोग नहीं रहा। यह बात मानने वाली है। लेकिन दो साल तक राज्य चयन आयोग नहीं रहने के बावजूद, आज की तारीख में हम 11,000 भर्तियां कर चुके हैं, जो आपसे केवल 1,000 कम हैं। अभी हमारे पास एक साल और है। दो साल तक राज्य चयन आयोग नहीं रहने के बावजूद हमने 11,000 लोगों को वहां पर भर्ती किया है। मैं समझता हूं कि भर्तियों के मामले में यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी

03.09.2026/1445/AT/AS/02

अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास रोजगार के साधन क्या हैं? या तो लोग

गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर स्वरोजगार करें। हम लोग इन सभी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां सरकारी नौकरी मिल सकती है, वहां सरकारी नौकरी दे रहे हैं। जहां स्वरोजगार के ऊपर जोर दे सकते हैं, वहां स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा हैं। अभी हाल ही में जब चर्चा चल रही थी तो कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार की बात कर रहे थे। महोदय, आज से पहले कब हुआ कि मक्की और गेहूं के ऊपर तथा प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर इतनी एम0एस0पी0 किसी प्रदेश में मिलती हो? आप बताएं। हमने देखा कि आप कहते थे कि हमारे खेतों के अंदर गाय घुस जाती हैं, उसका नुकसान होता है और बंदर नुकसान करते हैं। तो एम0एस0पी0 किस पर देना शुरू की? हल्दी पर।

मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने घर के लिए हल्दी का बीज लिया। जब हल्दी का बीज लिया तो वह 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आया, जबकि लगभग 90 रुपये के आसपास हमारी सरकार हल्दी की सरकारी खरीद कर रही है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको तो सरकार पूरा कर रही है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वह उनकी ही जेब में जाना है। ये स्वरोजगार के अवसर हैं।

दूध की बात करें, तो आप कहते है कि आपने दूध की गारंटी दी थी। बिल्कुल गारंटी दी थी। आपके समय में दूध 40 रुपये प्रति लीटर थी। आज 71 रुपये प्रति लीटर दूध की गारंटी हम लोगों ने दी है और हम किसानों से दूध खरीद रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके जितने भी लोग यहां पर बार-बार यही चर्चा करते रहते हैं, उनको यह समझना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जिन लोगों को...(व्यवधान) लोकेन्दर जी अभी बोलेंगे। आनी के इलाके में, मेरे ख्याल से, दूध की सबसे ज्यादा योजनएं अगर कहीं आई हैं तो वहीं आई हैं। लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं और डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं। वे पैसे किसी और की जेब में नहीं जाएंगे। जो काम करेगा और मेहनत करेगा, उसी को उसका लाभ मिलेगा। महोदय, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हुं। मुझे मालूम है कि यह प्रस्ताव यहां पर क्यों आया है। यह प्रस्ताव इसलिए आया है क्योंकि हमारे विपक्षी

03.09.2026/1445/AT/AS/03

दल के लोग चाहे वे यहां पर हों या केंद्र सरकार में, वे हमारी अगली पीढ़ी से डर चुके हैं। वही हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। जेन-जी, जिनको इन्होंने यह नाम दिया है...(व्यवधान) जिस एक पीढ़ी ने प्रधानमंत्री जी, को मित्रों से फ्रेंड्स तक पहुंचा दिया, हम उसी पीढ़ी की बात कर रहे हैं और आज इन्होंने केंद्र सरकार को घुटनों पर लाया है। कल किसी ने एक बात कही। कहते हैं कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो उस समय एच0आर0डी0 मिनिस्टर थे, उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? उन्होंने थोड़ी पेपर लीक किया था।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी......

03.09.2026/1450/AV/AS/1

श्री आशीष बुटेल------- जारी

बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मंत्रीत्वकाल में जब रिज़ाईन किया था तो वे उस समय इंजन ड्राईवर थोड़ी न थे जब रेल दुर्घटना हुई थी। वर्ष 1962 में जब चीन के अंदर मिलिट्री सैटबैक हुआ तो श्री वी0 के0 कृष्णा मेनन ने रिज़ाईन किया परंतु वे सरहद पर लड़ाई में शामिल थोड़ी न थे। लेकिन उन्होंने जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। इसी तरह से श्री माधव राव सिंधिया जी पंजाब में उस ट्रेन के ड्राईवर नहीं थे जिसका एक्सिडेंट हुआ और जिस वजह से उन्होंने रिज़ाईन किया। इसी तरह मुम्बई के अंदर जब 26/11 हुआ था तो उस समय श्री शिव राज पाटिल जी ने नैतिकता के आधार पर रिज़ाईन किया था।

हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस मंशा से बेरोज़गारी से संबंधित प्रस्ताव लाया है, मैं इस बारे में सब समझता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं गुणा ज्यादा रोज़गार दिए हैं जोकि ऑन रिकॉर्ड है। मैंने ये आंकड़े किसी से लिए नहीं अपितु ये वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप अगर वहां से देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सरकार की क्या कारगुजारी थीं और हमारी सरकार ने क्या काम किए हैं।

03.09.2026/1450/AV/AS/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे युवाओं के लिए रोज़गार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने की अनुमति दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के लिए जो गांरटीज दी थीं, मैं उसके संदर्भ में अभी श्री आशीष बुटेल जी की बात भी सुन रहा था। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यहां पर अपनी-अपनी बात रखी है कि इस सरकार ने यह नहीं किया या इस सरकार ने वह गारंटी पूरी नहीं की है। माननीय श्री आशीष बुटेल ने यू0पी0ए0-i और यू0पी0ए0-ii से अपनी बात शुरू की थी। इन्होंने कहा कि हमने स्कीम का नाम बदल दिया। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मनरेगा को पहले 'रोज़गार गारंटी' के नाम से, फिर 'नरेगा', 'मनरेगा', तथा आज 'विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी' के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में यह भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मनरेगा को बंद कर दिया गया है जबकि आज भी काम हो रहे हैं और आज भी ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उसमें लगभग सभी पैरामीटर्ज पुराने रखे गए हैं, उसमें जो लीकेज इत्यादि थी उसको हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा बंद करने की कोशिश की गई है। मैं सत्ता पक्ष के अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई श्री आशीष बुटेल जी जिस वैबसाइट की बात कर रहे थे उन चीजों को मैं भी पढ़ रहा था। मैंने भी कुछ चीजें टटोलने की कोशिश की है। वर्ष 1991-92 की बात है जब देश में नबूदार नीति आई यानी 'नियो लिबरल पॉलिसी' आई जिसमें आपने एल0पी0जी0 को अडॉप्ट किया। लिब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन; इस नबूदार नीति के तहत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम करके निजी क्षेत्र बाजार की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा और निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना था। उस समय इनको आर्थिक सुधार कहा गया। उस समय देश में श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तथा डॉ0 मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उस समय जो सरकार द्वारा नबूदार नाम की नीति लाई थी जिनको आप नियो

लिबरल पॉलिसी कहते हैं, उसके इम्पैक्ट आज दिन तक पड़ रहे हैं। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जॉर्ज डब्ल्यू

03.09.2026/1450/AV/AS/3

बुश थे। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता कि उनकी नीतियों को अपनाने के क्या कारण रहे होंगे। परंतु यहां पर बार-बार हमारी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दोष थोपा जा रहा है। इन्होंने ओ0पी0एस0 की बात की तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यहां पर एन0पी0एस0 किस पार्टी की सरकार ने शुरू की थी? आप इस विषय के बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम तो पहली बार के विधायक हैं। इस सरकार को अभी चार वर्ष पूरे नहीं हुए हैं परंतु हमने इस कार्यकाल में जितना समझा व पढ़ा तो हमें पता है कि उसको कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने अडॉप्ट किया था। आज ये कह रहे हैं कि हमने गारंटीज दीं

टी सी द्वारा जारी

03.09.2026/1455/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री लोकेन्दर कुमार ... जारी

इन्होंने यहां ओ0पी0एस0 की बात की। किन लोगों ने और किस सरकार ने यहां एन0पी0एस0 योजना शुरू की थी, इस विषय को भी सब लोग जानते हैं। हम पहली बार विधायक चुनकर आए हैं परंतु जितना हमने पढ़ा और समझा है, अभी हमें चार वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं उसमें हमने जितना जाना है, उससे हमें मालूम है कि कांग्रेस की सरकार ने उसको अडॉप्ट किया था। आज ये कह रहे हैं कि हमने गारंटी दी। आपने कितने लोगों को ओ0पी0एस0 दी? जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हमें जवाब दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आज भी मेरे प्रश्नों के जवाब में कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। रोजगार के ऊपर हमने प्रश्न पूछा था उसमें भी कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय बड़े भाई सुरेश जी कल कह रहे थे कि तीन हजार लोग यहां लग गए और

तीन हजार लोग वहां लग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार गलत आंकड़े दे रही है या सुरेश जी और अधिकारियों के पास जो आंकड़े हैं, वे गलत हैं। इनमें से हम किसको सच मानें? हम मुख्य मंत्री जी को सच मानें या जो सूचना हमें दी जा रही है कि सूचना एकत्रित नहीं हो रही है उसको सच मानें या फिर जो सुरेश जी और हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको सच मानें? ...(व्यवधान) बुटेल जी ने भी बोला कि इस सरकार ने यह किया। मैंने तो वर्ष 1992 की बात की कि कहां से ये नव-उदारवाद की नीतियां आईं। मैं उस विषय पर जाना चाह रहा हूं कि किसने निजीकरण को पैदा किया, किसने बढ़ावा दिया, किसने उदारीकरण को बढ़ावा दिया और किसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया।

अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियों को पूरा कर दिया है। मैं रोजगार की बात करना चाहता हूं। वर्तमान सरकार पांच साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का वायदा करके सत्ता में आए थी। आज क्या नौकरी मिल रही है? सिर्फ 5800 रुपये की नौकरी मिल रही है, नौकरी कहां मिल रही है, नौकरी क्या मिल रही है? आपने क्या कर दिया? हमारी पिछली सरकार में आउटसोर्स पर लोग लगे थे जिनको मिनिमम वेज मिलती थी। आपने मिनिमम वेज की बात की थी परंतु आप तो मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे हैं।

03.09.2026/1455/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

आप जिस संविधान की बात करने की कोशिश करते हैं, क्या हम उस संविधान को नहीं मानते? मैंने संविधान के मुताबिक ही कहा है कि मजदूरों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं जो कहीं पर अपना श्रम बेच रहे हैं उनको मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार मिनिमम वेज भी नहीं दे रही है। आपने क्या लगा दिए? आपने मल्टी टास्क वर्कर, मल्टी पर्पस वर्कर, पार्ट टाइम, फिक्स टर्म, टेंपरेरी जॉब ट्रेनिंग इत्यादि लगा दिए और आपने डॉक्टर को भी जॉब ट्रेनिंग बना दिया। आपने 34000 रुपये में चमियाणा में एक डॉक्टर की सिलेक्शन कर दी। आपने सेवा मित्र, शिक्षा मित्र, पशु मित्र और वन मित्र लगा दिए। जहां आपने मिनिमम वेज की बात की, वहां आप 5800 रुपये या 10 हजार रुपये दे रहे हैं और उन लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। हमें जगह-जगह से फोन आते हैं चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में लगे हैं या शिक्षा विभाग में लगे हैं,

लोग हमें फोन करते हैं कि हमारी बात रखो। हमें बात रखते-रखते तीन-चार साल हो गए हैं लेकिन आज भी लोगों को दो या तीन महीने बाद पैसे मिल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जब युवाओं की बात कही जा रही थी और युवाओं की बात करते हुए माननीय बुटेल साहब ने सैनिकों की बात कही । पूर्व सरकार में ठाकुर जय राम जी सरकाघाट में सैनिकों के लिए अकादमी खोली थी लेकिन सरकार ने आते ही उस अकादमी को बंद कर दिया। यह आपके नॉलेज में है। आज फिर आप सैनिकों से संरक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं। मुख्य मंत्री जी की सरकार ने सैनिकों के लिए अकादमी बंद की जबकि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने यह अकादमी खोली थी।

अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां लगभग सात हजार लोग की रोजगार कार्यालय में एनरोलमैंट हुई है। जब भर्तियां हुईं तो वहां कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिर्फ 60-70 लोग आए।

अध्यक्ष महोदय, जो इम्पैक्ट 1991 से लेकर चलता रहा है, वह आज के समय में इनकी सरकार पूरा अडॉप्ट कर रही है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में इन्होंने यह कहा कि हम इको टूरिज्म की व्यवस्था लेकर आए हैं और इसके माध्यम से हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो युवा साथी वर्षों से जलोड़ी पास, रघुपुर फोर्ट के अंदर या अपने बागा सराहन में काम कर रहे थे उनको खदेड़ दिया गया और उनके केस बना

03.09.2026/1455/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

दिए गए। इन लोगों को कौन खदेड़ रहा है? आज क्या बात कर रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया? कौन-सा रोजगार दिया? आप जो रोजगार कर रहे हैं उनको हटा रहे हैं और उनके लिए भांग की खेती की प्रपोजल दी जा रही हैं। हमारे यहां से एन0डी0पी0एस0 के मुकदमों में बहुत सारे लोग अंदर चले गए हैं जिनके मां-बाप रो रहे हैं, पत्नियां रो रही हैं और बच्चे रो रहे हैं। उनको लाखों रुपये कोर्ट में पेशी के लिए देने पड़ रहे हैं और सरकार क्या चाहती है कि मेरा युवा, मेरा आनी क्षेत्र का युवा भांग मलने में व्यस्त रहे, यह सरकार की नीति है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि भांग का उत्पादन करो। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि भांग का उत्पादन किया जाएगा तो लाइसेंस किसको

दिए जाएंगे और लाइसेंस धारक कौन होंगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय सरकार यह तुगलकी फरमान न चलाएं। जिस तरीके से तुगलक ने अपने समय में कभी चांदी के सिक्के और कभी सोने के सिक्के चलाए तथा कभी अपनी राजधानी बदल दी थी, उस प्रकार के काम न किए जाएं। इसलिए जो काम आपको करने हैं उनमें आपको रोजगार देना चाहिए। ...(व्यवधान)... सर, थोड़ा पूरा बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : मैने तो आपको चांस दिया है। आपको माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी को छोड़कर आपकी पार्टी की ओर से चांस मिला है।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महादेय, अगर हम रोजगार की बात करें तो फिर आप लॉटरी ले आए

एन0एस0 द्वारा .. जारी

3-9-2026/1500/NS-DC/1

श्री लोकेन्दर कुमार-----जारी

आप युवाओं को जुआ खेलना सीखा रहे हैं और उन्हें जुए की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आप बोल रहे हैं कि यहां लॉटरी शुरू की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस ओर युवाओं को ले जाना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आपने टाइम दिया है और मैं समझता हूं कि हमें इस सदन को जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। इस माननीय सदन को 5.00 बजे तक चलाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में श्रीखंड यात्रा होती है और उसको सरकार के हस्तक्षेप से और सरकार के कुछ लोगों के हस्तक्षेप से बंद कर दी गई तथा केवल तीन-चार दिनों के लिए ही खोली गई। वहां पर लोग लाखों रुपये इन्वेस्ट करते हैं कि जब श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें खाना खिलाएंगे और वे भोजन खाकर ही यात्रा करेंगे। बहुत-सारे लोग ऊना और कांगड़ा से लंगर लगाने के लिए आते हैं। वह सारा बंद कर दिया गया। वहां पर सैल्फ इम्प्लॉयमैंट बंद हो गई। वहां के स्थानीय लोग बार-बार सरकार से मिलते रहे परंतु सरकार ने यात्रा को शुरू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यह

सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है लेकिन जो लोग खुद रोजगार पैदा कर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। इस सरकार की इस तरह की नीतियां नहीं चलेंगी।

अभी माननीय आशीष जी ने दूध की बात कही। मैं मानता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूध का प्लांट खोला जाए क्योंकि वर्तमान समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में 1 से 1.50 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। वहां आज परिस्थितियां क्या हैं? वहां लोगों को दो-तीन महीनों से दूध के पैसे नहीं मिल रहे हैं। मई में दूध का पैसा मिला है और अब सितंबर शुरू हो गया है परंतु आज तक पैसे नहीं मिले हैं। वहां के हर दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब किसी से बात की जाती है तो वे बोलते हैं कि मुख्य मंत्री जी से बात कीजिए। अब क्या दूध के पैसे देने के लिए मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे? सरकार ने नीचे पूरा सिस्टम बनाया है। सरकार के अधिकारी और सरकार के कुछ नुमाइंदे ये जिम्मेदारी लें कि लोगों को दूध के पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लोग आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पशुओं की फीड की बोरी (कट्टा) महंगी हो गई है। फीड मुफ्त में नहीं मिलती है। किसी के बच्चे शिमला में पढ़ते हैं, किसी के बच्चों की शादियां हैं और कोई कुल्लू में पढ़ता है। ऐसे में ये बच्चे कैसे आगे जाएंगे और उनके खर्च कैसे पूरे होंगे?

3-9-2026/1500/NS-DC/2

अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां पर फॉर्म निकाल रही है कि आप पटवारी व अन्य नौकरियों के फॉर्म भर दो। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, चाहे वह पटवारी, पुलिस या कोई और नौकरी का हो उन फॉर्मों को सभी लोगों से फ्री में भरवाया जाए क्योंकि सारे बच्चे एक समान हैं। कोई कैटेगरी नहीं है। आपने बोल दिया कि बच्चे पहली से लेकर फाइनल क्लास तक अपनी जाति मेंशन नहीं करेंगे। आप क्या जताना चाह रहे हैं? आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं? क्या आप लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं या बैकडोर से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सभी बच्चों के फॉर्म फ्री में भरवाए जाएं क्योंकि कई बच्चे यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी या कहीं और बैठकर

तैयारियां कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के फॉर्म फ्री में भरवाए जाएं ताकि वे नौकरी प्राप्त कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर करूणामूलक नौकरियों की बात की गई। यहां पर कहा जा रहा है कि हमने 1600 करूणामूलक नौकरियां लगा दीं। हमें फोन आ रहे हैं कि इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? क्या इसमें 75 हजार या 3 लाख रुपये इन्कम का क्राइटेरिया है? आपने 1600 लोग लगा दिए लेकिन कई लोगों के आपने रिजेक्शन लेटर घरों को भेज दिए और कहा गया कि आप इसके एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आपकी इन्कम ज्यादा है। आप बिल्कुल साफ शब्दों में यह बता दें कि इसके लिए इन्कम कितनी होनी चाहिए जिससे सब करूणामूलक लोगों की भर्तियां हो जाएं और जो काफी लंबे समय से अपने रोजगार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं वे लग जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र आनी का युवा हर जगह पर आगे है। चाहे खेतीबाड़ी, बागवानी या पढ़ाई-लिखाई हो। मेरे क्षेत्र के युवा एम0बी0बी0एस0 और आई0ए0एस0 जैसे टैस्ट पास कर रहे हैं। मेरे पहाड़ी युवा हर टैस्ट निकालते हैं। हमें सरकार की ओर से जो संरक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मेरे बड़े भाई साहब माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां बैठे हैं और मैं कई बार इनसे मिला हूं कि आप हमें भी अपना मानें क्योंकि हम आपके बिल्कुल पड़ोसी हैं तथा आप हमारी ओर भी ध्यान दें। मेरे क्षेत्र के 35 बस रूट्स बंद पड़े हैं। रोड बंद होने से और बसें न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पहले भी उप-मुख्य मंत्री जी से इस बारे में कहा है।

3-9-2026/1500/NS-DC/3

आज युवाओं को टैक्सियों में आना पड़ रहा है, पिकअप के डाले में आना पड़ रहा है, वहां लोगों की ऐसी हालत है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

03.09.2026/1505/RKS/HK-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और आपके प्रयासों से हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये मिले हैं जिसके लिए मैं केंद्र सरकार और आपका धन्यवादी हूं। इस राशि से मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एन0एच0-305 के विषय में भी विशेष ध्यान देंगे ताकि जो 14 सालों से इस सड़क का कार्य लटका हुआ है उसे पूरा कर हमें राष्ट्रीय राजमार्ग की सुविधा प्राप्त हो सके। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नीट का पेपर लीक होने के कारण बच्चे जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी छात्र आंदोलनों से जुड़ा रहा हूं। वर्ष 2015 में फीस वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुए थे और आज भी फीसों में वृद्धि का विषय विद्यार्थियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। अभी माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने भी फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया। उस समय इसी विधान सभा के बाहर लाठी चार्ज हुआ था और हम पर भी लाठियां चली थीं। आज हम इसी सदन में विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो फीसें बढ़ी हैं उन्हें वापिस लिया जाए। आज हमारे युवा साथी एक-एक रुपये के लिए मोहताज हैं। पहाड़ों में इस बार सेब की फसल बहुत कम है। दुग्ध उत्पादकों को भी समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी फीस वृद्धि पर भी ध्यान दे ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जहां तक नीट का पेपर लीक होने का प्रश्न है, मैं उस संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वर्ष 2004 में ए0आई0पी0एम0टी0 का पेपर लीक हुआ, उसी वर्ष इग्नू परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश में सी0पी0एम0टी0 का पेपर लीक हुआ और वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके अतिरिक्त भी अनेक मामलों की लंबी सूची है। जो यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ही बहुत अच्छे हैं और विपक्ष के लोग बुरे हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपको अधिक अध्ययन करना चाहिए और मामले की तह तक जाकर तथ्यों का पता करना चाहिए।

03.09.2026/1505/RKS/HK-2

मेरी युवा साथियों से अपील है कि बहुत सारे लोग आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जंतर-मंतर के लिए, कहीं सी0टी0ओ0 के लिए और कहीं विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वे स्वयं पढ़ें, समझें और यह भी देखें कि कांग्रेस सरकारों के समय में कितने पेपर लीक हुए थे? काँग्रेस के समय में टू-जी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और अन्य अनेक घोटाले हुए हैं। जिस प्रकार कांग्रेस की सरकारों ने युवाओं को ठगने का कार्य किया है, उसे प्रदेश के युवा और विशेषकर मेरी आनी विधान सभा क्षेत्र के युवा इनकी नीतियों को अवश्य पढ़ें, समझें और उसका मूल्यांकन करें। काँग्रेस सरकार ने पुराने समय में या वर्ष 1991-92 में जो घोटाले किए हैं या इनके समय में जो पेपर लीक हुए हैं, आप इनके कुकर्मों को पढ़ें, समझे और देखें। हमारे युवाओं से यह भी वादा किया गया था कि उन्हें 58 साल वाली पक्की नौकरी दी जाएगी। आज मल्टी टास्क वर्कर, पशु मित्र, वन मित्र, शिक्षा मित्र और बिजली मित्र जैसे पदों पर भर्तियां की जा रही हैं और पक्की नौकरी सिर्फ परिवार के अंदर ही दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम आने वाले समय में प्रदेशभर में इस लड़ाई को और तेज करेंगे और अपने आनी विधान सभा क्षेत्र में भी इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिन्द। जय हिमाचल। जय आनी।

अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीन नाम मेरे पास आए हैं जिनमें श्री अनिल शर्मा, श्री लोकेन्दर कुमार और श्री इन्द्र सिंह के नाम शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत श्री लोकेन्दर कुमार के नाम पर सहमति व्यक्त की गई। अभी डॉ0 हंस राज जी पूछ रहे थे कि क्या इस सूची में श्री अनिल शर्मा जी का नाम भी शामिल है? मैंने कहा कि उनका नाम तो है but it was decided by your Party that only Mr. Lokender will take part in the deliberation और यहां से माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे। अब हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मैं नियम-130 के अंतर्गत होने वाली अधिकांश बहसों में नहीं बैठा हूं परंतु नियम-130 का जो विषय है क्योंकि you people will be here again because some of you are very

young. So, obviously not in the year 2027 or 2032 में मिल जाएगा, किसी को वर्ष 2037 में मौका मिल जाएगा। Please, Rule 130 means Rule 130, Budget Speech means Budget Speech, and Governor's Address means Governor's Address. There is a distinction between all the speeches delivered here.

श्री बी0एस0द्वारा जारी

03.09.2026/1510/बी.एस./एच.के.-1

अध्यक्ष जारी...

आदरणीय रणधीर शर्मा जी कुछ क्लास लिया करें तो अच्छा रहेगा। अब मैं आग्रह करूंगा उद्योग मंत्री जी से कि वह नियम-130 के अंतर्गत जो चर्चा इस माननीय सदन में लगभग 8 घंटे हुई है उसका उत्तर दें। इसमें कोई मतदान नहीं होगा और उत्तर के साथ चर्चा समाप्त हो जाएगी।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत जो चर्चा माननीय रणधीर शर्मा जी, माननीय सुधीर शर्मा जी, माननीय राकेश जम्वाल, डॉ0 हंस राज जी और माननीय जीत राम कटवाल जी ने प्रस्तुत की है उस पर विस्तृत रूप से बहुत सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और यह एक महत्वपूर्ण इश्यू है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के 5 मूवर्स थे। अभी 5 में से 2 सदन में हैं और एक अभी आदरणीय जीत राम कटवाल जी आ गए हैं तो यह दर्शाता है कि इस इश्यू में इनकी सीरियसनेस कितनी है? यह आपका इश्यू है। ...(व्यवधान) यह सरकार का इश्यू नहीं है यह आपका इश्यू है और सरकार ने इसका जवाब देना है और मैं आपकी बात से सहमत हूं।

Speaker : Please, please ...(Interruption) Let him make his point. ...(Interruption) Let him make his point.

उद्योग मंत्री : मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा इश्यू है। किसी भी देश और प्रदेश के नौजवान का भविष्य क्या होगा यह उस देश और प्रदेश की दिशा तय करती है।

जैसा हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना सरकार और समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। विशेषकर हम हिमाचल की परिस्थिति में कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नौजवान की पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी रहती है।

इसी का परिणाम यह हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है और हमारी सरकारी कर्मचारियों की फौज है वह as compare to other states और उनकी जो रेशियो है, it is the highest in India.

03.09.2026/1510/बी.एस./एच.के.-2

हमने समय-समय पर देखा है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। कर्मचारियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजा है और हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है।

आज हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं चाहे वह सोशल सैक्टर में हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो या अदर इंडिकेटर्स हों उसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर हर लैवल पर हाईएस्ट लेवल पर रहा है।

इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं पूर्व की सरकारों को दूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं और चाहे पूर्व के मुख्य मंत्री रहे हैं उन्होंने तन-मन-धन से हिमाचल प्रदेश की सेवा की है।

हिमाचल प्रदेश को इस लेवल पर लाने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर सेवाएं दी हैं हिमाचल प्रदेश के बच्चों को पढ़ाया है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि

है। उनको भी आज इस सदन के माध्यम से मैं सभी कर्मचारियों को बधाई दूंगा और उनकी जो सेवाएं हैं उनकी सराहना करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सरकारी नौकरियों का सीधा संबंध प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है यह हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा जो कर्ज है हमारा जो लोन है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है।

माननीय जय राम जी जब वर्ष 2017 में मुख्य मंत्री बने थे उस समय यह 48,000 करोड़ रुपये था। मगर जब उन्होंने 2022 में छोड़ा तो यह 78,000 करोड़ रुपये था।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय मंत्री जी तथ्य पर बोलिए।

उद्योग मंत्री : आज हिमाचल प्रदेश में ... (व्यवधान) मैं सत्य बोल रहा हूं 76,500 करोड़ रुपये था ना, जो बढ़कर अब एक लाख करोड़ रुपये के करीब हो गया है।

03.09.2026/1510/बी.एस./एच.के.-3

यह जो लोन लेने का सिलसिला है यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। मगर क्या सरकार नौकरियां दे पाएगी या नहीं दे पाएगी सबसे बड़ा प्रश्न यह है? आपकी भी चिंता है और यह हमारी भी चिंता है।

अब आप हमारे घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में एक लाख नौकरी देने और पांच लाख रोजगार के साधन जुटाने की बात कही गई है। यह ठीक है हमने यह कहा है लेकिन आप यह बात भूलते हैं कि हमारा कार्यकाल अभी पांच साल का पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारी सरकार का कार्यकाल पौने चार वर्ष का हुआ है और अभी हमारे पास सवा एक साल का समय बचा है।

जैसा कि यहां श्री आशीष बुटेल जी ने जिक्र किया है। अगर हम नौकरियों की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विधायकों के प्रश्न

लगे थे कि नौकरियों में कितनी नियुक्तियां हुई हैं। मेरे पास 31 दिसंबर, 2025 तक का आंकड़ा है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

03.09.2026/1515/DT/YK -1

उद्योग मंत्री जारी....

31 दिसंबर, 2025 तक हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग 32,223 नौकरियां दी हैं। इनमें हाईकोर्ट में 766, कृषि विभाग में 426, पशु पालन विभाग में 259, शिक्षा विभाग में 7403, वन विभाग में 2133, स्वास्थ्य विभाग में 343, हायर एजुकेशन में 957, उद्योग विभाग में 141, जल शक्ति विभाग में 3,037 नियुक्तियां की गई हैं। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में 1,237, पुलिस विभाग में 14,27, पीडब्ल्यूडी में 712, ग्रामीण विकास विभाग में 253, तकनीकी शिक्षा विभाग में 140 तथा शहरी विकास विभाग में में 209 नियुक्तियां हुई महिला एवं बाल विकास विकास विभाग में 3,247, आयुष विभाग में 11,62 डॉक्टर, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी तथा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी में 389 नियुक्तियां की गई हैं। इसी तरह से एच0आर0टी0सी0 में 766, एच0पी0एस0ई0बी0एल0 में 1,286 तथा सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में 190, टूरिज्म कॉर्पोरेशन में 241 तथा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 358 नियुक्तियां हुई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 32,000 से अधिक नौकरियां हम अब तक दे चुके हैं और लगभग 18,000 के करीब नौकरियां ऐसी हैं जिनके इंटरव्यूज हो रहे हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है और पोस्टें सैंक्शन हो चुकी हैं। इस वर्ष के अंत तक अर्थात् दिनांक 31 दिसंबर, 2026 तक हम लगभग 50,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को देंगे। मैने बोल दिया अब बार-बार थोड़े मैं बोलूंगा। ...(व्यवधान) मेरा इस सदन में जो बोलते हुए वीडियो आएगा उसे देख लेना। उसमें आ जाएगा कि उसमें आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने ईमानदारी से कोशिश की है। इसके बावजूद सरकार की जो वित्तीय हालत है वह खराब है। माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री रहे हैं। He is the luckiest Chief Minister in the history of Himachal Pradesh. कोई ऐसी सरकार और मुख्यमंत्री

नहीं होगा जिसको केंद्र से 48,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में और 13,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में मिला हो। 60,000 करोड़ रुपये पांच वर्ष के अंदर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिले। हमको क्या मिला? आर0डी0जी0 के रूप में 17,000 करोड़ रुपये हमको मिले हैं। प्रदेश की आर0डी0जी0 जून 2022 में बंद हो गई। जयराम जी को पहले आर0डी0जी0 के रूप में 11,000 करोड़ रुपये मिले और फिर 10,000 करोड़ रुपये मिले। हमारी सरकार आई तो पहले वर्ष में 8200 करोड़ रुपये मिले। थर्ड ईयर में 8,200

03.09.2026/1515/DT/YK -2

करोड़ रुपये मिले। फोर्थ ईयर में 6,200 करोड़ रुपये मिले और पांचवें वर्ष में हमको 32,00 करोड़ रुपये मिले हैं। अब हमसे पूछते हैं कि जब इनकी सरकार गई तो प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपये का लोन और 11,000 करोड़ रुपये की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां भी थीं। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक जो स्टेट का रेवेन्यू है वह तो पूर्व भाजपा सरकार को मिलता रहा। आपने जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए जो छठा पे-कमीशन के अवॉर्ड के एरियरर्ज हैं तथा अन्य इंक्रीज है वह सारी-की-सारी लायबिलिटीज हमारी सरकार पर आईं। इसके बावजूद कि परिस्थितियां विपरीत थीं हमने हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को नौकरियां दी हैं तथा विकास की गति को बढ़ाया है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को देखें जब से हमारी सरकार प्रदेश में आई है तो वर्ष 2023 में भारी आपदा आई और 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वर्ष 2024 में राजनीतिक आपदा आई। चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और हम आप सब इस बात के गवाह हैं कि इस सदन में

श्री एन0जी0द्वारा जारी....

03.09.2026/1520/वाई.के.-एन.जी./1

उद्योग मंत्री......... जारी

कि इस माननीय सदन में किस तरह से सरकार को गिराने का प्रयास किया और किस तरह से यह सरकार बची। अध्यक्ष महोदय, आपका उसमें बहुत बड़ा रोल है। आपकी जो जजमेंट है...(व्यवधान) बचाने में, गिरा तो आप लोग रहे थे।...(व्यवधान) अध्यक्ष हैं और सबसे ऊपर हैं...(व्यवधान) रिवॉर्ड तो मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सरहाना करूंगा क्योंकि आपकी जो एम0एल0एज़0 के डिसक्वालिफिकेशन की जजमेंट है, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सराहा है। It has become a landmark judgment, the judgment which was given by Hon'ble Speaker, Shri Kuldeep Singh Pathania and the petition was filed by me. Now that judgment will be quoted in other Anti-Defection cases. ...(व्यवधान) यह उपलब्धि है।...(व्यवधान)

Speaker : Please, please. ...(Interruption)

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दुस्तान में जहां-जहां पर भी ऑप्रेशन लॉटस चलाया ...(व्यवधान) Sir, please let me complete. ...(Interruption) दो मिनट बोलने दीजिए।...(व्यवधान) मेरी नौकरी तो पक्की है। लेकिन मेरी नौकरी कच्ची करने में इनका (माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर को कहा) बहुत योगदान रहा है। इन्होंने मेरी नौकरी छुड़वाने के लिए पूरा जोर लगाया।...(व्यवधान) आप अब भी लगा लेना और कोई कसर मत छोड़ना।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी, रोजगार पर बोलिए।

उद्योग मंत्री : ठीक है सर, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर आंकड़ा रखा है। यहां पर कहा गया कि हमारी सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर लगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मल्टी टास्क वर्कर लगाने किसने शुरू किए? इन्हें भारतीय जनता

पार्टी की पूर्व सरकार ने लगाना शुरू किया था। माननीय सदस्य, श्री अनिल शर्मा हंस रहे हैं।

03.09.2026/1520/वाई.के.-एन.जी./2

आई0पी0एच0 (वर्तमान में जल शक्ति विभाग) और लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर लगाने की शुरूआत पूर्व सरकार में हुई थी। माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार इनकी सैलरी की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि इनकी सैलरी तो आपकी सरकार ने केवल 4,500/- रुपये तय किए थे। हमारी सरकार ने तो इनकी सैलरी बढ़ाकर 6,000/- रुपये कर दी है। हमारी सरकार ने तो पूरे हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर एक समान रूप से लगाए हैं। किसी विधान सभा क्षेत्र में 50, किसी में 40 और किसी में 25 लगाए हैं। पूर्व सरकार के समय में कुछ विधान सभा क्षेत्रों में ही ज्यादा लगाए गए थे, जैसे सिराज व धर्मपुर विधान सभा क्षेत्रों में 1000-1000 लगाए गए थे।...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी, आपकी स्थिति भी ठीक नहीं थी क्योंकि आपके वहां तो 100 भी नहीं लगे थे। पूर्व सरकार के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8 लगे थे। हमारी सरकार पूर्व सरकार के समय रखी गई कमी को पूरा कर रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम किया है।...(व्यवधान) ऐसा मत बोलो, हमारी सरकार ने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। आप कोरोना काल की बात करते हो। कोरोना के दौरान जिन लोगों ने सेवाएं दी थीं क्योंकि कोरोना काल में मैनपावर की जरूरत बहुत ज्यादा थी और जिन अस्पतालों में उन्होंने कार्य किया था, वहां पर पहले से ही मैनपावर ज्यादा थी, इसलिए कोरोना काल के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वे सभी लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी गए लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। यह बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने उस वक्त बहुत अच्छा काम किया था।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार बन जाए, वह हिमाचल प्रदेश में हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए हमें नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतर योजनाएं बनानी पड़ेंगी।

03.09.2026/1520/वाई.के.-एन.जी./3

माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार दूध का जिक्र कर रहे थे। अगर हम दूध की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दुग्ध क्रांती यानी श्वेत क्रांती हमारी सरकार के दौरान ही आई है। वर्ष 2022 में दूध के क्षेत्र में जो हमारा किसान है लगभग

पी0बी0 द्वारा......जारी

03.09.2026/1525/AG/PB/1

उद्योग मंत्री ....जारी

25,000 परिवार ऐसे थे जो हिमफेड के साथ जुड़े थे और हिमफेड को दूध देते थे। हिमफेड के माध्यम से किसानों को एक वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये दिये जाते थे। उस समय दूध की कीमत 31 रुपये प्रति लीटर थी।...(व्यवधान) हमारी सरकार ने तीन वर्षों में दूध की कीमत बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर कर दी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यदि in terms of money देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में 111 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 255 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 406 करोड़ रुपये किसानों को दिये गये हैं। इस वर्ष किसानों को दूध की कीमत के एवज में लगभग 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। ...(व्यवधान) 20 लीटर की कोई सीलिंग नहीं है।...(व्यवधान)

Speaker: No disturbance please.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और सरकार ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं।

माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी ने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के संबंध में जो बातें कही हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार ने हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये किया है। पहली बार अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। मक्की का 50 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं का 80 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया है।...(व्यवधान) ये सारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं। हमारी कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया और मजबूत किया जाये। इसके लिए हमने स्व-रोजगार के क्षेत्र में भी कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन में आउटसोर्स भर्ती की बात की गई है। आउटसोर्स पॉलिसी वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय शुरू की गई थी और उसके बाद यह निरंतर चलती रही है। पूर्व की सरकारों में भी आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होती थी और आज भी आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होती है।...(व्यवधान) यह इसलिए किया गया है क्योंकि प्रदेश में सैलरी कंपोनेंट और पेंशन कंपोनेंट लगातार बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन

03.09.2026/1525/AG/PB/2

का खर्च निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से यह खर्च बढ़ रहा है उससे ऐसा समय भी आ सकता है जब हिमाचल प्रदेश की कुल आय और कुल रेवेन्यू का 100 प्रतिशत सैलरी और पेंशन में चला जायेगा। लेकिन हमें इसके लिए विकल्प निकालना होगा और हमें प्राइवेट सैक्टर को प्रोत्साहित करना होगा। फिर वह चाहे इंडस्ट्री हो, पावर हो, टूरिज़्म हो या रियल एस्टेट हो, हमें हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना होगा। हमें ऐसी नीति बनानी होगी जिससे इन्वेस्टर्ज हिमाचल प्रदेश में आयें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यहां माइनिंग की बात की गई है। सरकार ने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है। माइनिंग पॉलिसी से सरकार की आय 240 करोड़ रुपये से 450 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और हम इसे और बढ़ाने जा रहे हैं।...(व्यवधान) एक्साइज पॉलिसी की भी बात की जा रही है। आपकी एक्साइज पॉलिसी में क्या होता था? ...(व्यवधान) एक्साइज पॉलिसी में हमेशा से ही ऐसी व्यवस्था रही है। ...(व्यवधान)

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि 450 करोड़ रुपये की आय हो रही है और मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपये की आय हो रही है। इन दोनों आंकड़ों में से कौन-सा सही आंकड़ा है?

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ रुपये की बात कही थी।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं थी। उन्होंने पासिंग वे में कह दिया था। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में माइनिंग में रॉयल्टी के रूप में 340 करोड़ रुपये आ रहे हैं और 110 करोड़ रुपये डी0एम0एफ0टी0 के रूप में आ रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश को माइनिंग से 450 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है और हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने नई नीति बनाई है। पहले माइनिंग प्लान में एक मीटर खोदने की अनुमति दी जाती थी जबकि लोग तीन-तीन मीटर तक खोदते थे। हमने इस सीमा को एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर किया है। परंतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय माइनिंग रूल्स में किए गए इस प्रावधान की अनुमति नहीं

03.09.2026/1525/AG/PB/3

दे रहा है। इस पर मुख्य मंत्री जी ने बैठक की और आदेश किये कि हिमाचल प्रदेश की इन्कम को बढ़ाने के लिए माइनिंग पॉलिसी में बनाये गये दो मीटर के रूल को इम्प्लीमैंट किया जाये। लेकिन इसमें समस्या आ रही है और इसकी आपको (माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी की ओर इशारा करते हुए) भी जानकारी होगी क्योंकि आप भी मंत्री रहे हैं। आपको मालूम है कि एक विभाग दूसरे विभाग को फेल करने और रोकने की कोशिश करता है। परंतु इसके बावजूद हम हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यगण आउटसोर्स भर्ती की बात करते हैं। अग्निवीर को कौन लाया? रेग्युलर नौकरी

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1530/ए0जी-ए0पी0/-01

उद्योग मंत्री जारी .....

हिंदुस्तान में सबसे बेहतर रेगुलर नौकरी, पक्की नौकरी और पेंशन की नौकरी आर्मी में मिलती थी। आपने उस पक्की नौकरी को भी चार साल की नौकरी बना दिया। रेलवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गनाइजेशन है। रेलवे की सारी नौकरियों को आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आपने एयरपोर्ट, पोर्ट्स आदि सभी को प्राइवेटाइज कर दिया। आपने एयरपोर्ट और पोर्ट्स अडानी और अंबानी को बेच दिये। ...(व्यवधान)

Speaker: Please, come to the employment.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो इश्यू पर ही बोलूगा। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, Please, चलिए employment only Shri Bikram ji, please. Please come to the employment now. He is coming to employment now.

उद्योग मंत्री : यह तो सिर्फ passing references हैं। मैंने आपको हिसाब दे दिया है। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, Please, Shri Randhir Sharma ji, please. These are passing references.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैंने आपको नौकरी का हिसाब दे दिया है। ये एंप्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में बोलते है। अध्यक्ष महोदय हमने एंप्लॉयमेंट के लिए अभी तक 1,60,729 लोगों को एंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए संसाधन जुटाए हैं। यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो इश्यू पर कहना चाहता हूं।

Speaker: Please conclude now.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल बात होती है। प्रश्न यह है कि हमें larger interest of the state में काम करना है। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। हमने कैनबिस की बात की आप बताइए कि रिसोर्स कैसे जनरेट होंगे? हमने लॉटरी शुरू की, आपने उसको पोलिटिकल इश्यू बना दिया। हमने भांग की खेती शुरू करने की बात की, आपने

उसको भी पोलिटिकल इश्यू बना दिया। ठीक है, विपक्ष के रूप में आप हमारी आलोचना करोगे, हमारी तारीफ नहीं करोगे। जब इलेक्शन नजदीक आएगे तो आप हमारे अच्छे

03.09.2026/1530/ए0जी-ए0पी0/-02

काम का भी विरोध करोगे। अध्यक्ष महोदय मगर मैं कैनबिस के बारे में कहना चाहूंगा कि हम जिस मेडिसिनल कैनबिस को उगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उसमें नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली कैनबिस में टी0एच0सी0 होता है जिससे नशा होता है। जबकि मेडिसिनल कैनबिस में सी0बी0डी0 होता है। माननयीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी को इसके बारे में पता होगा। हम जो कैनबिस उगाएंगे, वह किसान को दी जाएगी और लाइसेंस के माध्यम से organized way में rules के माध्यम से इसको बनाया है। हमने rate fixed किए हैं - किसान को क्या दिया जाएगा, किसान से कौन procure करेगा, किसके पास लाइसेंस होगा, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी - इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमने नियम बना दिए हैं। भांग की खेती को लेकर जो बात कही जा रही है कि नशे वाली भांग उगाई जाएगी और नौजवान इसका नशा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सी0बी0डी0, यानी मेडिसिनल कैनबिस का इस्तेमाल करेंगे। इससे राज्य की आय भी होगी। अध्यक्ष महोदय, विश्व भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप में इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

अध्यक्ष : इसका इस्तेमाल हमरी बहुत सी दवाईयों में हो रहा है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ओर आंकड़ा माननीय सदन में रखना चाहूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप हमारे unemployment rate की बात कर रहे हैं। भारत का नेशनल रेट वर्ष 2025-26 में 5.4 प्रतिशत है और हिमाचल प्रदेश का 6.5 प्रतिशत unemployment rate है। यह Economic Survey का आंकड़ा है। यह भारत सरकार का Survey है। मैं इसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं।...(व्यवधान)

Speaker: Please address the Chair.

उद्योग मंत्री : पूरे भारत का 5.4 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश- 8.3 प्रतिशत, छत्तीसगढ़-7.9 प्रतिशत, हरियाणा- 5.7 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश- 6.5 प्रतिशत, पंजाब- 8.8 प्रतिशत, महाराष्ट्र- 6.4 प्रतिशत, राजस्थान- 5.9 प्रतिशत और दिल्ली- 6.9 प्रतिशत है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

03.09.2026/1535/AT/AS/01

उद्योग मंत्री जारी....

अगर आप यह कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार दर बहुत अधिक है, तो ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान) केंद्र का 5.4 है।

अध्यक्षः सेंटर का डेटा तो एग्रीगेटेड डेटा होता है।

उद्योग मंत्री : सर, इकोनॉमिक सर्वे में है। आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, मैंने भारत सरकार का आंकड़ा दिया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। हम स्किल डेवलपमेंट अलाउंस दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं, मिल्क प्रोक्योरमेंट का कार्य किया है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं ज्यादा विस्तार में उसके अंदर नहीं जाऊंगा। ...(व्यवधान) देखिए, विक्रम जी, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना बहुत अच्छी स्कीम है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। यह हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत अच्छी योजना थी। जिन नौजवानों को अपना नया व्यवसाय शुरू करना था, उनके लिए इसमें 25 प्रतिशत जनरल कैटेगरी को, 30 प्रतिशत महिलाओं को और 35 प्रतिशत एस0सी0/एस0टी0 वर्ग को सहायता का प्रावधान था। यह बहुत अच्छी योजना थी। इसमें एक करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी सहायता दी जाती थी। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया। आपने भी इसका आंकड़ा दिया है कि आपके समय में लगभग 10,000 लोग इससे लगे और हमारे समय में करीब 6,000 लोग इससे लगे। लेकिन अब वित्तीय बाधाओं के कारण हमने इस योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है, ताकि पिछली जो देनदारी है, जो हमारे नौजवानों की देनदारी है, उसे पहले पूरा किया जा सके। अब किसी को पहली किस्त मिल गई है, लेकिन

दूसरी किस्त नहीं मिली, किसी को दूसरी किस्त मिल गई है, लेकिन तीसरी किस्त नहीं मिली। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि जिन नौजवानों के प्रोजेक्ट हमने पहले स्वीकृत किए हैं, उनकी पूरी देनदारी पहले पूरी की जाए ताकि उनके प्रोजेक्ट फेल न हों। हम पिछली देनदारी को चुकाएं और उसके बाद ही नए प्रोजेक्ट शुरू करें।

03.09.2026/1535/AT/AS/02

अध्यक्ष महोदय, ये चंद बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कोशिश यह है कि हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से एक लाख नौकरियां देने की बात की है। हो सकता है कि हम एक लाख नौकरियों के लक्ष्य तक न पहुंच पाएं, मगर हम एक लाख नौकरियों के लक्ष्य को छूने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस साल हम 50,000 नौकरियों के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अगले साल के अंत तक लगभग 75,000 से 80,000 नौकरियों के आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब नियम-130 पर ...(व्यवधान)... बैठिए, मैं बोल लेता हूं, फिर उसके बाद। ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर साहब, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... नहीं-नहीं, मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा। ...(व्यवधान)... मैं दे दूंगा। ऐसा है कि नियम-130 के जो मुद्दे हैं, आप भी जानते हैं। आप सरकार में रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। नियम-130 की चर्चा जवाब के साथ समाप्त हो जाती है। इसमें स्पष्टीकरण मांगा नहीं जाता। ...(व्यवधान)... आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। ...(व्यवधान)...एक मिनट, एक मिनट। इसमें ऐसा है कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं होते। ...(व्यवधान)...चलिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष। Today is the last day, so exception will be allowed.

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना गंभीर विषय चर्चा की दृष्टि से इस सदन के अंदर लाया गया था, उतना ही गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उसकी गंभीरता को समाप्त कर दिया गया है। जो हम जानना चाह रहे थे, उनमें से एक भी बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आई है। हम पूछ रहे थे कि आपने पांच लाख नौकरियां देने की गारंटी दे रखी है। आपने कहा था पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी। और

कांग्रेस का जो घोषणा-पत्र था, वह मैंने आपको ही दिया था और आपने ही उसे पढ़कर सुनाया था। That is part of the record. हम उसी के आधार पर पूछ रहे हैं कि आपका पौने चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान आपने कितनी नौकरियां दी हैं? वे 58 साल वाली पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां कितनी दी हैं?...(व्यवधान)ये गिन-गिन कर उन नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, जो सही मायने में नौकरियां हैं ही नहीं।...(व्यवधान)

03.09.2026/1535/AT/AS/03

अध्यक्षः आपके मुताबिक नौकरियां नहीं हैं और इनके मुताबिक ये नौकरियां हैं। ये कह रहे हैं कि 50,000 नौकरियां दी हैं।

श्री जय राम ठाकुरः वे रोजगार के माध्यमों का जिक्र हो सकता था, लेकिन उनको नौकरियों की संख्या में गिना जा रहा है। इन्होंने उन चीजों को भी नौकरियों के आंकड़ों में शामिल कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि इन्होंने और चीजों को घुमा-फिराकर कहा कि कर्जा लिया, हमने भी लिया, आपने भी लिया, कर्जा दिया, हमने भी दिया, आपने भी दिया। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जो आपने उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी......

03.09.2026/1540/AV/AS/1

श्री जय राम ठाकुर------- जारी

आप यहां पर अदानी और अम्बानी का जिक्र करते रहे। मुझे लगता है कि सरकार ने इस विषय की गम्भीरता को बिल्कुल भी नहीं समझा इसलिए हम फिलहाल सदन से वॉकआउट करते हैं क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से वॉकआउट किया गया।)

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप क्या बोलना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको आंकड़ों के साथ विस्तृत जवाब दिया है और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने अपने कार्यकाल में प्रदेश में 50,000 पक्की नौकरियां दी हैं। हमने प्रदेश में 1.60 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए हैं और यह आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने यहां पर आंकड़ों के आधार पर अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इनकी पार्टी हिन्दुस्तान तथा प्रदेश के युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि नीट के पेपर में गड़बड़ी होने पर जंतर-मंतर पर क्या हुआ। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार जंतर-मंतर पर 'जेन-जी' को लाठियों में कील डालकर पीटा गया और उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई। उनके विरुद्ध एफ0आई0आर्ज0 दर्ज की गईं। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की उनकी एफ0आई0आर0 रद्द करने के आदेश की सराहना करता हूं। आज हिन्दुस्तान में चंदे के नाम पर करोड़ों रुपये इकट्ठे किए जा रहे हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार मंदिर से चंदा चोरी हुआ है जिससे देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची हैं तथा ये लोग देश के रक्षक बनते हैं। आज इनका काम केवल हिन्दू को मुस्लमान से लड़ाना और मंदिर-मस्जिद रह गया है। यहां तक कि ये लोग राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पर भी लड़ाई कर रहे हैं। इन्होंने इस सदन के अंदर भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का मुद्दा उठाया है। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बावजूद ये लोग यहां पर 'सेब और संतरा' कहने लगे। आज भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है तथा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

03.09.2026/1540/AV/AS/2

इसलिए केवल अखबारों की सुर्खियों और सोशल मीडिया में रहने के लिए इन्होंने यह वॉकआउट किया है। मैं इनके द्वारा किए गए वॉकआउट की निंदा करता हूं।

(विपक्ष के सदस्य सदन के अंदर आए।)

03.09.2026/1540/AV/AS/3

नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष : अब नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख होंगे।

Now Hon'ble Member Shri Neeraj Nayar will raise his issue under Rule 324.

Shri Neeraj Nayar: Speaker Sir, with your permission I would like to raise an important issue under Rule 324 which contains the text :-

'The existing structure, seniority and promotional rights of the Ministerial Cadre of Treasury Officers/Superintendent."

Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, the factual position regarding the aforementioned matter is as follows: -

The following are the existing cadres of Ministerial Staff/Officers in the department of Treasuries, Accounts and Lotteries, HP: -

Sr. No.	Post/ Cadre	Total Sanctioned	Filled	Vacant	Type of post
1.	Treasury Officer	92	68	24	**Officer**
	• **Entry into officers cadre ↑**				
2.	Superintendent Grade-II	43	7	36	**Ministerial**
3.	Senior Assistant	192	106	86	
4.	Clerk/ JOA(IT) Junior Assistant	376	206	170	

The promotional rights of various Ministerial Cadres/ Officers in the Treasuries, Accounts and Lotteries, HP is as under: -

03.09.2026/1540/AV/AS/4

Sr. No.	Post/ Cadre	Method of Recruitment	Promotional post	Remarks
1.	Treasury Officer	(i) 80% By promotion from amongst the Superintendents Grade-II having three years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Superintendents Grade-II having nine-year regular service or regular	District Treasury Officer	In coming four years, 09 Suptd. Gr-II are eligible for promotion against the 24 vacant posts of Treasury Officer.
Sr. No.	Post/ Cadre	Method of Recruitment	Promotional post	Remarks
		combined with continuous adhoc service, if any, combined as Superintendent Grade-II and Sr. Assistant/ District		

		Treasurer out of which one-year service as Superintendent Grade-I1 shall be essential." (ii) 20% by direct recruitment.		

03.09.2026/1540/AV/AS/5

2.	Suptd. Grade-II	100% by way of promotion from amongst eligible Senior Assistant with 06 years of regular service in the cadre.	Treasury Officer	In coming four years, 19 Senior Assistants are eligible for promotion against the 36 vacant posts of Suptd Gr-II.
3.	Senior Assistant	100% by way of promotion from amongst eligible Clerk/ JOA(IT)/ Jr. Assistant with 07 years of regular service in the cadre.	Suptd. Grade-II	In coming four years, 151 Clerk/ JOA(IT)/ Jr. Assistants are eligible for promotion against the 86 vacant posts of Senior Assistant.

03.09.2026/1540/AV/AS/6

4.	Clerk/ JOA(IT)	i. **70%** by direct recruitment on 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. ii. **20%** by Limited Direct Recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials possessing the 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H.P. iii. **10%** by promotion failing which by direct recruitment on a regular	Senior Assistant	--

03.09.2026/1540/AV/AS/7

Sr. No.	Post/ Cadre	Method of Recruitment	Promotional post	Remarks
		basis or by recruitment on contract basis, as the case may be:		

Further, Government has approved 10 posts of Assistant Treasury Officers in the department. There is a cadre of 44 Computer Operators in the department and presently, no promotional avenue is available to them.

Any future cadre review or rationalization proposal, as and when initiated, examined or finalized within the department shall take into consideration the existing structure, seniority and promotional rights of the ministerial cadre, particularly the established promotional hierarchy from clerical posts to Senior Assistant to Superintendent Grade-II to Treasury Officer and thereafter Treasury Officer to District Treasury Officer so that the existing promotional avenues and legitimate service interests of the cadre are duly safeguarded.

03.09.2026/1540/AV/AS/8

अध्यक्ष : अब श्री दलीप ठाकुर नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगे। जिसका जवाब मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) देंगे।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अंतर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार है :-

"मै, सरकार का ध्यान एच0पी0आर0सी0ए0 द्वारा जे0ओ0ए0 (आई0टी0) पोस्ट कोड 939 में चयनित हो चुके अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, पत्र संख्याः एच0पी0एस0एस0सी0 (2)-21/21-Vol-III, दिनांक 5 जनवरी, 2026 के माध्यम से विभिन्न विभागों / बोर्डों के लिए प्रतीक्षारत पैनल में रखे गए 12 अभ्यर्थियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रतीक्षारत पैनल में रखे गए उक्त 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा उन्हे नियुक्ति प्रदान किए जाने की स्थिति से सदन को अवगत करवाया जाए।"

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा जे0ओ0ए0 (आई0टी0) पोस्ट कोड 939 के अर्न्तगत 12 अभ्यर्थियों की संस्तुति नियोक्ता के मांग पत्र के अनुसार प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित बोर्डों को भेजी गई है :-

Sr. No.	Letter No.	Name of Board	Recommended Candidates
1.	HP SSC-C(2)-21/21(R-1)-2990 dated 07.01.2026	Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, Him Parivesh, Phase-III, New Shimla -9.	03 Candidates

03.09.2026/1540/AV/AS/9

2.	HP SSC-C(2)-21/21(R-1)-2991 dated 07.01.2026	The Managing Director, H.P. State Agricultural Marketing Board, Vipnan Bhawan, Khalini, Shimla - 2.	01 Candidate
3.	HP SSC-C(2)-21/21(R-1)-2992 dated 07.01.2026	The Secretary, H.P. Board of School Education, Dharamshala	08 Candidates
		Total	12 Candidates

उपरोक्त 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबन्धित बोर्डों द्वारा की जानी है। अतः प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा इस मामले में सम्बन्धित बोर्डों से आगामी कार्रवाई बारे अनुसरण (follow-up) किया जाएगा।

03.09.2026/1540/AV/AS/10

अध्यक्ष : अब श्री विनोद सुल्तानपुरी जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार हैः-

"मैं सरकार का ध्यान जिला शिमला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के लिए टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने हेतु आमंत्रित निविदा में निर्धारित L-1 (Lowest Rate) दरों के बावजूद म्यूनतम दर वाले टैक्सी सेवा प्रदाता को कार्य/अनुबंध प्रदान न किए जाने की और आकार्षित करना चाहता हूं।

निविदा संख्या एस.एम.एल. डी.एन.- (Taxi Rate)-2025-26, दिनांक 04.11.2025 के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 06.12.2025 को (L-1) दरें निर्धारित की गई थी तथा तकनीकी रूप से योग्य फर्मों से उक्त न्यूनतम दरों पर कार्य करने की सहमति भी मांगी गई थी, इसके बावजूद यदि L-1 दर वाले सेवा प्रदाता को कार्य/अनुबंध प्रदान नहीं किया गया है तो इससे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को कार्य प्रदान किए जाने से सरकारी धन पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना भी उत्पन्न होती है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त मामले में L-1 दर वाले सेवा प्रदाता को कार्य/अनुबंध प्रदान न किए जाने के कारणों, अपनाई गई प्रकिया तथा संबंधित नियमों की स्थिति सदन के माध्यम से स्पष्ट की जाए तथा यदि निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि जिला शिमला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के लिए टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा दिनांक 04-11-2025 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

03.09.2026/1540/AV/AS/11

तदानुसार, दिनांक 29-11-2025 को गठित निविदा समिति द्वारा प्राप्त निविदाओं का तकनीकी परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया। तत्पश्चात् तकनीकी मूल्यांकन में पात्र पाए गए निविदा दाताओं की वित्तीय बोलियों को खोला गया।

निविदा समिति द्वारा वित्तीय बोलियों के परीक्षण उपराना गठित L-1 दरें निर्धारित की गई। निविदाओं के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्राप्त न्यूनतम वित्तीय बोलियां (L-1 rates) पूर्व में निर्धारित दरों की तुलना में काफी कम हैं। तत्पश्चात निविदा समिति को निर्देशित किया गया कि प्राप्त L-1 दरों का पुनः परीक्षण करते हुए निविदा दाता द्वारा उद्धृत एरों की वितीय व्यवहार्यता एवं दीर्घकालिक स्थिरता (Financial viability and sustainability) का समुचित आकलन किया जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निविदा प्रक्रिया एवं L-1 दरों के संबंध में M/S नरेश दूर एंड ट्रेवल्स द्वारा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका (CWP) दायर की गयी थी। उपायुक्त, जिला शिमला के निर्देशानुसार निविदा समिति द्वारा L-1 दरों का पुनः परीक्षण सहायक अभियंता, (मैकेनिक) व क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी शिमला द्वारा किया गया तथा उनकी अनुशंसा के आधार पर समस्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त की गयी कार्यवाही से माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को अवगत भी करवाया गया। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2026 याचिकाकर्ता की प्रार्थना अनुसार उक्त याचिका (CWP) को निरस्त कर दिया गया है। अतः भविष्य में निविदा प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी।

03.09.2026/1540/AV/AS/12

अध्यक्ष : अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार हैः-

"मैं सरकार का ध्यान जल शक्ति विभाग के विभिन्न डिवीजनों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत टी.एस.पी. एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को गत तीन माह से वेतन न मिलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वेतन लबित होने के कारण इन कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण-पोषण, मकान किराया, बच्चों की फीस तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

अतः सरकार से विनम्र आग्रह है कि उक्त कर्मचारियों के तीन माह के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान करवाया जाए तथा भविष्य में इनके वेतन का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए?"

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालयो में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत टी. एस.पी. एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों के वेतन भुगतान में अप्रैल, 2026 से विलम्ब हुआ। वेतन भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण

जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत निधियों की अपर्याप्तता रही। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध बजट / निधियां मिशन से संबंधित स्वीकृत गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्धारित थी तथा संबंधित अवधि में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं हो सकी। उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं विभागीय कार्य, विशेषकर जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों के संचालन एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग की जा रही है। अतः उनके वेतन का भुगतान लम्बित रहने की स्थिति को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया। इस प्रकरण को वित्त विभाग के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर उठाया गया तथा लम्बित वेतन के भुगतान हेतु वैकल्पिक रूप से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने की कार्रवाई की गई। इस क्रम में माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक की अवधि के लम्बित वेतन के भुगतान हेतु सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई तथा वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों से बैसर्स National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) शिमला को

03.09.2026/1540/AV/AS/13

आवश्यक राशि जारी की गई है तथा संबंधित आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका लम्बित वेतन शीघ्र प्रदान किया जा सके। यह भी अवगत करवाया जाता है कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान एवं निधियों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने की व्यवस्था की जा रही है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल जीवन मिशन अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता में कमी के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो तथा वेतन भुगतान हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान एवं निधियों की उपलब्धता का समय रहते समुचित प्रबन्धन किया जा सके।

अतः माह अप्रैल से वेतन भुगतान में विलम्ब मुख्यतः जल जीवन मिशन के अंतर्गत पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण हुआ। तथापि, सरकार द्वारा मामले में हस्तक्षेप करते हुए वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों से लम्बित वेतन के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने हेतु बजटीय प्रावधान, निधियों की उपलब्धता एवं वित्त के समयवद्ध प्रबंधन की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

03.09.2026/1540/AV/AS/14

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह बर्मा जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री बलबीर सिंह बर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार हैः-

"चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो एक दूरदराज एवं अपेक्षाकृत पिछड़ा क्षेत्र है; उक्त क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य गत पांच वर्षों से प्रगति पर है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। अतः सरकार से आग्रह है कि उक्त निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा कार्य पूर्ण न होने के कारणों सहित इसे पूर्ण किए जाने की समय-सीमा से सदन को अवगत करवाया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-324 के अन्तर्गत प्रस्ताव/नोटिस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु उल्लेख किया है।इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुपवी के भवन का निर्माण कार्य लगभग 85 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। इसके लिए 327.66 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 21-11-2025 को जारी की गई है तथा स्वीकृत धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को जमा करवा दी गई है। CHC भवन, कुपवी, तहसील कुपवी, जिला शिमला का केवल जलापूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था के परीक्षण और पेंटिंग के बाद के अंतिम फिनिशिंग कार्य शेष हैं। शेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्माण कार्य में विलंब मुख्यतः टेंडर प्रक्रिया के पुनः किए जाने (Retendering Process) के कारण हुआ है। लोक निर्माण

विभाग द्वारा महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश को 26-08-2026 को आश्वस्त किया गया है कि उक्त भवन को 15-09-2026 को या उससे पहले संबंधित क्लाइंट विभाग (स्वास्थ्य विभाग) को सौंप दिया जाएगा (संबंधित साक्ष्यों की प्रतियां संलग्न है)। शेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।

03.09.2026/1540/AV/AS/15

निर्माण कार्य में विलंब मुख्यतः टेंडर प्रक्रिया के पुनः किए जाने (Retendering Process) के कारण हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश को 26-08-2026 को आश्वस्त किया गया है कि उक्त भवन को 15-09-2026 को या उससे पहले संबंधित क्लाइंट विभाग (स्वास्थ्य विभाग) को सौंप दिया जाएगा (संबंधित साक्ष्यों की प्रतियां संलग्न है)।

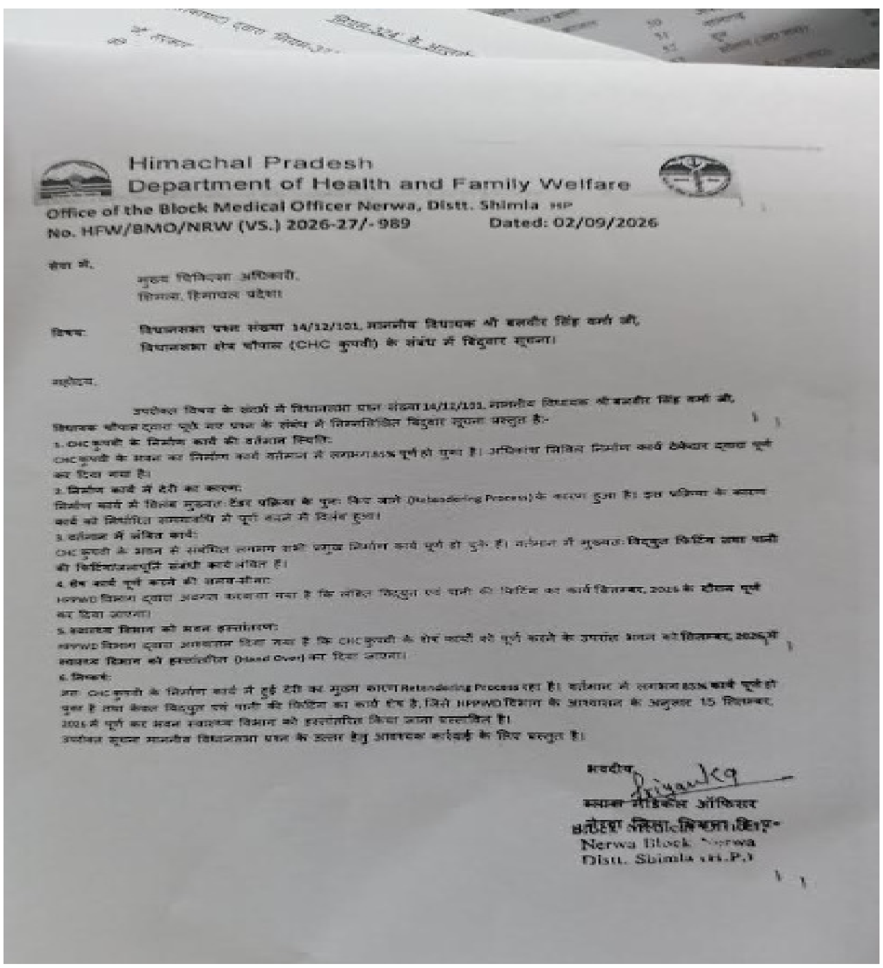

Himachal Pradesh
Department of Health and Family Welfare
Office of the Block Medical Officer Nerwa, Distt. Shimla HP
No. HFW/BMO/NRW (VS.) 2026-27/- 989 Dated: 02/09/2026

[illegible]

Nerwa Block Nerwa
Distt. Shimla (H.P.)

03.09.2026/1540/AV/AS/16

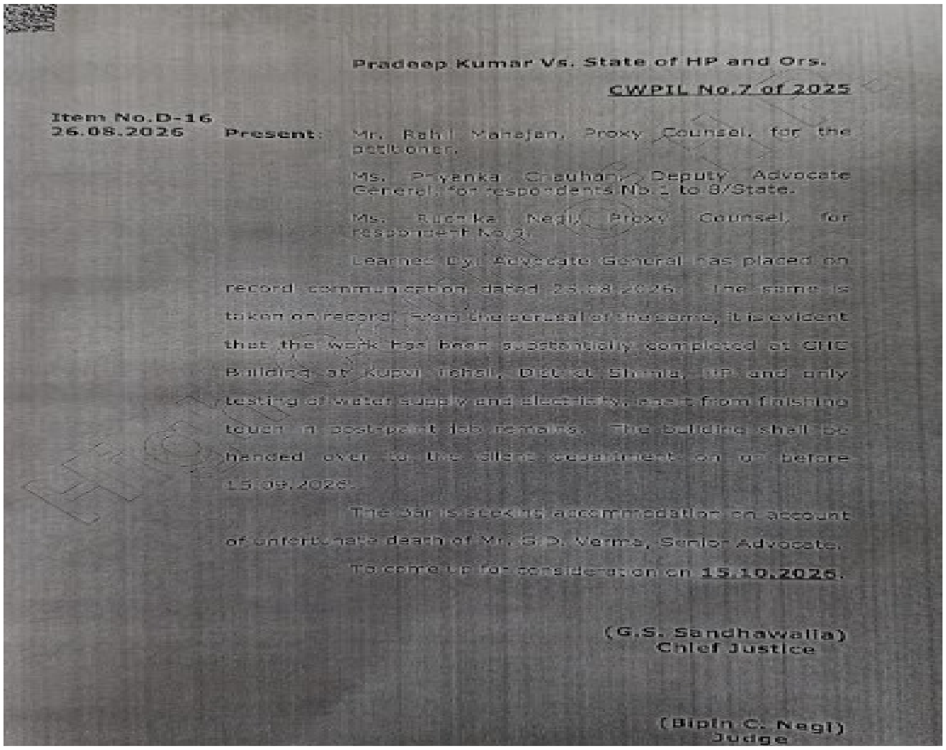

Pradeep Kumar Vs. State of HP and Ors.

CWPIL No.7 of 2025

Item No.D-16
26.08.2026 **Present:** Mr. Rahil Mahajan, Proxy Counsel, for the petitioner.

Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General, for respondents No.1 to 8/State.

Ms. Ruchika Negi, Proxy Counsel, for respondent No.9.

Learned Dy. Advocate General has placed on record communication dated 25.08.2026. The same is taken on record. From the perusal of the same, it is evident that the work has been substantially completed at CHC Building at Kupvi Tehsil, District Shimla, HP and only testing of water supply and electricity, apart from finishing touch in postpaint job remains. The building shall be handed over to the client department on or before 15.09.2026.

The Bar is seeking accommodation on account of unfortunate death of Mr. G.D. Verma, Senior Advocate.

To come up for consideration on **15.10.2026**.

(G.S. Sandhawalia)
Chief Justice

(Bipin C. Negi)
Judge

03.09.2026/1540/AV/AS/17

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार हैः-

'सरकारी एवं निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को इलाज के दौरान स्वीकार न करना तथा लम्बित भुगतान बारे विशेष उल्लेख'

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैः-

1. भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना का आरम्भ दिनांक 23 सितम्बर, 2018 को चयनित परिवारों को अस्पताल में दाखिल होने पर पांच

लाख रूपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का क्रियान्वयन दिनांक 23 सितम्बर, 2018 से किया जा रहा है।

2. इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2014-15) के परिवारों को चयनित किया गया है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाएं तथा 70 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

4. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पूरे भारत में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। पूरे देश में इस योजना के अन्तर्गत 29556 अस्पताल पंजीकृत हैं जिनमें 12879 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। 16448 सरकारी और 229 अस्पताल भारत सरकार के हैं। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 283 अस्पताल पंजीकृत हैं जिनमें 166 अस्पताल निजी, 115 सरकारी व 2 भारत सरकार के अस्पताल हैं।

5. हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार के लिए लगभग 3227 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। वर्तमान में यदि कोई सर्जरी उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है तो उसके लिए योजना के अन्तर्गत अनस्पैसिफाईड पैकेज में निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को कोई परेशानी न हो।

03.09.2026/1540/AV/AS/18

6. दिनांक 23 सितम्बर, 2018 से लेकर अगस्त 2026 तक 5.06 लाख लाभार्थियों ने 682.87 करोड़ रुपये की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

7. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में (दिसम्बर 2022 से अगस्त 2026) तक 428.50 करोड़ रुपये के निःशुल्क इलाज की सुविधा 3.04 लाख लाभार्थियों को प्रदान की गई है। जबकि पिछली सरकार द्वारा चार वर्षों मे (सितम्बर 2018 से नवम्बर 2022) तक केवल 254.37 करोड़ रुपये के निःशुल्क इलाज की सुविधा 2.02 लाख लाभार्थियों को प्रदान की गई थी।

8. योजना में लाभार्थियों द्वारा निःशुल्क इलाज करवाना और सरकार द्वारा पंजीकृत अस्पतालों को क्लेमों की अदायगी एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत 248.90 करोड़ रुपये के क्लेम लम्बित है जिनका विवरण इस प्रकार है।

अस्पताल	लम्बित राशि (करोड़ों में)
सरकारी	182.68
निजी	66.22
कुल	248.90

9. वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 37.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जबकि सरकार द्वारा अस्पतालों को 44.00 करोड़ रुपये के क्लेमों का भुगतान कर दिया गया है।

10. इस योजना में भारत सरकार व राज्य सरकार की 90:10 की हिस्सेदारी है। परन्तु भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष एक परिवार पर अधिकतम केवल 1052 रुपये का 90 प्रतिशत ही दिया जाता है तथा अतिरिक्त खर्च को प्रदेश सरकार द्वारा वहन करना पड़ता है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केवल लगभग 50 करोड़ रुपये ही दिया जाता है जबकि लाभार्थियों के निःशुल्क इलाज पर लगभग प्रतिवर्ष 150.00 करोड़ रुपये से 180.00 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है जिस कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है जिस कारण अस्पतालों के क्लेम लम्बित है।

03.09.2026/1540/AV/AS/19

11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निजी अस्पतालों द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को इलाज इलाज, से मना करने बारे या दवाइयां तथा सर्जिकल सामान के लिए नगद पैसे वसूलने बारे विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. योजना के अन्तर्गत अस्पताल में आयुष्मान मित्र का होना अनिवार्य है। योजना के संचालन में जो भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई गई है उसमें अस्पताल में आयुष्मान मित्र की उपस्थिति के बिना कार्य नहीं किया जा सकता। अतः सभी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र उपलब्ध हैं।

13. योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय शिकायत निवारण सैल सम्बन्धित जिलाधीश/उपायुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2018 को गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी भारत सरकार के 24X7 टोल फ्री नम्बर 14565 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

03.09.2026/1540/AV/AS/20

अध्यक्ष : अब श्री दलीप ठाकुर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार हैः-

"मैं, सरकार का ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवार से संबंधित ऐसी बेटियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनका विवाह होने के उपरांत EWS/आय प्रमाण-पत्र बनाते समय उनके माता-पिता की आय को भी उनकी आय में सम्मिलित किया जाता है; इससे ऐसी विवाहित महिलाओं को EWS प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अतः सरकार से आग्रह है कि विवाहित बेटी का EWS आय प्रमाण-पत्र जारी करते समय उसके माता-पिता की आय को सम्मिलित न किए जाने संबंधी आवश्यक अधिसूचना/निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, ताकि पात्र महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद-15 और अनुच्छेद-16 के तहत नाए क्लॉज 6 जोड़े गए जिनमें कमशः

उच्चतर शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे मामले में प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/संवैधानिक व्यवस्था का अनुसरण करती है, अतः, हिमाचल प्रदेश में भी सेवाओं में इस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हुए दिनांक 11.06.2019 को निर्देश जारी किए गए। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के पात्र हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को उपलब्ध आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय सभी संसाधनों को मिलाकर 4 लाख से कम हो। उपरोक्त दिशा निर्देशों के पैरा-3.3 में आरक्षण के लाभ के लिए परिवार की निम्नलिखित परिभाषा दी गई हैः-

03.09.2026/1540/AV/AS/21

"3.3 The term 'Family' for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 year."

परिवार की उपरोक्त परिभाषा विशिष्ट एवं पूर्णतया स्पष्ट है तथा केन्द्र सरकार के नीति निर्देशों पर आधारित है। परिवार की उपरोक्त परिभाषा हर व्यक्ति चाहे पुरुष हो अथवा महिला हो, समान रूप से लागू है, अर्थातः-

> किसी पुरुष को EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी स्वयं की, उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, उसकी पत्नी तथा 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आय को शामिल किया गया है।

> इसी प्रकार किसी महिला को EWS के आरक्षण का लाभप्राप्त करने के लिए उसकी स्वयं की, उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, उसके पति तथा 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आय को शामिल किया गया है।

विवाहित महिला का EWS आरक्षण के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए उसके माता-पिता की आय शामिल करना न्यायोचित तथा तर्कसंगत है तथा समानता के अधिकार के

भी अनुरूप है। भारत सरकार द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि ससुराल पक्ष परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता। क्योंकि परिवार की उपरोक्त परिभाषा केन्द्र सरकार के नीति निर्देशों पर आधारित है और इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर आगामी कार्रवाई संभव होगी।

03.09.2026/1540/AV/AS/22

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अंतर्गत माननीय सदन में उठा रहा हूं, जिसका टैक्सट इस प्रकार हैः-

"माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि चौपाल विधान सभा के अंदर डिग्री कॉलेज चौपाल की बिल्डिंग का निर्माण क्यों शुरू नहीं हो रहा? इसमें फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी हो गई है और बजट का भी प्रावधान किया हुआ है। इसकी पूरी जानकारी आप इस माननीय सदन में दें कि कब कार्य शुरू होगा और कब इसका टेंडर लगेगा तथा कब निर्माण कार्य प्रगति पर आएगा? इस कॉलेज का पूरा विवरण दें।"

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय चौपाल को खोलने की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या EDN-A-Ka(1)-2/2014-Pt दिनांक 24.09.2016 के अनुसार की गई थी। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 0-94-98 हेक्टेयर वन भूमि चयनित की गई थी। जिसके अन्तर्गत भूमि स्थानांतरण का मामला वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 की धारा-2 के तहत किया गया। जिस पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.05.2026 के तहत विधिवत सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 14.08.2026 के तहत मामला उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला से उक्त भूमि को महाविद्यालय/शिक्षा विभाग के नाम स्थांनातरण एवं म्यूटेशन करवाने हेतु प्रेषित किया गया है।

राजकीय महाविद्यालय चौपाल के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा मुबलिग 5,00,00,000/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत दिनांक 31.05.2017 को प्रदान की गई थी जोकि वन भूमि (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 के तहत अनिवार्य थी। वन भूमि (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 के तहत मामला भारत सरकार के आनलाइन पोर्टल "परिवेश" पर प्रस्ताव संख्या FP/HP/Others/38375/2019 के तहत दिनांक 17.01.2019 को अपलोड किया गया था जोकि निरन्तर प्रयास के साथ गतिमान रहा।

03.09.2026/1540/AV/AS/23

जिस पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.05.2026 के तहत विधिवत सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

सरकार द्वारा पत्र संख्या EDUA-C (40)-EDU-A दिनांक 05.09.2024 के तहत वन भूमि के स्थानांतरण हेतु पेड़ों की कीमत एवं अन्य विभागीय शुल्क मुबलिग 78,11,157/-रुपये स्वीकृत किए गए। जिसे वन विभाग तथा कैम्पा फण्ड में अक्टूबर-2024 को जमा किया गया। राजकीय महाविद्यालय चौपाल के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा मुबलिग 5,00,00,000/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत मुबलिग 2,05,00,000/- रुपये की राशि जारी की गई थी परन्तु भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि महाविद्यालय के नाम न होने के कारण जारी की गई राशि वर्ष 2017-18 से लम्बित होने के कारण इस राशि को लेखा आपत्तियों एवं सरकार के निर्णय, जिसमें लम्बित राशि को पूर्ण होने वाले कार्यों हेतु पुनर्विनियोजित करना आवश्यक था, के अर्न्तगत मुबलिग 2,04,99,000/- रुपये की राशि अन्य महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु पुनर्विनियोजित की गई, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

क्र० स०	महाविद्यालय व कार्य का प्रकार	वर्षवार जारी की गई राशि		पुनर्विनियोजित की गई राशि का विवरण
		वर्ष	राशि	
1	राजकीय महाविद्यालय चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र० में	2017-18	5000000	2023-24 में मुबलिग 2,00,00,000/- रुपये की राशि राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पुनर्विनियोजिन
		2018-19	1000000	
		2019-20	9000000	
		2020-21	5000000	

	भवन का निर्माण	2021-22	200000	प्रस्ताव पर पुनर्विनियोजित की गई। 2024-25 में मुबलिग 4,99,000/- रुपये की राशि राजकीय महाविद्यालय कुमारसैन को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पुनर्विनियोजिन प्रस्ताव पर पुनर्विनियोजित की गई।
		2022-23	200000	
		2023-24	100000	
		जोड	20500000	
		2023-24	-20000000	
		शेषराशि	500000	
		2024-25	-499000	
		शेषराशि	1000	

03.09.2026/1540/AV/AS/24

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय चौपाल, जिला शिमला, हि० प्र० में कला (90) एवं वाणिज्य (05) संकाय की कक्षाएं संचालित है जिसमें कुल 95 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय चौपाल का संचालन नगर पंचायत चौपाल के 05 कमरों में किया जा रहा है, जिसमें 01 कमरें में कार्यालय तथा 01 कमरा स्टाफ/प्राचार्य कक्ष तथा अन्य 03 कमरों का उपयोग कक्षाओं के रूप में किया जा रहा है।

राजकीय महाविद्यालय चौपाल, जिला शिमला, हि० प्र० के भवन निर्माण का कार्य भूमि शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरण करने उपरान्त भवन का वास्तविक रेखा चित्रांक व संशोधित प्राक्कलन सम्बधित कार्यकारी एजेंसी से तैयार करने पर सरकार से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने कार्य में उपर्युक्त बजट प्रावधान पर निर्भर करता है।

शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थानों की कमी से भली भांति परिचित है लेकिन सरकार के सीमित वित्तिय संसाधनों के होते हुए भी सभी शिक्षण संस्थानों को आवश्यकता अनुसार भवन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही सरकार का सदैव ही प्रयास रहा है कि भवनों की कमी के कारण शिक्षण संस्थाओं के सुचारू संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

03.09.2026/1540/AV/AS/25

अध्यक्ष : अब श्री दलीप ठाकुर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार हैः-

मैं, सरकार का ध्यान भाषा अध्यापक (हिन्दी) के 3 प्रतिशत खेल कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों की और आकर्षित करना चाहता हूं। इन रिक्त पदों की जिलावार संख्या तथा उक्त पदों को भरने हेतु मांग-पत्र (Requisition) युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को भेजे जाने की स्थिति स्पष्ट की जाए, यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त मांग पत्र उप-निदेशकों के स्तर पर भेजें जाते हैं अथवा विभाग द्वारा उप-निदेशकों से प्राप्त मांग-पत्रों को एकत्रित करके भेजा जाता है. सरकार से आग्रह है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।"

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मामले में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से हैः-

- वर्तमान में भाषा अध्यापक जिनका पदनाम अब टी०जी०टी० (हिन्दी) है, के 3% खेल कोटे के अंतर्गत, 07 पद रिक्त पड़े हैं; जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	खेल कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या
01	बिलासपुर	0
02	चम्बा	2
03	हमीरपुर	0
04	कागड़ा	0
05	किन्नौर	0
06	कुल्लू	0
07	लाहौल एवं स्पिति	0
08	मण्डी	3
09	शिमला	0
10	सिरमौर	2
11	सोलन	0
12	ऊना	0
	कुल	07

03.09.2026/1540/AV/AS/26

> विभाग द्वारा इन 07 पदों को भरने हेतु मांग पत्र (Requisition) युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को भेजे जा चुके हैं।

> इन पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में दिनांक 18-02-2025 को किए गए संशोधन से पहले भाषा अध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मांग पत्र उप-निदेशक स्तर से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को भेजे जाते थे परंतु उक्त संशोधन के उपरांत अब टी०जी०टी० (हिन्दी) के पदों हेतु मांग पत्र युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को निदेशालय स्तर से भेजे जाने अपेक्षित हैं।

> जहां तक इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रश्न है, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत ही इन पदों को भरा जा सकता है।

03.09.2026/1540/AV/AS/27

अध्यक्ष : अब श्री नीरज नैय्यर (चम्बा), नियम- 324 के अंतर्गत विषय उठाएंगे।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अंतर्गत सदन में उठा रहा हूं, जिसका टेक्स्ट इस प्रकार है :-

"ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने अथवा पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर एकमुशत समायोजित करने हेतु प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण विषय को रखने के सम्बन्ध में।"

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में शुरू की गई थी। मनरेगा अधिनियम की धारा-18 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों को नियुक्त किया गया था। ग्राम रोजगार सेवक स्कीम आधारित स्टाफ है और प्रदेश में 3,758 ग्राम पंचायतों के लिए वर्तमान में 1,023 ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त हैं।

मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन का भुगतान स्कीम के प्रशासनिक मद से शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जाता था। भारत सरकार से मनरेगा के प्रशासनिक मद में अपर्याप्त राशि प्राप्त होने या राशि देर से प्राप्त होने के कारण वेतन के भुगतान में विलंब हो रहा है। माह फरवरी, 2026 से जून, 2026 तक का वेतन भारत सरकार से प्रशासनिक मद में उचित राशि प्राप्त न होने के कारण लंबित है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा के प्रशासनिक मद के अन्तर्गत सामान्यतः चार किश्तों मे धनराशि प्राप्त होती है; जिसका गत तीन वर्षों का विवरण **अनुबन्ध 'क'** पर संलग्न है।

राज्य सरकार ने भारत सरकार से समय-समय पर प्रशासनिक मद के अन्तर्गत माह फरवरी, 2026 से जून, 2026 तक की बकाया राशि की मांग की है जो भारत सरकार के पास अब भी विचाराधीन है। भारत सरकार से समुचित राशि प्राप्त होते ही बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कभी भी पूर्ण धनराशि एक वित्तीय वर्ष में जारी नहीं की गई। एक वर्ष की बकाया राशि अगले वित्तीय वर्ष में ही जारी की जाती है। जिस कारण से वेतन भुगतान में देरी होना स्वभाविक है।

03.09.2026/1540/AV/AS/28

मनरेगा के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में दिनांक 30-06-2026 तक 20.50 करोड़ रू0 की देनदारी भारत सरकार से बकाया है। परन्तु अभी तक भारत सरकार से देय राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से प्रशासनिक मद में राशि जारी करने हेतु दिनांक 02-04-2026, 17-04-2026, 11-05-2026, 22-05-2026, 01-06-2026, 06-06-2026, 25-06-2026, 04-07-2026, 16-07-2026, 21-06-2026, 31-07-2026 और 03-08-2026 भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम रोजगार सेवक ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी नहीं है तथा न ही उन्होंने विभाग के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यकाल पूरा किया है। राज्य सरकार ने समय-समय पर उनकी मांगो को ध्यान में रखते हुए मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत ही उन्हें नियमित वेतनमान या दैनिक भोगी का मात्र वित्तीय लाभ दिया था। राज्य सरकार की सम्बन्धित निति के हिसाब से यह वित्तीय लाभ मनरेगा के प्रशासनिक मद की राशि से ही देय थे तथा मनरेगा के साथ समान अवधि (co-terminus)

के आधार पर थे। मनरेगा के दिनांक 30-06-2026 को समाप्त हो जाने पर यह सेवा नितियांभी स्वतः समाप्त हो गई है।

राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के मनरेगा के अंतर्गत स्कीम स्टाफ के रूप में लम्बे कार्यकाल को देखते हुए उन्हें 01-07-2026 से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 और उनको संबधित नई स्कीम के अन्तर्गत ले लिया है तथा मनरेगा के अर्न्तगत इनके अंतिम जारी वेतन को नई स्कीम के अंतर्गत भी जारी (protect) रखा गया है। इनके वेतन का भुगतान 01-07-2026 के पश्चात वीबी जी राम जी स्कीम के प्रशासनिक मद से सुचारू रूप से किया जा रहा है। राज्य सरकार स्कीम स्टाफ की सभी श्रेणियों के लिए वी बी-जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत नए नियम बना रही है जिसमें सभी स्कीम स्टाफ के हितों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि वी बी-जी रामजी स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कीम स्टाफ की आवश्यक्ता है और पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए विभाग के पृथक भर्ती एवं पदोन्नति नियम बने हुए है जिनमे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अतः पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर इनका समायोजन संभव नहीं है।

03.09.2026/1540/AV/AS/29

अनुबंध-"क"

क्रं0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**स्वीकृति की तिथि**	**पूर्व वित्तीय वर्ष का बकाया**	**चालू वित्तीय वर्ष में जारी राशि**	**कुल जारी राशि**
1	2023-24	07-06-2023	170.8200	1539.98000	1710.80000
		07-07-2023	0.00	1539.98000	1539.98000
		24-11-2023	0.00	1813.30000	1813.30000
		22-12-2023	0.00	1288.85000	1288.85000
		कुल	**170.8200**	**6182.12000**	**6352.94000**
2	2024-25	19-04-2026	1043.29000	1352.07000	2395.36000

		04-07-2024	0.00	1178.19000	1178.19000
		27-08-2024	0.00	714.71000	714.71000
		17-10-2024	0.00	869.82848	869.82848
		11-12-2024	0.00	869.82849	869.82849
		27-02-2025	0.00	724.34000	724.34000
		कुल	**1043.29000**	**5708.96697**	**6752.25697**
3	2025-26	03-06-2025	0.00	2153.0000	2153.0000
		25-08-2025	0.00	1413.0000	1413.0000
		17-10-2025	0.00	1505.7350	1505.7350
		22-01-2026	0.00	1505.7350	1505.7350
		कुल	**0.00**	**6577.4700**	**6577.4700**
4	2026-27	30-04-2026	0.00	407.01397	407.01397
	वीबी-जी रामजी	06-07-2026	0.00	2943.78000	2943.78000
		13.-07-2026	0.00	327.09000	327.09000
		कुल	**0.00**	**3677.88397**	**3677.88397**

03.09.2026/1540/AV/AS/30

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल ब्रक्टा नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

श्री मोहन लाल ब्रक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं, जिसका टेक्स्ट इस पकार हैः-

'सारस-खांगतेरी सड़क निर्माण में हो रही देरी व ठेकेदार को किए गए भुगतान बारे।'

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है :-

सारस-कोकोई से खंगतेरी सड़क की कुल लम्बाई 7.200 किलोमीटर है जिसका कार्य वर्ष 2016-17 में मु0 620.10 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हुआ था जिसमें निर्माण लागत (Construction Cost) मु0 565.51 लाख रुपये तथा रखरखाव (Maintenance) मु० 55.55 लाख रुपये शामिल थी। इसके उपरांत दिनांक 13.09.2022 को इस कार्य की प्राक्कलित राशि को पुनरीक्षित (Revise) कर मु० 660.09 लाख रुपये किया गया जिसमें निर्माण लागत मु0 604.54 लाख रुपये निर्धारित की गई। यह कार्य पूर्व में मैसर्स शांति फ्लैट एंड फाउंडेशन (M/s Shanti Flat and Foundation) को दिनांक 02.03.2017 को मु0 549.01 लाख रुपये में आबंटित किया गया था। कार्य संतोषजनक न होने के कारण इस अनुबंध को दिनांक 05.06.2023 को निरस्त (Rescind) कर दिया गया था।

शेष कार्य के लिए मुख्य अभियंता (शि० क्षे०) द्वारा दिनांक 14.08.2024 को मु0 293.37 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। 10वीं बार निविदा बुलाए जाने के उपरांत दिनांक 21.01.2025 को एकल निविदा खोली गई तथा दिनांक 06.08.2025 को यह शेष कार्य मु0 305.74 लाख रुपये में ठेकेदार को आबंटित किया गया तथा अब तक किये गए कार्य के आधार पर सम्बन्धित ठेकेदार को मु० 190.49 लाख रुपये की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जा चुका है तथा ठेकेदार को कार्य का कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है।

03.09.2026/1540/AV/AS/31

इस कार्य को शेष राशि में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्य का विवरण एवं अब तक किए गए कार्य की भौतिक प्रगति निम्न प्रकार से है:-

Scope	**Target (in Km)**	**Achievement (in Km)**
GSB	3.000	3000

WBM G-II	7.200	4.500
WBM G-III	7.200	0.000
Tarring	7.200	0.000
Protection work	100 % completed	

अब तक इस सड़क का कार्य 52 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है व शेष कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा WBM G-II लेयर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। यदि कार्य में धीमी गति पाई जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार के साथ समय-समय पर प्रबंधन बैठक (Management Meeting) बुलाई जाती है तथा ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए जाते हैं। इस कार्य को दिसंबर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। WBMG-III का material क्रशर पर तैयार कर लिया गया है तथा आंशिक material कार्यस्थल पर इकट्ठा कर दिया गया है। इस के अतिरिक्त विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य की समीक्षा की जा रही है तथा कार्य को दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

अब तक किए गए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं पाई गई है। यदि कार्य में ठेकेदार द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है तो इस सम्बन्ध में अनुबंध के आधार पर ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। अब तक किए गए कार्य में धीमी गति का मुख्य कारण वर्ष 2025 में आई आपदा व मौसम की प्रतिकूलता रहना है। विभाग उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है।

सरकार माननीय सदस्य की चिंताओं के लिए संवेदनशील है तथा जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उचित कार्रवाई की जा रही है।

03.09.2026/1540/AV/AS/32

अध्यक्ष : अब हम सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सत्र के अंत में क्या कोई कुछ कहना चाहेगा?

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री), आप बोलिए।

संसदीय कार्य **मंत्री (उद्योग मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, हमारा मानसून सत्र कुल 10 दिन चला है और आज सत्र का आखिरी दिन है। इस दस दिन के सत्र में बहुत सारे मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। यहां पर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं के संदर्भ में माननीय विपिन सिंह परमार द्वारा प्रस्ताव लाया गया था।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2026/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)... जारी

हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बहुत लंबी चर्चा हुई है जोकि माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार का विषय था। हिमाचल प्रदेश में रोजगार प्रदान करने के संबंध में भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अपनी बहुत ऊंची परंपराएं रही हैं और हमारे डिबेट का लेवल भी बहुत हाई लेवल का रहा है। मैं वर्ष 1993 से माननीय सदन में हूं और उस समय भी हमने बहुत उच्च कोटि के पार्लियामेंटेरियन्स को देखा है। मैं आज यह कह सकता हूं कि हमारे नौजवान तथा हमारे फर्स्ट टाइम एम0एल0ए0 चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हमारे सदन की जो डिग्निटी है और इसकी जो परंपराएं हैं उन्हें हम सभी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं।

विपक्ष के रूप में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। जब हम विपक्ष में थे तब हमें भी अपने इश्यूज़ को सदन के माध्यम से उठाने और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का अवसर मिलता था। सदन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जनता की आवाज सरकार के समक्ष रखते हैं।

इस विषय पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। मैं अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि इस सदन को चलाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। हमारे विधान सभा सेक्रेटरी, विधान सभा का स्टाफ, प्रेस तथा हमारे पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी व्यवस्था का भी इसमें बहुत-बहुत योगदान रहा है। मैं सत्तापक्ष के हमारे विधायकों तथा विपक्ष के विधायकों का भी धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही मैं मीडिया के सभी बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा जो हिमाचल की जनता तक मीडिया के माध्यम से इस सदन की आवाज पहुंचाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.09.2026/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मॉनसून सत्र का आज समापन हो रहा है और यह दस दिन का सत्र रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि संख्या बल के आधार पर सत्तापक्ष ने हमारी अधिकांश बातों को सुना तो सही लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों और बातों को लेकर हमने माननीय सदन में चर्चा की उनका कोई अर्थ नहीं है।

मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत संजीदगी के साथ सभी विषयों पर चर्चा में भाग लिया। आज जब अंतिम दिन था तब भी हमारे बहुत-से सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण वे अपनी बात नहीं रख पाए।

अध्यक्ष महोदय इस बार जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो सदन के अंदर और बाहर हमने एक अजीबो-गरीब स्थिति देखी। पहले सदन का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ होता था और इस बार भी राष्ट्रीय गान के साथ ही हुआ जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा, राज्यसभा में जो बिल पारित किया है उसके तहत राष्ट्रीय गीत का गायन भी बहुत सारे राज्यों में विधान सभा के सत्र के दौरान किया गया, उनका गायन यहां माननीय सदन में भी होता तो अच्छा रहता। लेकिन सत्तापक्ष की ओर से पहले ही मुख्य मंत्री जी ने इस बात को लेकर जाहिर कर दिया था, जो हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो फैसला

लिया है, हम उस फैसले के अनुरूप चलेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला पार्लियामैंट के कानून से अथवा पार्लियामैंट द्वारा पारित कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। देश कानून से चलेगा और पार्लियामैंट द्वारा पारित कानून से ही चलेगा।

अध्यक्ष महोदय के समक्ष इस विषय को लेकर सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ और पहले दिन ही सदन अवरुद्ध हुआ। दूसरे दिन भी गतिरोध बना रहा। लेकिन पीड़ा का विषय यह है कि हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि हमने राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' का अपमान किया। हमने इस संबंध में बार-बार आपसे आग्रह किया और आपके द्वारा इस माननीय सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध करवाई गई। जब हमने उस वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया और सभी तथ्यों का गहन एनालिसिस किया तो

एन0एस0 द्वारा .. जारी

3-9-2026/1550/NS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

तो उस प्रकार से नहीं पाया गया। वह आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित था। मैं सचमुच में उसका आज जिक्र नहीं करना चाह रहा था लेकिन इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आरोप बहुत गंभीर था जिसका मैं खंडन करना चाहता हूं। वह आरोप बेबुनियाद था और सत्य पर आधारित नहीं था। मुख्य मंत्री जी को ऐसे आरोपों से परहेज करना चाहिए और हम इस बात का जिक्र बार-बार करते हैं। हां, अगर कहीं गलती हो तो उसका जिक्र कीजिए और कानून के मुताबिक सजा दीजिए लेकिन हमें इन सारे विषयों को लेकर थोड़ी पीड़ा जरूर हुई। अंततोगत्वा सारे विषय बड़े स्पष्ट हो गए और हमें लगा कि सदन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आपको सहयोग देना चाहिए तथा हमने सहयोग दिया ताकि जनहित के मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर सकें, सरकार से जो प्रश्न पूछने हैं और जो जवाब मांगने हैं वे जवाब ले सकें।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के विषय पर बहुत महत्वपूर्ण और विस्तार से चर्चा हुई। अधिकांश सदस्यों ने उस पर अपनी बात भी रखी। उसके बाद नियम-130 के अंतर्गत जो

विषय था जिसका आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया। वह विषय "युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे" था। प्रदेश में हमारे हमारे सामने बहुत बड़ा विषय बेरोजगारी का है कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी हैं और कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं? क्योंकि गारंटी की जब बात आती है तो उसमें उन बातों का जिक्र किया गया था। इसलिए हमने उस विषय पर चर्चा करना उचित समझा। आज चर्चा समाप्त हुई और उसके बाद चर्चा का जवाब आया। हालांकि, उस बात से हम बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं और संतुष्ट नहीं हैं। जो जवाब दिया गया है उसमें आंकड़े और तथ्य वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में बहुत से बिल भी पारित हुए। इस माननीय सदन में हमने अपना पक्ष रखा है, चाहे वह रेवेन्यू से संबंधित था, चाहे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के संदर्भ में आज जो बिल पारित किया गया है उसके संदर्भ में था या अन्य बहुत सारे विषयों को लेकर जो बिल पारित हुए, उनके संदर्भ हमने अपना पक्ष रखा है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष बहुमत में है। स्वाभाविक रूप से

3-9-2026/1550/NS-DC/2

बिल पारित तो हुआ लेकिन बिल के पारित होने के साथ-साथ बहुत सारे प्रश्न अभी तक भी जनता के मन में खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया चाहे वे सत्ता पक्ष या विपक्ष के हों। मंत्रियों ने अपनी यथा योग्य क्षमता से जवाब देने का प्रयत्न किया। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जब सत्र होता है तो सत्र के दौरान हमारे विधान सभा सचिवालय के बहुत सारे कर्मचारी दिन-रात परिश्रम करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन की गरिमा से विषय जुड़ते हैं और जब सत्र का समापन होता है या सत्र शुरू होता है तो हमारी अधिकारी दीर्घा इस तरह की नहीं होती जिस प्रकार से मैं इस वक्त देख रहा हूं। यहां पर अधिकारियों को बैठना चाहिए था भले ही मुख्य मंत्री जी को जाना पड़ा हो। उन्हें शायद कोई जरूरी कार्य पड़ा होगा। मुझे मालूम नहीं कि क्या काम पड़ा है? वे कुछ अफरातफरी में लग रहे थे और

उनको कुछ जल्दबाजी में जाना पड़ा। लेकिन ये आपकी चिंता का विषय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सत्र समाप्त हो रहा है तो हमारी अधिकारी दीर्घा पूरी तरह से खाली है। केवल दो अधिकारी बैठे हैं और बाकी अधिकारी नहीं हैं जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमें भी इस माननीय सदन में कई वर्ष हो गए हैं और जब सत्र शुरू होता है तो अधिकारी दीर्घा में सारे अधिकारी और वरिष्ठतम अधिकारी सब बैठे होते थे और उनकी उपस्थिति रहती थी। आज जब सत्र का समापन हो रहा है तो अधिकारी दीर्घा खाली पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं मीडिया जगत के सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारी बात को प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया चाहे वह कोई भी माध्यम हो, जो भी चैनल हो उसके माध्यम से जनता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

03.09.2026/1555/RKS/HK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इसके साथ-साथ मैं विधान सभा के उन कर्मचारियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जो सदन के भीतर ड्यूटी पर खड़े रहकर हम सभी माननीय सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। हमें कोई कागज़ चाहिए हो या कोई संदेश पहुंचाना तो ये निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं सचिव महोदय और विधान सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के बाद मॉनसून सत्र केवल एक ही शेष रह जाएगा। मुझे मालूम नहीं कि भविष्य में परिस्थितियां कैसी बनेंगी परंतु उसके बाद जो हालात बनते हैं वह सब अफरा-तफरी में होता है। यदि आपका कार्यकाल पूर्ण होता है तो इसके बाद केवल एक और मानसून सत्र शेष रहेगा। मैं यह कह सकता हूं कि लगभग दो माह के पश्चात हिमाचल प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो यह माना जाता है कि चुनाव का समय निकट आ गया है। अक्तूबर के अंत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा।

अध्यक्ष : मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो वर्ष 2027 में लगेगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, चुनावी वर्ष का मतलब है कि चुनाव वाला वर्ष शुरू हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वर्ष 2027 में लगेगा। मैं वही कह रहा हूं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। न यह हमारे लिए रुका है और न ही आपके लिए रुकेगा। हम पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता से बाहर जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और हम सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं। फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम सभी को यहां मिलकर कार्य करना है। चाहे कोई सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, प्रदेश का हित सर्वोपरि होना चाहिए और हम सबकी प्राथमिकता भी वही होनी चाहिए। हमारी बातों को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं तौलना चाहिए। विपक्ष की ओर से अच्छे सुझाव और सकारात्मक भाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि उन सुझावों को ग्रहण किया जाए तो उससे सरकार का भी भला हो सकता है और प्रदेश का भी हित सुनिश्चित हो सकता है। आज इस समापन अवसर पर मैं विशेष रूप से आपका

03.09.2026/1555/RKS/HK-2

आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष के रूप में आप लंबे समय तक इस आसन पर विराजमान रहकर सदन का संचालन करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि आप हमारी ओर अधिक ध्यान दें और वे प्रयास करते हैं कि आप उनकी ओर अधिक ध्यान दें लेकिन इसके बावजूद आपने सदन में संतुलन बनाए रखने का भरसक प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार सभापति के रूप में आसन ग्रहण करने वाले हमारे सभी साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आने वाले त्योहारों के लिए भी सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लग रहा है कि बरसात का मौसम अब धीरे-धीरे शिथिल पड़ रहा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जान-माल की वैसी क्षति नहीं हुई जैसी वर्ष 2023 या वर्ष 2025 में देखने को मिली थी। यह हम सभी के लिए अच्छी बात है। मैं प्रार्थना करता हूं कि देवी-देवताओं का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और भविष्य में हमें बरसात के मौसम में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं और क्षतियों का सामना न करना पड़े। यही प्रार्थना करते हुए मैं मैं एक बार पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः आज सदन का अंतिम दिन है। विशेष रूप से उन सभी सदस्यों को जो मंत्री पद पर नहीं हैं, यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने यह निर्णय लिया है कि सभी माननीय सदस्यों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा का Distinct Flag उपलब्ध करवाया जाएगा। कल सदस्य सुविधा समिति की बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया गया है और लगता है कि एक सप्ताह के भीतर ये फ्लैग सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

03.09.2026/1600/बी.एस./एच.के.-1

अध्यक्ष जारी...

इस फ्लैग के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

जैसा मैंने कहा कि यह मॉनसून सत्र है। इस सत्र के दौरान 10 बैठकें हुईं। यह सत्र दिनांक 21 अगस्त, 2026 से 3 सितंबर, 2026 तक आयोजित हुआ। इसकी कार्रवाई लगभग 45:30 घंटे चली। इस तरह से सदन की प्रोडक्टिविटी 91 प्रतिशत रही। देश भर की विधान सभाओं की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत कम ऐसी विधान सभाएं हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी 70 प्रतिशत से अधिक है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की चौदहवीं विधान सभा की प्रोडक्टिविटी 90 प्रतिशत से 132 प्रतिशत तक गई है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप हर विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और सुझाव भी देते हैं।

सत्र के दौरान हमारे पूर्व में रहे सदस्य स्वर्गीय श्री विजयेन्द्र सिंह, श्री राम चंद भाटिया, श्री ज्ञान चंद जी और श्री राम रतन शर्मा जी का निधन हुआ। सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन सभी के परिवारों के प्रति

गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हमने अपनी संवेदनाओं का संदेश उनके परिवारों तक पहुंचाया है।

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चर्चा हुई। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिन पर आधे-आधे घंटे तक माननीय सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। ये बहुत जनहित के विषय थे। इसमें कुल 514 तारांकित और 272 अतारांकित सूचनाओं को इस माननीय सदन में उपलब्ध कराया गया।

नियम-62 के अंतर्गत 14 विषय रखे गए और उन पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मंत्रीगण के द्वारा उनका जवाब दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जवाब दिए गए हैं उससे माननीय सदन में उठाए गए विषयों से लाभ होगा।

03.09.2026/1600/बी.एस./एच.के.-2

सत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2026 को एक दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस भी निर्धारित था। नियम-101 के अंतर्गत पांच गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए। इनमें से दो संकल्पों पर माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए और वे संकल्प अडॉप्ट भी हुए।

यह भी इस मॉनसून सत्र का एक संतोषजनक रिकॉर्ड है कि दो प्राइवेट मेंबर्स डेज के दौरान विपक्ष के द्वारा लाए गए संकल्पों को सदन ने अडॉप्ट किया। इसके लिए भी उन माननीय सदस्यों को और सदन को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई।

नियम-130 के अंतर्गत दो ही विषय चर्चा में आ सके क्योंकि दोनों विषयों के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई। एक स्वास्थ्य से संबंधित था और दूसरा रोजगार से संबंधित था जिस पर आज चर्चा समाप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त सात सरकारी विधेयक सभा में प्रस्तुत हुए। उन पर चर्चा हुई और वे पास भी हुए। शून्य काल में 34 जो इश्यूज थे वे भी माननीय सदस्यों की ओर से इस माननीय सदन में चर्चा में आए और संबंधित माननीय मंत्रिगण ने उनका जवाब भी दिया।

विधान सभा सचिवालय का भी प्रयास रहेगा कि सदन में जो विषय उठे हैं उन विषयों के ऊपर संबंधित विभाग सार्थक कदम उठाएं।

नियम-324 के अंतर्गत भी आज 11 विषय यहां पर उठाए गए। सदन की जो हमारी विधान सभा की कमेटियां हैं उनकी ओर से 44 प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किए गए। मैं हमारी हाउस कमेटीज के सभी चेयरमैन को भी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। यह बहुत अच्छा आंकड़ा है और सत्र के दौरान जो संयुक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

03.09.2026/1605/DT/YK -1

अध्यक्ष जारी......

भी प्रस्तुत हुआ और वह रिपोर्ट भी हमने आप तक पहुंचाई। हमेशा की तरह इस सत्र के दौरान भी मेरा भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले, इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री और सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय विधायकों का भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। आपका पूरा सहयोग सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप में संचालित करने में मुझे मिला।

क्योंकि डिप्टी स्पीकर नहीं है इसलिए मुझे ही बैठना पड़ता है। मैं सभापति तालिका के सभी सदस्यों का आभारी हूं। विशेष रूप से श्री संजय रत्न जी और श्री आशीष बुटेल जी कि आपने यहां सभापति के रूप में संचालन करके जो मेरी जिम्मेवारी थी उसको बांटा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन में गणमान्य व्यक्तियों व विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों तथा अन्य लोगों ने दीर्घायों में बैठकर सदन के संचालन और कार्यवाही को देखा। लगभग 2,000 के करीब विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों ने इस मानसून सत्र में विधान सभा की कार्यवाही देखी है। कुल मिलाकर मेरे ख्याल में प्रदेश भर से अब दूर-दूर और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों से बच्चे

विशेष रूप से आते हैं और विधान सभा की कार्यवाही के प्रति उनका इंटरेस्ट जागृत हुआ है।

मैं समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभारी हूं लेकिन यहएक गंभीर विषय है कि आज वे ऑफिसर गैलरी में होने चाहिए थे लेकिन नहीं **हैं। They are supposed to be there in the officer gallery, Chief Secretary, Additional Chief Secretaries and higher officers. Their non-presence is not a good thing; it is not a good convention, so we look into this also.** परंतु मैं उन सभी सरकारी अधिकारियों का भी आभारी हूं जिन्होंने विधान सभा को सहयोग दिया है। आपके प्रश्नों और नोटशीट्स की जो सूचनाएं उपलब्ध करवानी होती हैं वह विभागों के माध्यम से होती हैं इसलिए जो सहयोग उन्होंने हमको दिया है उसके लिए उनका

03.09.2026/1605/DT/YK -2

धन्यवाद। विधान सभा सचिवालय के सचिव और उनके सभी सहयोगियों तथा अधिकारियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिन-रात मेहनत करके माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध करवाने में पूरा प्रयास किया और सूचनाएं उपलब्ध भी करवाईं।

पुलिस पर्सनल्स ने शांति बनाए रखने में विधान सभा के परिसर और विधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि विधान सभा के अंदर जो भी घटित हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से तथा सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने हैंडल से भी प्रसारित किया है।

विधान सभा के अंदर जो कलेक्टिव चर्चा हुई, उसका जो निष्कर्ष निकला उसको प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पेज के माध्यम से हर माननीय सदस्य का दृष्टिकोण और नजरिया जो विधान सभा में था उसको जन-जन तक पहुंचाया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे अपने-अपने स्थान पर, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राष्ट्रगान से हमने शुरू किया।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

03.09.2026/1610/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष......... जारी

हम इस सत्र का समापन राष्ट्रीय गीत से करेंगे। सभामण्डप में उपस्थित सभी से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभामण्डप में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक 03, सितम्बर, 2026 **सचिव**